खण्ड-250, अंक-10
शुक्रवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1886
(7 अगस्त, 1964 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 250 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७१

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपालसिंह, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री

पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान , श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कंथवार,
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री

रमेशचन्द्र शर्मा श्री
राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुक्मसिंह राठौर, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिज़वी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्र प्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ अगस्त, १९६४

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गल्ले की दुकानों का लूटा जाना

**१--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत ४ सप्ताह में प्रदेश के प्रायः ६ प्रमुख स्थानों, रामपुर, आगरा, बहराइच, गोरखपुर, बिजनौर तथा अजमतगढ़ (आजमगढ़) में अन्नाभाव तथा अर्द्ध भुखमरी के कारण गल्ला-दुकानें बड़े पैमाने पर लूटी गई हैं और अराजकता की स्थिति पहुंच रही है ?

रसद मंत्री के सभासचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)--

इन स्थानों पर अन्नाभाव तथा अर्द्धभुखमरी के कारण गल्ले की दुकानों के लुटने की न तो कोई घटना हुई है और न अराजकता की स्थिति पहुंच रही है। आगरा और गोरखपुर जिलों में दिनांक ११-७-६४ व १८-७-६४ की छिपीटोला और उरवा बाजार में लूट पाट की घटना हुई परन्तु उनका कारण अन्नाभाव तथा अर्द्ध भुखमरी नहीं था।

**२--श्री झारखण्डेराय--

सरकार ने इस अत्यन्त विषय तथा चिन्तनीय स्थिति की रोकथाम हेतु क्या प्रभावी कार्यवाही कार्यवाही की है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखण्डेराय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो वहां पर ऐसी लूट-पाट की घटनायें हुईं, उसके कौन से कारण थे ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---

यह कुछ दूकानदार और खरीदार के बीच किसी चीज में आपस में झगड़ा हो गया, उसी के फलस्वरूप यह सारा घपला हुआ ।

श्री झारखण्डेराय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अजमतगढ़ (आजमगढ़), देवरिया, बहराइच, गोरखपुर, बिजनौर, बस्ती, रामपुर, आगरा आदि लगभग एक दर्जन जिलों में ऐसी वारदातें हुई हैं, जिनमें गल्ले की दूकानें लूटी गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये घटनायें क्यों हुईं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

उसमें इन्क्वायरी कराई जा रही है । यह बात सही है कि कुछ ऐसे छोटे-मोटे वाकयात हुए हैं और वे इसलिये हुए हैं कि आपस में झगड़ा हो गया ।

श्री झारखण्डेराय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही है कि सरकार की ओर से इस प्रकार के कोई गुप्त आदेश जिलाधीशों की तरफ से दिये गये हैं जिनमें बताया गया है कि भुखमरी या अर्द्ध भुखमरी इलाकों में जो ऐसी घटनायें हो रही हैं, उनकी सही राय न दी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

नहीं, ऐसे कोई आदेश नहीं हैं । बल्कि सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि बिलकुल सही राय दी जाय ।

श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)---

आगरा में जो ऐसी घटनायें हुईं उनके विषय में अभी मंत्री जी ने बताया है कि वह खाद्यान्नों के बारे में नहीं बल्कि आपसी मनमुटाव के कारण हुईं । इस सिलसिले में जो गिरफ्तारियां हुईं, मौके पर कोई आदमी नहीं पकड़ा गया और लोगों को उनके घर पर जाकर पकड़ा गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

यह तो सारी बात कानून के मुताल्लिक है । वे चाहे वहां रहे हों, या अपने घरों में ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

अभी तक जितनी बाजारें लूटी गई हैं उसके सम्बन्ध में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें कौन-कौनसी पार्टी के लोग पाये गये हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

पार्टी विशेष की कोई सूचना नहीं है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

गोरखपुर की बाजार की लूट के सिलसिले में क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां खाद्यन्न कितना लूटा गया, अन्य क्या चीजें लूटी गईं और उसमें कौन-कौन से लोग थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मैंने इस सम्बन्ध में जहां तक मुझे याद है, पहले सही-सही आंकड़े दे दिये हैं ।

श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)--

आपने कहा कि आपसी झगड़े की वजह से दूकानें लूटी गयीं, तो पहले जब अन्न संकट नहीं था तो क्या आपसी झगड़े नहीं होते थे जो दूकानों के लूटने की खबरें नहीं आती थीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

उस समय ऐसी खबरें न तो समाचार-पत्र छापते थे और न पार्टियां उसका प्रोपेगेंडा करती थीं।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

जिस समय दुकानें लूटी गयीं उस समय फी व्यक्ति कितना गल्ला वितरण किया जा रहा था और कितनी दूकानें थीं ?

श्री अध्यक्ष--

और कुछ पूछिये। यहां सवाल यह है कि दूकानें लूटी गयीं इस कारण से कि भुखमरी थी, वह कहते हैं कि नहीं थी।

श्री लखपतराम शर्मा--

मेरा प्रश्न यह है कि मैं साबित करना चाहता हूं कि चूंकि वहां कम तादाद में गल्ला बांटा गया और भुखमरी थी इस वजह से दूकानें लूटी गयीं, तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो दूकानें लूटी गयीं उन पर प्रति व्यक्ति कितना गल्ला उस समय दिया जाता था और क्या गल्ले की कमी के कारण दूकानें लूटी गयीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जैसा मैंने साधारण विवाद में कहा था कि ५ परसेंट बाहर से गल्ला आया, तो कमी तो थी ही। लेकिन वहां खुला बाजार था, वहां से ले सकते हैं।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

मंत्री जी ने कहा कि आपसी झगड़े के नाते दूकानें लूटी गयीं, तो खाद्यान्न के अतिरिक्त कपड़े की या और दूकानें भी अनाज के अलावा लूटी हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

कपड़े की भी लूटी हैं, भाव पर ही झगड़ा होता है।

श्री झारखण्डेराय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक सरकार को प्रदेश के किन्हीं भी कोनों से या सभी कोनों से जो खबरें आयी हैं उनके मुताबिक सरकार की समझ में कोई छोटा-मोटा फूड रायट कहीं हुआ है या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

फूड रायट्स नहीं हुए, सिर्फ प्रोपेगेंडा के तौर पर और सिम्पैथिटिक तरीके पर यह कंटेजियम फैल रहा है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या सरकार के पास सही रपट है कि आगरे में गल्ला लिया गया उसके अलावा और कोई चीज भी ली गयी--दियासलाई, कपड़ा, सिग्रेट, वगैरह ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

डिटेल के लिये नोटिस की जरूरत होगी।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

क्या यह सही है कि जिस दौरान में गांव में लूट हुई है उन जिलों में फेयर प्राइस शाप्स काम नहीं कर रही थीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यह तो नहीं कहा जा सकता कि दूकानें वर्क नहीं कर रही थीं, यह हो सकता है कि गल्ला थोड़ा होगा, लेकिन किसानों के पास तो काफी गल्ला था ।

श्री छत्रपति अम्बेश--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आगरे में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन पर एक ही चार्ज है कि उन्होंने उस दूकान से गल्ला लिया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

लूट में गल्ला ही ले गये होंगे, वही चार्ज होगा ।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आगरे में जिस दिन लूट हुई है शाम को उससे पहले वहां की भूखी जनता थाने में गयी और कहा कि हमको १५दिन से राशन नहीं मिल रहा है, उसकी कोई व्यवस्था की जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री झारखण्डे राय--

क्या मंत्री जी को सूचना है कि पिछले एक महीने के अन्दर तीन दूकानों पर झगड़ा हुआ जिसमें एक दूकानदार ने खरीदार पर गोली चलाई, एक दूकानदार ने खरीदार पर बल्ला चला दिया और एक जगह दूकानदार के गुन्डों ने, जो खरीदार थे उन पर हमला करके उनको भगा दिया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

हां, अनेक झगड़ों की खबरें आयी हैं लेकिन कारण आपसी झगड़ा था ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १८-७-६४ को गोरखपुर जिले में एक स्थान पर जो बाजार लूटा गया था उस लूट में क्या क्या सामान मिला है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

अनाज डेढ़ बोरी था जिसको कि लूटने वाले से एक दूसरे आदमी ने छीन लिया था । इसके अलावा कुछ तम्बाकू, तरकारी तथा हल के पार्ट्स वगैरह भी थे जो लूटे गये थे ।

गाजियाबाद में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

**३--श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने हाल ही में यह निश्चय किया है कि गाजियाबाद में जो भूमि सरकार ने एक्वायर की है और जिसका मुआवजा पहले कुछ नये पैसे फी गज के हिसाब से दिया जाता था उसका १८१ न० पै० दिया जायगा ?

क्या यह भी सत्य है कि जो भूमि एक्यायर की गई थी उसमें से १००० एकड़ किसानों को वापस कर दा गयी है ? अगर हां, तो क्या सरकार किसानों की संतुष्टि के लिये एक विस्तृत वक्तव्य इस सम्बन्ध में देने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

गाजियाबाद में सुनियोजित विकास के लिए जो भूमि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ४ (१) के अन्तर्गत १६ जुलाई, १९६० से विज्ञापित है उसके मुआवजे का एवार्ड १६ जुलाई, १९६० की बाजार दरों के अनुसार घोषित किया जायगा परन्तु सरकार ने यह तय किया है कि १६ जुलाई, १९६० तथा ९ फरवरी, १९६२ के बाजार दरों के अनुसार आये हुए मूल्य के अन्तर (difference) को भू-स्वामियों को Ex-gratia payment के रूप में दे दिया जाय। यह दरें कलेक्टर मेरठ भूमि की अलग-अलग स्थिति के अनुसार बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करेंगे, अतः यह बताना कठिन है कि मुआवजे की औसत दर प्रति वर्ग गज क्या होगी। अर्जित की जाने वाली भूमि की ९ फरवरी, १९६२ की बाजार दरों के अनुसार कीमत आंकने के लिये सरकार ने यह निश्चय किया है कि १६ जुलाई, १९६० में स्थित सड़कों के किनारे से १०० गज की दूरी तक जो भूमि आये उसका मूल्य तो ९ फरवरी, १९६२ की बाजार दरों के अनुसार लगाया जाय और सड़कों से १०० गज से आगे वाली भूमि का मूल्य सड़कों से १०० गज तक की दूरी में आने वाली भूमि के दर के ७५ प्रतिशत आंका जाय। इस सिद्धांत के अनुसार सड़कों से १०० गज की दूरी तक आने वाली भूमि का मूल्य अगर १०० रुपया प्रति बीघा आता है तो सड़क से १०० गज से आगे वाली भूमि का मूल्य ७५ रुपया प्रति बीघा होगा।

यह तो सत्य नहीं है कि गाजियाबाद में जो भूमि एक्वायर की गई थी उसमें से १००० एकड़ भूमि किसानों को वापस कर दी गई है लेकिन जिलाधीश को ऐसे आदश दे दिए गए हैं कि दुराला फार्म की लगभग १००० एकड़ भूमि को, जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा निर्धारण अधिनियम, १९६० के लागू होने के कारण उपलब्ध बतायी गयी है, गाजियाबाद के उन किसानों में जिनकी भूमि अर्जित की जा चुकी है अथवा की जा रही है वितरण हेतु एक उपयुक्त सूत्र (formula) बनाएं तथा उक्त सूत्र के अनुसार उक्त भूमि को सब से अधिक जरूरतमन्द किसानों को प्राथमिकता के आधार पर दे दें।

श्री तेजसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १६ जुलाई, १९६० के बाजार दर में और ९ फरवरी, १९६२ के बाजार दर में क्या अन्तर है और क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जब १९६० में दफा ४ का नोटिस दिया गया था तो उसके बाद किसानों ने अपनी जमीनें सस्ते भाव पर बेंच दी थीं क्योंकि उन को यह भय था कि सरकार कहीं उनकी जमीनों को एक्वायर न कर ले ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

पहले जो सन् १९६० के बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा निश्चित किया गया था वह लगभग १ करोड़ ९४ लाख ६० हजार था और बाद में सन् १९६२ के बाजार भाव के अनुसार जो निश्चय किया गया वह लगभग ५ करोड़ ८० लाख का अन्दाज लगाया गया है। इस प्रकार काफी मुआवजा बढ़ जाने की उम्मीद है।

श्री तेजसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सड़क के किनारे की जमीन में ज्यादा नुकसान होने के कारण किसानों की कम उपज होने की वजह से उनके लिये कम फायदे की होती है और सड़क से दूर वाली जमीन में अधिक उपज होती है, नुक्सान कम होता है ? इसलिये सरकार ने जो दो प्रकार का मुआवजा रखा है कि सड़क के पास और सड़क से दूर वाली जमीन का, इस सिस्टम को हटा कर क्या सरकार एक ही दर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

पहले मुआवजा ३ पट्टियों के हिसाब से दिया जा रहा था लेकिन अब दो दो पट्टियों के हिसाब से दिया जा रहा है। एक वह जमीन है जो सड़क के पास वाली है और दूसरी वह जमीन है जो सड़क से दूर वाली है। अब १९६२ की दर से जो मुआवजा दिया जायगा उससे पहली और दूसरी पट्टी का मुआवजा काफी ज्यादा हो जायगा। दोनों को मिला कर एक दर से मुआवजा देने का कोई इरादा नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

इस बात को देखते हुये कि जो जमीन किसानों से ली गयी है और सड़क के किनारे की है, उन लोगों को एक रुपया गज से ज्यादा मुआवजा मिले क्या सरकार इसका प्रयत्न करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

मैंने पहले ही निवेदन किया कि जो सड़क के किनारे की जमीन है, सन् १९६२ की दर से उसका एक रुपये से ज्यादा हो जाता है। जिसका पहले १ करोड़ ९० लाख दिया जा रहा था उसका अब ५ करोड़ ८० लाख दिया जा रहा है। इसी प्रकार से दूसरे किस्म की जमीन पर भी प्रभाव पड़ेगा।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि सड़कों के किनारे की जमीन किसानों के लिये उतने महत्व की नहीं होती जितनी कि सड़क से दूर की ? इसलिये क्या सरकार सड़क से दूर की जमीन की कीमत बढ़ाने की कृपा करेगी या इस पर विचार करेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)---

कहीं जो किनारे की जमीन होती है उस की कीमत ज्यादा होती है और कहीं सड़क से दूर की जमीन की कीमत ज्यादा होती है। गाजियाबाद में जहां कि इस जमीन पर मकान बन रहे हैं, सड़क के किनारे की जमीन की कीमत ज्यादा है इसलिये दाम भी उसी हिसाब से लगाये जा रहे हैं।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि जो एक हजार एकड़ जमीन बच रही है और किसानों को लौटायी जायगी, क्या वह उन्हीं किसानों को दी जायगी जो भूमिहीन हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---

उत्तर में यह निवेदन कर दिया गया है। यह बात तय कर दी गयी है कि एक हजार एकड़ के करीब जमीन जो फार्म से प्राप्त होने वाली है वह उन्हीं किसानों को बांटी जायगी जो गाजियाबाद से विस्थापित हुए हैं। इस का एक फारमूला बनाया जायगा कि किस प्रायोरिटी के हिसाब से उनको वह जमीन दी जायगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

सरकार की यह नीति है कि बाजार भाव से किसानों को मुआवजा दिया जाता है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गाजियाबाद में जो यह भूमि उपलब्ध की गयी है, उसमें इस नीति का परित्याग किया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जी नहीं, उस नीति का परित्याग नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक तारीख तय करने की बात है। बाजार के भाव से तो होगा लकिन कौन-सी तारीख से बाजार का भाव लगाया

जाय, इसका प्रश्न है। पहले तय हुआ था कि १९६० की दर से मुआवजा लगाया जायगा और सन् १९६० से १९६२ की कीमत में जो फर्क होगा उसका एक्सप्रेसिया पेमेंट किया जायगा।

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर कमिश्नर के हाते में खेती

*१—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री जांच करा कर एक रपट सदन की मेज पर रखेंगे कि गोरखपुर शहर में कमिश्नर के हाते में कुल कितने एकड़ भूमि पर खेती होती है तथा कितने में कमिश्नर का क्वार्टर बना हुआ है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

कमिश्नर के हाते के अन्दर १३.८७ एकड़ भूमि में खेती होती है तथा ६.५६ एकड़ में कोठी, सड़क, फुलवारी, पुलिस गार्ड क्वार्टर और नौकरों के क्वार्टर हैं।

*२—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुल कितने एकड़ भूमि में तार लगा हुआ है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

चूंकि कोई प्लाट पूर्णरूप से तार से घिरा हुआ नहीं है इसलिये इसका क्षेत्रफल बताया नहीं जा सकता।

*३—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिछले तीन साल खसरे तथा खतौनी में वह भूमि किसके नाम इन्दराज है तथा उसका पूरा पता क्या है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

श्रीमती महारानी जानकी कुंवरी, जौजे हरिचन्द किशोर, साकिन बेतिया का नाम खसरा नम्बर ९०, ९५ व ३६४/२६९ पर पिछले तीन वर्षों के खसरा व खतौनी में श्रेणी २–२ में अंकित है। शेष नम्बरान पर किसी का नाम दर्ज नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि यह कमिश्नर का जो बंगला है, इसमें फुलवारी वगैरह लगा कर करीब २० एकड़ जमीन है और उसमें से १३.८७ एकड़ जमीन में इस समय खेती की जाती है और साथ ही वे इसकी भी जांच करायेंगे कि कमिश्नर ने अपनी बीबी के नाम से और वहां के तमाम अधिकारियों के नाम से उस जमीन को उठा दिया है, तो इस सिलसिले में जो रेकार्ड्स वगैरह हैं उन सब को सीज कर के उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

रेकार्ड्स हम को बतला दीजिये, हम सब को सीज कर लेंगे और उस की जानकारी आपको करा देंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या ये वही कमिश्नर हैं जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके न केवल वहां की जमीन हड़प ली है बल्कि जब ये गोंडा में जिलाधीश थे तो वहां भी इन्होंने अपनी बीबी के नाम से

जमीन लिखाई और जहां जहां भी ये अब तक रहे हैं वहां वहां इसी तरह से अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी बीबी व अपने परिवार वालों के नाम से कई जायदाद बना ली है ? यदि हां, तो माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

गोंडा के बारे में तो मुझे कोई इत्तला नहीं है। अगर आप नोटिस देंगे और दरख्वास्त करेंगे तो मैं उसको दिखला लूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के कमिश्नर साहब जब देवरिया में जिलाधीश थे तो जमींदारी जब टूट गयी तो राजा साहब, रुद्रपुर की जमीन को उन्होंने टाउन एरिया में मिला लिया और उस के दो वर्ष बाद टाउन एरिया की हद फिर सरकार ने निश्चित कर दी और बाहर की जमींदारी टूट गयी, फिर कमिश्नर अपने पद का दुरुपयोग करके इस जमींदारी को जमींदार के पक्ष में रखे हुए हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इसके सम्बन्ध में मेरे पास कोई मसाला तो नहीं है, इसलिये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि कमिश्नर साहब के बंगले की जिस जमीन पर खेती हो रही है, उस पूरी की पूरी जमीन पर इस समय आलू की खेती की जाती है और तमाम दूसरी फसली चीजें होती हैं और कमिश्नर द्वारा ही यह तमाम खेती की जाती है और उसका उपभोग किया जाता है, लेकिन उसका पैसा सरकारी मद या और किसी मद में जमा नहीं किया जाता ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह सब तो हमारी जांच में आ ही जायगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि गोरखपुर के कमिश्नर के हाते में जो भूमि है वह राज्य सम्पत्ति है या किसी काश्तकार या जमींदार की है ? और अगर वह राज्य सम्पत्ति है तो उस पर अब किस व्यक्ति का नाम दर्ज हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

वह बेतिया की महारानी की प्रापर्टी है, उस को कोर्ट आफ वार्ड्स, बिहार और बोर्ड आफ रेवेन्यू, बिहार मैनेज करता है और वह महारानी साहिबा के ही नाम है।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

इस बंगले की आराजी में जो खेती होती है उसका खर्च कौन देता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह सरकार नहीं देती है, चाहे जो देता हो।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जो ग्राडिनरी वाटर पाइप म्युनिसिपैलिटी का होता है उस से दुगुना मोटा वाटर पाइप लगाया गया है ताकि सारी कमिश्नर साहब की खेती सरकारी पानी से हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जो कुछ वह हमें लिख कर देंगे हम सब की जांच करा लेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

सारे प्रदेश में कमिश्नरों, कलेक्टरों और अफसरों के बंगलों में कुल २००० एकड़ से अधिक ऐसी जमीन है, तो क्या मन्त्री जी ऐसी जमीन को अधिकृत कर के उस में सरकारी और अन्य आफिसेज आदि बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह सब कृषि विभाग समझे, माल विभाग से इसका क्या सम्बन्ध है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उस जमीन पर जो खेती होती है उस की फसल रानी साहिबा लेती हैं या कमिश्नर साहब की बीबी साहिबा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इसकी इत्तला हमें नहीं है।

*४--६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

[६ अगस्त, १९६४ को प्रश्न ५८-६० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*७-८--श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

[६ अगस्त, १९६४ को प्रश्न ५५-५६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*९--श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती) तथा श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

सगड़ी तहसील में घाघरा का कटाव

*१०--श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की घोसी एवं सगड़ी तहसील के किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी आबादी तथा खेती की भूमि अब तक घाघरा नदी के पेटे में जा चुकी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९७ पर)

*११--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन ग्रामों के जिन परिवारों की पूरी खेती की भूमि एवं घर घाघरा में विलीन हो गये हैं, उन के बच्चों को पढ़ने तथा परिवार की रोजी के लिये क्या व्यवस्था हुई है ?

नोट--तारांकित प्रश्न १०-११ स्थगित किये गये।

श्री रामकुमार शास्त्री--

ऐसे परिवारों के बच्चों की स्कूल फ़ीस व किताबों की व्यवस्था हेतु ३,००० रु० की राशि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं के पास जिला विद्यालय निरीक्षण के माध्यम से रखी गई। रोजी की व्यवस्था हेतु गांवों की भटाई तथा बन्धों के निर्माण कार्य प्रारम्भ किये गये। भूमिहीन लोगों के लिये गांव समाज से यथा संभव रिक्त भमि प्राप्त करने की व्यवस्था की गई।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या मन्त्री जी के पास ऐसी कोई तालिका है कि इन दोनों तहसीलों में कितने रुपये के बांध बने और कितने गांव ऊंचे किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मुझे अफसोस है कि वह हमारे पास अभी नहीं है, हमने इत्तला मांगी थी, वह अभी नहीं आई है और अगर फिर मंगाते तो आज हम उत्तर न दे पाते। वह चाहेंगे तो फिर तहकीकात कर ली जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

तो फिर इसको अभी स्थगित कर दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन १५ दिन का समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

तो यह स्थगित हुये।

*१२--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१४--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१५--श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

[३१ जुलाई, १९६४ के प्रश्न १२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१६-१७--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री मंगलदेव--

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१८-१९--श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२०--श्री श्यामलाल--

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२१--श्री ऊदल--

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में अध्यापकों की मुअत्तली

*२२--श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में १५ मई से १५ जून, १९६४ तक कितने अध्यापक सेवा मुक्त कर दिये गये हैं और कितने मुअत्तल हैं ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

८ अध्यापकों को सेवा मुक्त किया गया तथा एक को मुअत्तल। सेवा मुक्त ८ अध्यापकों में से एक अध्यापक को, जिन्हें अवैधानिक रूप से सेवा मुक्त किया गया था बहाल कर दिया गया है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या शिक्षा मंत्री जी का ध्यान प्रशासन अधिनियम की ओर गया है जिसमें लिखा है कि बगैर इंस्पेक्टर की इजाजत के कोई मुअत्तल नहीं होगा और अगर मुअत्तली बिना उसकी इजाजत के हुई है वह अनियमित और अवैधानिक है, और अगर ऐसा है तो क्या इस गलती को ठीक किया जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह चार्ज गबन का था और अगर किसी तरह से नियमों का पालन नहीं हुआ है तो अवश्य उसे ठीक किया जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अध्यापक मुअत्तल किये गये थे वह मैनेजर द्वारा मुअत्तल किये गये या मैनेजिंग कमेटी के द्वारा उस की स्वीकृति के बाद किये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

प्रबन्ध समिति ने किया है।

*२३-२४--श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२५--श्री रक्षपालसिंह--

[४ थे गुरुवार के लिये प्रश्न ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२६--श्री नाथूराम शिक्षक--

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*२७-२८--श्री बेदराम (जिला एटा)--

[४ थे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बृजवासी पब्लिकेशन्स, मथुरा का एटलस संबंधी पत्र

*२९--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग को १९ अक्तूबर, १९६३ को बृजवासी पब्लिकेशन्स, भूतेश्वर रोड, मथुरा ने एक पत्र भेजा था जिसके द्वारा यह मांग की गई कि कक्षा ६, ७, ८ के लिये विभिन्न एटलसों का मुकाबिला किया जावे और जो सर्वोत्तम हो उसे स्वीकृति प्रदान की जावे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट--तारांकित प्रश्न २९ श्री नाथूराम शिक्षक ने पूछा।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

प्रश्नगत प्रकाशक का पत्र दिनांक १९-१०-६३ शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हुआ था। उसमें मुकाबले के साथ यह मांग की गयी थी कि कक्षा ६, ७ व ८ के लिये ऐटलसों का नया "सबमिशन" आमंत्रित किया जाये। किन्तु ऐटलस बदलने की आवश्यकता नहीं समझी गयी अतएव उनकी प्रार्थना स्वीकार न की जा सकी।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री जी का ध्यान परसों के नेशनल हेरल्ड के इस समाचार की ओर गया है जिसमें काश्मीर को हिन्दुस्तान का अंग न दिखाकर पाकिस्तान का दिखाया गया है और सर्वसेवा संघ द्वारा प्रकाशित किया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैंने देखा नहीं है, आज देखूंगा।

बलरामपुर तहसील में टेस्ट वर्क के संबंध में शिकायत

*३०--श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलरामपुर तहसील, जिला गोंडा के अन्तर्गत जो टेस्ट वर्क चल रहा है जिसमें फैले भ्रष्टाचार अर्थात् ३, ४ सप्ताह तक मजदूरों को वेतन न देना, फर्जी मस्टर रोल भरने एवं सम्पन्न लोगों को ही मेट से ऊपर रखने के सम्बन्ध में जिलाधीश, सार्वजनिक निर्माण इंजीनियर गोंडा, परगनाधीश, बलरामपुर को कितनी शिकायतें रजिस्ट्री द्वारा मिली और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

एक रजिस्ट्री शिकायती पत्र मजदूरी ठीक समय से न मिलने के बारे में परगनाधीश, बलरामपुर को मिला। इस शिकायती पत्र को इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोंडा को ठीक समय से मजदूरी देने के लिये १३-७-६४ को भेज दिया गया था।

*३१--श्री सुखदेव प्रसाद--

क्या महाराजगंज टेस्ट वर्क इंचार्ज के भ्रष्टाचार करने के बारे में हाल में परगनाधीश एवं सहायक इंजीनियर, बलरामपुर जांच करने गये थे जिसमें कुछ लोग मस्टर रोल लेकर भाग गये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार शास्त्री--

परगनाधीश एवं सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जांच की थी। जो कुछ मस्टर रोल दोषपूर्ण पाये गये थे उनको उचित कार्यवाही हेतु, जांच की रिपोर्ट के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग में इंजीनियर के पास भेज दिया गया है। दोषी गैंग मुहर्रिरों को उनके पदों से हटा दिया गया है तथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा रही है।

*३२--श्री सुखदेव प्रसाद--

क्या पिछले मस्टर रोल को निकलवा कर ग्राम सभा-वाइज पुनः सरकार जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

सन्देहपूर्ण मस्टर रोलों की जांच पहले से ही सहायक इंजीनियर द्वारा कराई जा रही है।

श्री सुखदेव प्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टेस्ट वर्क में लगे जिन लोगों को पैसे नहीं मिले वे कितने दिनों के नहीं मिले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अब तो २७ हजार रुपये बाकी हैं। जिन मस्टर रोलों में सस्पिशन है उनकी जांच हो रही है।

श्री सुखदेवप्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो लोग भाग खड़े हुए वे कौन थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह तो मेरे पास सूचना नहीं है। नाम तो नहीं बताये जा सकते। जांच-पड़ताल हो रही है, जितने दोषी पाये गये, उनको पूरी सजा दी जायेगी।

श्री मैनेजरसिंह---

गैंगमैनों में कुछ गड़बड़ी पायी गयी थी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है और वे पदों से हटा दिए गये हैं। मेरी समझ में मस्टर रोल को तैयार करने की जिम्मेदारी ओवरसियर की होती है न कि गैंगमैन (मुहर्रिरों) की। तो उस गड़बड़ी की जिम्मेदारी उस ओवरसियर की होनी चाहिए जो मस्टर रोल बनाता है तो आपने उस ओवरसियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? मैं समझता हूं कि इसके लिए सम्बन्धित असिस्टेंट इंजीनियर का भी उत्तरदायित्व होता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जांच हो रही है और उसमें जितने इन्वाल्व पाये गये उन्हें सख्त सजा दी जायेगी।

श्री सुखदेवप्रसाद---

यह जो पैसा मजदूरों को टेस्ट वर्क में नहीं मिला उसमें ६ आने से १० आने तक दिया गया। ६ आने बच्चे को, ८ आने औरतों को और १० आने पुरुषों को और यह भी ६-६ हफ्ते तक पैसा नहीं दिया और मार्च से ही चलता रहा। असिस्टेंट इंजीनियर आदि से बातें की गयीं तो एक दूसरे के ऊपर अपना भार डालते रहे, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं और आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं सवाल समझा ही नहीं।

श्री सुखदेवप्रसाद---

मेरा सवाल यह है कि आज जहां.....

श्री अध्यक्ष---

आप कह रहे हैं कि अब जांच हो रही है। आप पूछ रहे हैं कि जो अनियमितताएं हुई हैं उनके जिम्मेदार कौन व्यक्ति हैं।

श्री सुखदेवप्रसाद---

मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसमें जो अनियमितताएं हुई हैं वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पी० डब्लू० डी० के आपस के झगड़े के कारण हुई हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

उनके खिलाफ जो दोषी पाये जायेंगे मैं बड़ी सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नया आदेश कितने दिन की मजदूरी देने के सम्बन्ध में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

रुपया तो दे ही चुके हैं।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ लोग मस्टर रोल लेकर भाग गये थे और उनके स्थान पर दूसरे मस्टर रोल तैयार किए गये ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---

जांच हो रही है। देखिए क्या निकलता है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

जहां-जहां भी ये टेस्ट वर्क होते हैं वहीं वहीं लोगों को तकलीफ होती है। उनको पैसे की आवश्यकता रहती है लेकिन नान-पेमेन्ट की हर जगह यही हालत है कि टेस्ट वर्क में काम करने वाले बेजा दिक होते रहते हैं। हमारे जिले में भी यही दशा है। तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे कि मजदूरों को समय पर पैसा मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जहां शिकायतें आती हैं फौरन से पेश्तर हुक्म दे दिया जाता है कि ऐसा न हो।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

ऐसी कोई परमानेन्ट व्यवस्था करेंगे कि ठीक समय पर मिल जाय ?

श्री अध्यक्ष--

राजस्व मंत्री न होते तो मैं इस प्रश्न को एलाऊ न करता, जैसा उन्होंने कहा आप विशेष जगह की शिकायतें करें तो वह देखेंगे।

*३३--३५--श्री द्विजेन्द्र नारायण (जिला बाराबंकी)--

[वापस ले लिये गये।]

दीक्षा विद्यालय, छिबरामऊ में ली गई जमीन का मुआवजा

*३६--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में तहसील छिबरामऊ के अन्तर्गत देवरापुर व सराय गूजरमल के गांवों के काश्तकारों की जमीन में दीक्षा विद्यालय, छिबरामऊ की इमारत बनी है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ३६-३८ श्री होरीलाल यादव ने पूछे।

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

जी हां।

*३७--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)--

अगर हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस इमारत के लिये इन जमीनों को लिये कितने साल हो गये और काश्तकारों को जमीन का मुआवजा दिया गया कि नहीं और यदि नहीं दिया गया, तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

इन जमीनों को शिक्षा विभाग द्वारा लिए ५ वर्ष हो गये हैं। काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि भूमि अध्याप्ति तथा मुआवजा आंकने सम्बन्धी समस्त कार्यवाहियां स्थगित कर दी गई थीं।

*३८--श्री कोतवालसिंह भदौरिया (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिस जमीन पर दीक्षा विद्यालय की इमारत बनी है इसमें इमारत बनने के पहले कितने पेड़ थे ? उनमें कितने सूख गये और कितने मौजूद हैं ? सूखे हुये पेड़ कितने में नीलाम किये गये या बेंचे गये ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

जिस जमीन पर दीक्षा विद्यालय की इमारत बनी है उसमें इमारत बनने के पहले खसरा १३६२ फसली के अनुसार २४ पेड़ थे किन्तु विभाग को जिस समय भूमि का अधिकार मिला उस समय २० पेड़ थे। दो पेड़ आदर्श विद्यालय भवन की साइट पर होने के कारण कटवाये गये। शेष १८ पेड़ मौजूद हैं जिनमें १ सूख गया है तथा १७ हरे हैं। कोई सूखा हुआ पेड़ बेंचा या नीलाम नहीं किया गया।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब उन काश्तकारों को मुआवजा दिलाने के सिलसिले में क्या कार्यवाही हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको दे दिया जाय। वास्तव में इसमें विलम्ब इस कारण हुआ कि किसानों ने उसे दुबारा नहीं मांगा। पहले एक बार इसे ड्राप कर दिया गया था जिससे बाकी कार्यवाही जिला मैजिस्ट्रेट ने नहीं की थी। इसलिये विलम्ब हुआ। देने न देने के कारण से नहीं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

जिस जमीन पर दीक्षा विद्यालय बना है उस जमीन की मालगुजारी कौन दे रहा है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

शिक्षा विभाग तो दे नहीं रहा है।

श्री दयाराम शाक्य--

इस जमीन का लगान काश्तकारों से वसूल किया जा रहा है उस समय से जब से विद्यालय खुल गया है, तो क्या सरकार वह सारा लगान वापस करने की कोशिश करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जो भी मांगेंगे और आपस में तय करने वाली बात होगी उसके लिये प्रयत्न किया जायगा।

श्री मैनेजरसिंह--

५ साल पहले शिक्षा विभाग ने विद्यालय के लिये जमीन ली थी और उसका लगान काश्तकार दे रहा है और उसको मुआवजा भी नहीं दिया गया है, तो क्या सरकार कोई ऐसे निश्चित आदेश जिलाधिकारियों अथवा विभागीय अधिकारियों को देगी कि जो भी जमीन ली जाय काश्तकारों से किसी कार्य के लिये एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत काश्तकारों को उनकी भूमि का मुआवजा मिल जाया करे और जिस दिन से भूमि ली जाय उसी दिन से काश्तकारों को उसके लगान से मुक्त कर दिया जाया करे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जब कोई संस्था जमीन एक्वायर करती है और उसकी जमीन आ जाती है तो हम मालगुजारी काट देते हैं।

श्री अध्यक्ष--

५ साल से नहीं भेज रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

रिपोर्ट अभी नहीं आई होगी या कब्जा नहीं हुआ होगा।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं कि लगान दिया जा रहा है या नहीं। लेकिन शिक्षा विभाग से नहीं दिया जा रहा है।

श्री मैनेजरसिंह--

श्रीमन्, हमारे जिले में रेलवे लाइन के निर्माण के लिये और लोगों को बसाने के लिये जमीन ली गई है। ८ साल से जमीन सरकार के कब्जे में आ गई है, लेकिन अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा बहुत सी जगह है।

श्री होरीलाल यादव--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि मुआवजे की कुल रकम कितनी है और मुआवजा किस रेट से दिया जा रहा है, बाजार भाव से या पुराने रेट से ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन् इस समय तो रेट ६३० रुपये २० नये पैसे बना था। लेकिन इस समय जो स्थिति है उसके निबटाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, जो जमीन ली गई है उसका रकबा क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, ७.८८ एकड़।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, यह समाजवादी सरकार उसका मुआवजा ६३० रुपये दे रही है ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २ पेड़ कट गये, एक सूख गया और १७ पेड़ बाकी हैं, उनका क्या हुआ और वे किस मद में रखे गये हैं ? अगर सूखा पेड़ मौजूद है तो इसको ध्यान में रखते हुये कि उसका खड़ा रहना अशुभ माना जाता है, उसको नीलाम करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, कोई चीज अशुभ नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर), श्री मैनेजरसिंह तथा श्री प्रेम सिंह--

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

ग्राम सभा, फिरोजपुर में पट्टे पर दी गई भूमि

२--श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा, फिरोजपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़, के किन-किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी ग्राम समाज की परती भूमि में से भूमि गत वर्षों में दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१९६० व १९६२ में पट्टे पर उठायी गयी भूमि का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है। १९६१, १९६३ व १९६४ में कोई भूमि नहीं उठायी गयी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८९८-८९९ पर)

३--श्री राम सुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को भूमि दी गयी है उनके पास पहिले से कितनी-कितनी भूमि है और भूमि प्राप्त करने के लिए प्रचार के कौन-कौन साधन गांव सभा के अध्यक्ष द्वारा अपनाये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

सूचना संलग्न सूची में दी हुई है। प्रचार मुनादी द्वारा हुई तथा भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों को लिखित सूचना दी गयी।

४--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा, फिरोजपुर में कितने भूमिहीन किसान हैं और उन्हें भूमि न मिलने के कारण कौन-कौन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अब केवल पांच हैं।

उन्होंने भूमि प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया।

सिकन्दरपुर-दहताल सड़क का ठेका

५---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दरपुर-दहताल रोड, जिला बलिया के निर्माण का ठेका किन-किन ठेकेदारों को कब-कब कितने-कितने मासों में पूर्ण कर लेने तथा कितने-कितने रुपये जमानत का लेकर दिया गया था ?

६---क्या निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन-किन ठेकेदारों ने ऐग्रीमेंट के अनुसार कार्य किया और किन-किन ने नहीं किया तथा कार्य न करने पर कितना-कितना जुर्माना किया गया ?

७---क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जुर्माना की रकम जमानत के रुपये में से कितनी-कितनी काटी गयी है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

वांछित* सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

रायबरेली जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

८---श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला राय बरेली के अन्तर्गत विभिन्न तहसीलों में कितने अग्निकाण्ड सन् १९६४ ई० में हुए हैं, और उनमें कहां-कहां पर कितने जानवर और आदमी मर गये हैं और कितने-कितने की क्षति हुई है तथा सरकारी सहायता कहां-कहां पर कितनी-कितनी दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जिला राय बरेली के अन्तर्गत विभिन्न तहसीलों में सन् १९६४ में ९२ गांवों में अग्निकाण्ड हुए। विभिन्न तहसीलों में जानवरों और आदमियों के मरने की संख्या, क्षति की मात्रा तथा दी गयी सरकारी सहायता का ब्योरा निम्न प्रकार है :---

तहसील का नाम	अनुमानित क्षति (रुपयों में)	मृतक मवेशियों की संख्या	मृतक व्यक्तियों की संख्या	दी गयी अहेतुक सहायता (रुपयों में)
१	२	३	४	५
महाराजगंज ..	१,२९,५४७.६९	३	—	८००
राय बरेली ..	२४,९५३.००	५	४	३७५
सालौन ..	६६,८०३.००	१२	५	२,५५०
डलमऊ ..	४,५४,१३२.००	११	४	१,३२५
योग ..	६,७५,४३५.६९	३१	१३	५,०५०

*छापी नहीं गयी।

सिधौली तहसील में लगान वसूली

९--श्री शिवेन्द्र प्रताप (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में १९६४ की रबी की फसल की छूट दो बार ठीक करने के बाद भी अभी तक नहीं बन पायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह सही है कि सिधौली तहसील की रबी १९६४ की फसल के छूट के विवरण (relief proposals) दुबारा जांच के लिए तहसील भेजे गये थे। लेकिन वे जांच के बाद वापस आ गये हैं और उन पर आवश्यक कार्यवाही हो चुकी है।

१०--श्री शिवेन्द्रप्रताप--

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि सिधौली तहसील में चार व पांच साल का पिछला बकाया इस वर्ष बड़ी सख्ती से वसूल किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

चार पांच साल का पिछला बकाया वसूल किया जा रहा है, किन्तु वसूली में कोई अनियमितता या सख्ती नहीं की जा रही है।

११--श्री शिवेन्द्रप्रताप--

क्या सरकार इस प्रकार के तुरन्त आदेश देने की कृपा करेगी कि उक्त तहसील में वसूली फौरन रोक दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

पूरी तहसील की सम्पूर्ण वसूली रोक देने का प्रश्न नहीं उठता। रबी की फसल में शीत लहर और पाला के कारण आवश्यकतानुसार मालगुजारी की वसूली तीन मास के लिए स्थगित कर दी गयी। अन्य मुतालबों की वसूली के स्थगन की भी कार्यवाही नियमानुसार की जा चुकी है।

१२--१४--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

१५-१६--श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

[१४ अगस्त, १९६४ के लिए प्रश्न संख्या २०-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नेशनल इन्टर कालेज, कादम्बरी, कानन पिंडरा, वाराणसी

१७--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, कादम्बरी, कानन पिंडरा, वाराणसी का इन्तजाम जिला विद्यालय निरीक्षक के हाथ में दे दिया गया है और मैनेजिंग कमेटी भंग है ? यदि हां, तो क्या जब से इन्तजाम जिला विद्यालय निरीक्षक के हाथ में है तब से विद्यालय की फास का रुपया जमा हो रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और जमा हुआ तो कितनी रकम अब तक जमा है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा एवं तीसरा भाग नहीं उठता।

१८--२०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

मालगुजारी में छूट

२१--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत मार्च एवं अप्रैल, सन् १९६४ में पड़ा हुवा ओर ओलों से प्रदेश के किन-किन जिलों में कितने-कितने रुपये की मालगजारी में छूट दी गयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९०० पर।)

टेस्ट वर्क

२२--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन जिलों में टेस्ट वर्क हो रहे हैं और उन पर अब तक कितना-कितना रुपया व्यय किया जा चुका है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

राज्य के निम्नलिखित चार जिलों में टेस्ट वर्क खोले गये थे उन में से अब केवल इलाहाबाद और गोंडा में टेस्ट वर्क हो रहे हैं। इन टेस्ट वर्क पर जो रुपया व्यय हुआ है उसका ब्योरा निम्न प्रकार है--

	रुपया
१--इलाहाबाद	२६८.४१
२--गोंडा	३,७१,२००.००
३--बांदा	५९,७८८.५०
४--बहराइच	५४,८०६.००

'काबिज' लिखने का अधिकार

२३--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि काबिज लिखने का आदेश प्रदेश के लेखपालों से छीन लेने का कोई दिया जा चुका है? यदि हां, तो उस आदेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी नहीं। सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति बैठाली थी और समिति की यह सिफारिश कि लेखपालों को काबिज लिखने का अधिकार न रहे मान लिया है। भू-लेख नियमावली (लैन्ड रिकार्ड मैनुअल) में संशोधन किये जा रहे हैं। संशोधन पूरा होते ही उस के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

२४--श्री नाथूराम शिक्षक--

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

२५-२६--श्री नाथूराम शिक्षक--

[१४ अगस्त, १९६४ के लिए प्रश्न २२-२३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

मंझनपुर तहसील में किसानों पर बकाया

२७--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर में कितने नागरिकों पर लगान तथा तकावी का कुल कितना रुपया ३१ मार्च, १९६३ तक का बकाया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के ५,४६० नागरिकों पर लगान तथा तकावी का कुल रु० ६५,७७७.६१ पै० ३१ मार्च, १९६३ तक का बकाया है।

२८--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर में किन-किन लोगों पर कितना-कितना रुपया बृहत जोतकर का बकाया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

३१ मार्च, १९६३ तक के बकाया बृहत जोतकर की सूचना इस प्रकार है --

क्र० सं०	नाम बाकीदार	बाकी रुपया
		रुपया
१	श्री माता बदल	६४.७०
२	श्री दुनियापत	७६.१४
३	श्री बनराज सिंह	८०.७४
४	श्री शिव भवन	३०.८८
	योग ..	२५२.४६

२९--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[४थे शुक्रवार के लिए स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ जिले में सड़कों का निर्माण

३०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में भारत सरकार की सहायता से पटेल कमीशन की संस्तुति पर कौन-कौन सड़कें कितने-कितने रुपये के अनुमानित व्यय पर कब-कब बनने वाली हैं?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

प्रश्न में उल्लिखित सड़कों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है। इन सड़कों का सर्वेक्षण तथा आगणन तैयार किये जा रहे हैं, जैसे-जैसे ये तैयार होते जायेंगे निर्माण-कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ९०१ पर।)

३१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी-मोहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ की सड़क का निर्माण हो गया? यदि हां, तो मोहम्मदाबाद में टोंस नदी पर पुल बनाने की योजना क्या है और वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं, इस मार्ग पर निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है, टोंस नदी पर पुल बनाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश के ४ पूर्वी जिलों की योजना में शामिल कर लिया गया है, इसका आगणन तैयार किया जायेगा। आशा कीजाती है कि आगणन के तैयार होने के बाद निर्माण में लगभग ३ वर्ष लगेंगे।

३२-३३—श्री नाथूराम शिक्षक—

[१३ अगस्त, १९६४ के प्रश्न १४-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, जितने भी तारांकित प्रश्न हैं उनमें २० प्रश्न ऐसे हैं जो आज के लिये रखे थे, वे हटा दिए गये हैं। जिन के यह प्रश्न थे उन्होंने इसके लिये तैयारी की और जब वे सदन में आये तो मालूम हुआ कि हटा दिये गये तो इसका क्या कारण है? श्रीमन्, आप व्यवस्था दें कि ऐसा भविष्य में न हो कि जो प्रश्न निश्चित कर दिये जायं वह उस समय न आ सकें।

श्री अध्यक्ष—

आपका कोई प्रश्न स्थगित नहीं हुआ।

श्री सुखदेवप्रसाद—

श्रीमन्, मेरे भी कल दो प्रश्न आये थे लेकिन आज नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री नाथूराम शिक्षक के खड़े होने पर) आप इसके बाद कहिएगा।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४

सहायक सचिव विधान, सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेंज पर रखता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९०२-९०३ पर)

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

मेरे प्रश्न को अतारांकित बना दिया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न का उत्तर तो यहां नहीं दिया जा सकता ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, उसको माननीय उपाध्यक्ष ने कृपा करके स्वीकार किया था । लेकिन वह आज एजेंडे में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

हम कैसे मान लें, जब तक देखें नहीं कागज ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

तो देख लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, देख लेंगे ।

उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालयों तथा सहायता एवं मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बीच वेतन तथा सेवा शर्तों आदि में समानता स्थापित करने के संबंध में याचिका

श्री विपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालयों तथा सहायता एवं मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बीच वेतन तथा सेवा की शर्तों आदि में समानता स्थापित करने के संबंध में अध्यापकों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

[सेवा में,

आदरणीय सदन,
विधान सभा, उत्तर प्रवेश ।

मान्यवर,

उत्तर प्रवेश राजकीय विद्यालयों तथा सहायता एवं मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के बीच वेतन तथा सेवा की शर्तों आदि में समानता स्थापित करने के

[ ] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार पढ़ी हुई मानी गई ।

संबंध में श्री श्रीनिवास तिवारी, अध्यापक डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ आदि की याचिका :—

हम याचकगण प्रार्थना करते हैं :—

(१) यह कि प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिये दो प्रकार के विद्यालय चलते हैं—(अ) राजकीय तथा (ब) सरकार द्वारा सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय ।

(२) यह कि दोनों प्रकार के विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन तथा सेवा की शर्तों आदि में बहुत असमानता व्याप्त है ।

(३) यह कि दोनों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्तें समान होने पर भी एक ही स्तर के राजकीय विद्यालय के अध्यापकों का वेतन, वेतन-वृद्धि, महंगाई भत्ता की दर आदि गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों से अधिक हैं ।

(४) यह कि गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को सरकार से निःशुल्क चिकित्सा आदि की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है जब कि राजकीय विद्यालय के अध्यापकों को प्राप्त है ।

(५) यह कि उपरोक्त सभी बातें समान कार्य के लिये समान वेतनों के सिद्धांत से सर्वथा विपरीत हैं ।

(६) यह कि काफी समय से विधान मंडल तथा उसके बाहर एवं अध्यापकों, अभिभावकों तथा राजनैतिक दलों द्वारा यह मांग की जा रही है कि राजकीय तथा गैर-सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के लिये सभी स्तरों पर समानता स्थापित कर दी जाय ।

(७) यह कि केरल राज्य की सरकार द्वारा उक्त असमानता समाप्त कर दी गयी है ।

(८) यह कि सरकार द्वारा उक्त मांग की बराबर उपेक्षा करने से जनता में सरकार के प्रति असंतोष की भावना व्याप्त हो रही है ।

अस्तु हम याचकों की प्रार्थना है कि आदरणीय सदन सरकार को यह आज्ञा दे कि वह राजकीय माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों एवं गैर-सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के बीच वेतन, वेतन-वृद्धि की दर, अधिकतम वेतन, दक्षता रोक, सेवा की शर्तें, महंगाई भत्ता तथा अन्य सभी राजकीय सुविधाओं की दृष्टि से समानता स्थापित करें ।

भवदीय—

क्रम-सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
१	श्री श्रीनिवास तिवारी	अध्यापक, डी०ए०वी० कालेज, लखनऊ	श्रीनिवास तिवारी
२	श्री रामकुमार मेंहरोत्रा	अध्यापक, कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ एवं मंत्री, जनसंघ, लखनऊ ।	आर० के० मेहरोत्रा
३	श्री बच्चन सिंह ..	अध्यापक, जिलामंत्री, भारतीय जनसंघ, गाजीपुर ।	बच्चन सिंह
४	श्री बाबूराम शुक्ल	अध्यापक, आर्यनगर कालेज, कानपुर	बाबूराम शुक्ल
५	श्री महादेवी प्रसाद त्रिपाठी ।	अध्यापक, प्रयाग	महादेवी प्रसाद त्रिपाठी ।

हस्ताक्षर प्रमाणित

बिपिन बिहारी तिवारी,

सदस्य, विधान सभा ।

२९—७—६४]

श्री अध्यक्ष—

ठीक है वह पढ़ी हुई समझी गई और मैं इसको याचिका समिति को भेजता हूं।

नारायणी नदी के कटाव से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में मैंने माननीय श्री नरसिंह नारायण पांडेय, माननीय राज नारायण मिश्र और माननीय रामग्रवध सिंह की सूचना को स्वीकार किया है। इसमें लिखा है: "नारायणी नदी 'नेपाल बांध' के नीचे जो अभी तक बांध नहीं बन पाया है की ओर से अपनी धारा बदल रही है और प्रतिदिन ५० गज की दर से कटाव कर रही है। गोरखपुर, महराजगंज तथा फरेंदा तहसील के किसानों को उपरोक्त नदी के कटाव से जनजीवन को खतरा पैदा हो गया है जिससे भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्जीनियर रोकथाम के हेतु अवश्य गये हैं परन्तु नदी पर तेज धार तथा कटाव होने के कारण काबू पाने में असमर्थ हो गये हैं जिससे चिंतनीय स्थिति गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में व्याप्त हो गई है।" माननीय मंत्री कब वक्तव्य देंगे ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

सोमवार को इस पर वक्तव्य दे देंगे।

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ तथा श्री गणेशशंकर मेडिकल कालेज, कानपुर में परिगणित जाति के छात्रों के लिये सुरक्षित स्थानों की सुविधा समाप्त करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री मन्नालाल और श्री उग्रसेन द्वारा अभिसूचित लखनऊ स्थित के० जी० मेडिकल कालेज तथा कानपुर स्थित श्री गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज में शिक्षा प्राप्त करने के लिये जो छात्र भर्ती किये जाने से गतवर्ष तक उनमें परिगणित जाति वालों के लिये एक निश्चित संख्या सुरक्षित रहती थी परन्तु सरकार ने इस वर्ष परिगणित जाति के छात्रों को प्रदत्त सुविधा समाप्त कर दी है। इस पर मंत्री जी कब तक वक्तव्य देंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

इससे स्वास्थ्य मंत्री से संबंध है मुझसे नहीं।

चिकित्सा मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

मैं मंगलवार को वक्तव्य दे दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह बहुत महत्वपूर्ण है। आजतक हरिजन और परिगणित जातियों के विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व होता था लेकिन इस वर्ष जो विद्यार्थियों के प्रार्थना-पत्र मांगे गये हैं उसमें यह शर्त हटा दी गई है और उनके लिये कोई प्रतिनिधित्व रखा नहीं गया है।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में तो एक लिया जाता है वह मैंने ले लिया था। मैं इसको कहिए तो खारिज कर दूं। मैंने तो चाहा कि इस पर वक्तव्य ही आ जाय।

श्री उग्रसेन--

खारिज करने के लिये तो मैं नहीं कहूंगा । आपको अधिकार है सब कुछ । आप पूछ लीजिए न धर्मसिंह जी से, चुप क्यों हैं, सीताराम जी से पूछिए , यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है । सब मेरे पास यह मसाले हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, उस रोज मालूम हो जायगा ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अनशन के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

पिछले शिक्षा सत्र में गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने यूनियन के अध्यक्ष के पद के निर्वाचन पर आपस में बहुत झगड़ा किया, अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार किया तथा उन्हें अपशब्द कहे । उन शिकायतों को सुनने के लिए उपकुलपति ने एक समिति बनाई जिसके सदस्य फैकल्टीज के डीन, प्राक्टर तथा वार्डन थे । समिति ने जांच की और बहुत से व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त की । जब समिति इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी उसी बीच सुरेश पांडे ने उनकी निम्नांकित दो मांगें मंजूर न होने पर भूख हड़ताल करने की धमकी दी :

१--समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाय चाहे उनकी उपस्थिति कितनी ही हो, और उन विद्यार्थियों को भी जिनके नाम फीस न देने के कारण नियमानुसार काट दिये गये हैं परीक्षा में सम्मिलित होने दिया जाय और उनको बाद में फीस जमा करने की अनुमति दी जाय । उनके परीक्षाफल फीस जमा करने तक रोक लिये जायं ।

२--उपकुलपति के लिए इन मांगों को स्वीकार करना संभव न था । फलस्वरूप सुरेश पांडे ने २४ फरवरी, १९६४ से भूख हड़ताल आरंभ कर दी और बाद में अनिल कुमार उपाध्याय भी २६ फरवरी, १९६४ से उनके साथ सम्मिलित हो गये । चूंकि उपकुलपति उपरोक्त दो मांगों को स्वीकार न कर सके, उन्होंने भूख हड़तालियों को चेतावनी दी कि वे भूख हड़ताल समाप्त कर दें अन्यथा उन्हें रस्टीकेट कर दिया जायगा । उन्होंने लालता सिंह और वीरेन्द्र कुमार सिंह को भी चेतावनी दी कि वे भूख हड़तालियों को किसी प्रकार की सहायता तथा प्रोत्साहन न दें अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

३--भूख हड़ताल समाप्त होने के पश्चात् सुरेश पांडे, दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, वीरेन्द्र कुमार सिंह और रामहरख यादव ने प्रस्तोता के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके कार्यालय में उपद्रव मचा दिया और चेकबुक जिस पर वह हस्ताक्षर कर रहे थे छीन ली । इसके पश्चात् सुरेश पांडे तथा दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव ने रजिस्ट्रार तथा उपकुलपति को अपशब्द कहे और दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव ने श्री बी० बी० सिंह, सहायक प्राक्टर पर हाथ उठाया । जांच करने के बाद उपकुलपति ने सुरेश पांडे, दिनेशचन्द्र श्रीवास्तव और वीरेंद्र कुमार सिंह को १९६४-६५ के सत्र के अन्त तक निष्कासित (एक्सपेल) कर दिया । जून, १९६४ में समिति ने सिफारिश की कि दस विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश करने की अनुमति न दी जाय । इन दस विद्यार्थियों में कल्पनाथ राय, दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव और वीरेन्द्र कुमार सिंह भी थे ।

४--इस वर्ष जुलाई, १९६४ में जब विश्वविद्यालय पुनः खुला तो सर्वश्री कल्पनाथ राय, दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव और वीरेंद्र कुमार सिंह ने उपकुलपति से विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश पाने के लिये प्रार्थना की । उपकुलपति ने अपनी असमर्थता प्रकट की और कल्पनाथ राय और वीरेन्द्र कुमार को यह राय दी कि इस समय उनका प्रवेश नहीं किया जा सकता, लेकिन वे बाद में उनसे मिल सकते हैं और उनको यह बता दिया जायगा कि विश्वविद्यालय उनके विषय में क्या कर सकता है । बाद में सर्वश्री लालता सिंह, विद्यासागर पांडे और दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव

ने यह मांग को कि उपर्युक्त तीनों छात्रों को जो दंड दिया गया है वह वापस लिया जाय और उनको पुनः विश्वविद्यालय में भर्त्ती कर लिया जाय । इस पर उपकुलपति ने उनको यह आश्वासन दिया कि उनकी जो मांग उचित होगी उस पर ध्यान दिया जायगा । इस आश्वासन से छात्र संतुष्ट नहीं हुए और दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव (एम० ए० प्रीवियस अंग्रेजी) ने २८ जूलाई १९६४ को भूख हड़ताल आरम्भ कर दी ।

५—सर्वश्री कल्पनाथ राय, ललता सिंह और दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव, जो अब विश्वविद्यालय के छात्र नहीं थे और जिन्हें पुनः भर्ती नहीं किया गया था दंगा मचाना शुरू कर दिया । वे लाउड स्पीकर लेकर विश्वविद्यालय में चारों तरफ घूमे और जहां कक्षाएं लगी थीं उन कमरों में घुसकर लड़कों को पढ़ने से रोकने लगे । दो बार वे लोग हिंसात्मक भी हुए और कमरों को खिड़कियों के शीशों को तोड़ डाला । अध्यापकों को प्रायः कमरों के दरवाजों को बन्द करके पढ़ाना पड़ा । इसके अतिरिक्त उन्होंने अध्यापकों तथा उपकुलपति को अपशब्द कहे और उपकुलपति की कार को जला देने तथा उनके घर को फूंक देने को धमकी दी । जब वातावरण अत्यधिक खराब हो गया तो प्राक्टर ने उपकुलपति की सलाह पर दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव को पहली अगस्त को शाम को चार बजे तक भूख हड़ताल समाप्त करने का नोटिस दिया अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी । विश्वविद्यालय केअनुशासन के नियमों के अनुसार भूख हड़ताल करना अनुशासन भंग करने का गंभीर अपराध है जिसके लिए छात्र को दंड दिया जा सकता है जिसके अन्तर्गत रस्टीकेशन भी हो सकता है ।

६—दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव के चाचा तथा चचेरे भाई एक अगस्त को सांयकाल ५ बजे प्राक्टर से मिले और उन्होंने भूख हड़ताल छड़वा देने के लिये कुछ और समय मांगा।

भूख हड़ताल करने वाले छात्र की मां ने भी उसे भूख हड़ताल छोड़ देने के लिये समझाया बुझाया, लेकिन फिर भी कुछ नतीजा नहीं निकला । इसलिये उपकुलपति ने विश्वविद्यालय के नियमानुसार दुर्गाप्रसाद श्रीवास्तव को १ अगस्त, १९६४ को सांयकाल ७ बजे वर्तमान सत्र के अन्त तक के लिये रस्टीकेट कर दिया।

७—अगस्त २ को सर्वश्री लालता सिंह, कल्पनाथ राय और दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव लाउड स्पीकर लेकर शहर में घूमे और इंटरमीडिएट कालेजों के छात्रों से विश्वविद्यालय में १२.३० बजे दिन को जमा होने के लिये अपील की और वहां से एक जलूस बनाकर उपकुलपति के निवास स्थान की ओर चल पड़े । शांति भंग होने की आशंका देखकर उपकुलपति ने जिला अधिकारियों से दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि रस्टीकेशन के पश्चात् अब विश्वविद्यालय के छात्र नहीं रहे थे विश्वविद्यालय की परिधि से बाहर हटा ले जाने की प्रार्थना की है ।

८—चूंकि सर्वश्री लालतासिंह, कल्पनाथ राय तथा दिनेशचन्द्र श्रीवास्तव विश्वविद्यालय तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं की शांति भंग करने पर तुले हुये थे, जिला अधिकारियों ने उन तीनों को ३ अगस्त, १९६४ को विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिया और उन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया। श्री दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव को भी पुलिस ने इंडियन पीनल कोड की धारा ३०९ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया और उसे डिस्ट्रिक्ट जेल में ले गये जहां भूख हड़ताल समाप्त हो गई ।

९—विश्वविद्यालय तथा अन्य शिक्षा संस्थायें शांतिपूर्वक कार्य कर रही हैं । किसी छात्र की गिरफ्तारी नहीं की गई ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के भ्रष्टाचार के विरूद्ध यूनियन के नेता लालता सिंह और कल्पनाथ राय ने उत्तर प्रदेशीय सरकार के शिक्षा विभाग और महामहिम राज्यपाल को एक पत्रक भेजा था कि वहां पर वाइस चांसलर भ्रष्टाचार करके मास्टर और प्रोफेसरों के दो दल बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इससे नाराज होकर वाइस चांसलर ने आरोप लगाकर उनको जल भिजवाया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

कोई पत्र दिया होगा, पत्र आते रहते हैं। इस समय मुझे उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है किंतु यह बात कि वाइस चांसलर ने उनके इस विरोध के कारण इस तरीके की कार्यवाही की है, सही नहीं है।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी सूचना देंगे कि वाइस चांसलर ने कितने विद्यार्थियों को इस साल अपने यहां यूनिवर्सिटी में नाम लिखने से मना कर दिया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जैसा मैंने अपने वक्तव्य में निवेदन किया है कि पिछले वर्ष जो परिस्थिति पैदा हो गई थी उस पर एक समिति बैठाई गई और उस समिति ने १० विद्यार्थियों के लिये यह कहा कि इनको अगले वर्ष प्रवेश न दिया जाय। उसके बाद इन १० विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया और वहां की सामान्य कार्यवाही चलती रही। इन १० विद्यार्थियों के प्रवेश की इस वर्ष जब बात आई तो उपकुलपति ने प्रारंभ में उनसे यह कहा कि हम यह नहीं कहते कि तुमको दाखिल नहीं करेंगे। बाद में आओगे तो देखा जायगा। इस बीच में उन्होंने दंगा फिसाद करना शुरू कर दिया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है या जांच करके जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिन १० विद्यार्थियों को निकालने का नोटिस दिया गया था उसके खिलाफ वे कोर्ट में गये थे और उसके बाद सिविल कोर्ट में वाइस चांसलर के खिलाफ कन्टेम्पट का केस चल रहा है इसलिये कि सिविल कोर्ट ने आर्डर दिया था जो कि उनका आर्डर है वह मैलफाइडी और वह ऐसा नहीं कर सकते इसके बावजूद भी वह उनको नहीं ले रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मुझसे ज्यादा जानकारी माननीय सदस्य को होगी। इस समय मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कोई मुकदमा चल रहा है और उसके क्या ईशूज हैं।

श्री शिव्वनलाल सक्सेना (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को मालूम है कि पारसाल १७ मार्च को दिनेशचन्द्र श्रीवास्तव तथा कई अन्य विद्यार्थियों को इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था और इस पर उन्होंने सिविल सूट दायर किया था। इस पर कोर्ट ने इंजेन्कशन दिया कि उनको बैठाया जाय फिर भी उनको उन्होंने इस वजह से बैठने नहीं दिया कि उनकी अटेन्डेंस शार्ट है। इसके बाद फिर उन्होंने जज के यहां दरख्वास्त दी। जज ने यह आर्डर दिया कि उनकी अटेन्डेन्स गिनी जाय और यह कहा कि इनसे कम अटेन्डेन्स वाले अगर बैठते हैं तो इनको बैठने दिया जाय, लेकिन वाइस चांसलर ने कमेटी को जांच नहीं करने दी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जो सूचना मेरे पास है वह यह है कि पिछले वर्ष कुछ विद्यार्थियों को इस बात के लिये परीक्षा मे बैठने से रोका गया कि उनकी उपस्थिति नियमानुसार नहीं थी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नियम के अनुसार विद्यार्थी की उपस्थिति ७५ प्रतिशत होनी चाहिये, लेकिन पिछले वर्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय ने कुछ सुविधा दी और ४५ प्रतिशत तक जिनकी उपस्थिति थी उनको इम्तहान में बैठने की आज्ञा दे दी। जिनकी उपस्थिति इससे कम थी उनको बैठने की आज्ञा नहीं दी और इसके अन्तर्गत कुछ लोग रोके गये। सामान्य रूप से मेरी यह जानकारी है कि कुछ विद्यार्थी इस के लिये अदालत में गये और कुछ विद्यार्थियों को अदालत ने यह आदेश

दे दिया कि उनको परीक्षा में बैठने की इजाजत दी जाय और मैं यह समझता हूं कि जब किसी न्यायालय का आदेश हो गया तो उपकुलपति ने उसको माना ही होगा ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जब से कायम हुआ है उपकुलपति से कुछ न कुछ झगड़ा विद्यार्थियों का चलता ही रहा और वह दिन व दिन उग्र होता गया। उसकी स्थिति प्रायः वैसी ही हो गयी जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय की श्री काली प्रसाद भटनागर के जमाने में थी। इसलिये क्या सरकार इस बात की जांच के लिये कि वाइस चांसलर की या विद्यार्थियों की कितनी जिम्मेदारी है कोई हाई पावर कमेटी बनाने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--

आज तो प्रश्न विद्यार्थियों के विषय में किया गया था । विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दंगा फसाद करें या अनुशासन तोड़ें यह उचित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी में अगर कोई अन्य बातें हों कि जिससे विश्वविद्यालय की व्यवस्था में कोई परेशानी हो तो वह मुझे लिख कर दें, उन पर जो आवश्यक कार्यवाही होगी वह अवश्य की जायगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मैंने नियम ५२ के प्रश्न में जो बलिया सतीशचन्द्र डिग्री कालेज के निष्कासन की बात कही है वह गोरखपुर यूनिवर्सिटी के मातहत है और मेरे पास बलिया के प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट है जो १७ अप्रैल को उस लड़के को दिया गया है। १७ अप्रैल को जो लड़का निष्कासित किया गया उसके लिये वह सर्टिफिकेट में कहते हैं कि "हिज बिहेवियर इज प्रेजवर्दी"। और उसके बाद ही उस का निष्कासन हुआ है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लड़का साल भर बहुत अच्छा रहा, नेकचलन रहा और जिस के बारे में कोई शिकायत नहीं है वह छुट्टी के दरम्यान कौन सी बात के कारण बाद में रस्टीकेट कर दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, सामान्य रूप से यह बात कहना सिद्धांतन कि जिस का व्यवहार आज तक अच्छा रहा, या एक साल तक अच्छा रहा, वह अगले रोज खराब नहीं हो सकता, मानने योग्य नहीं है, लेकिन जिस विद्यार्थी के विषय में विशेष रूप से कहा जा रहा है यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उस के विषय में विशेष रूप से देख कर बतला दिया जायगा ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

इसी सदन में एक गैर सरकारी प्रस्ताव के सिलसिले में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने कुनबापरस्ती, अधिकारियों की नियुक्ति में पक्षपात, विद्यार्थियों के ऐडमीशन में गड़बड़ी के संबंध में सारे जार्जेज प्रस्तुत किये थे और कहा था कि यह गड़बड़ी होती रहेगी। माननीय शिब्बनलाल जी ने एक पुस्तिका लिखी थी कि वहां क्या गड़बड़िया हैं। तो क्या मंत्री जी ने अब तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में कोई जांच करायी है ? और करायी है तो उसका क्या नतीजा निकाला और अगर नहीं करायी है तो क्या मंत्री जी कोई हाई पावर कमीशन, जसा कि श्री झारखन्डे राय जी का सुझाव था ऐसा अप्वाइंट करेंगे कि जो महज विद्यार्थियों के बारे में अपनी रिपोर्ट न दे बल्कि मैनेजमेंट और कौंसिल और गुटबंदियों के संबंध में भी अपनी सिफारिश दे और पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट दे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

विश्वविद्यालय ऐसी ऐसी संस्था नहीं है जिनके संबंध में रोज-रोज इंक्वायरी की जाया करे। माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही थीं, उनके संबंध में जो कुछ जानकारी का तरीका है उस तरीके से जानकारी की ही जाती है, किंतु जहां तक इस बात की मांग है कि उसके लिए कोई हाई पावर कमेटी बैठाई जाय, तो अभी तक कोई बात शासन के सामने नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि सतीशचन्द्र महाविद्यालय की यूनियन के अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार इसलिए निष्कासित किये गये क्योंकि उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी की मातहती में जो सतीशचन्द्र कालिज में धांधली फैलाई गयी कि कनवोकेशन की फीस लेकर कनवोकेशन नहीं किया गया· उस संबंध में मंत्री जी को और वहां के वाइस-चांसलर को मेमोरेंडम दिया था और उस पर कार्यवाही की गयी कि तुम ने यह अनुशासन के खिलाफ कार्यवाही की है। दूसरी बात यह थी कि कालेज के स्टूडेंट्स की डिमांड को लेकर वह गये। ये बातें हैं तो इसमें कौन-सी ऐसी बात हो गयी जिसके कारण उनको निष्कासित करने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अगर यह आप लिखकर देंगे तो मैं जांच कर लूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इसकी सूचना उनके पास है नहीं, अध्यक्ष महोदय। सारे कागजात मेरे पास हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको स्थगित रखें और सारी इंक्वायरी और जांच करा लें। यह गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने मन से चल रहा है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार इन विद्यार्थियों के खिलाफ अटेंप्ट टु कमिट सुसाइड का मुकदमा चलाने के लिये तैयार है या नहीं ? दूसरे विद्यार्थियों ने इतनी उद्दंडता की है तो काफी सजा उनको देंगे या नहीं ताकि अन्य विश्वविद्यालयों में फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि विद्यार्थियों के ऊपर आगे का भविष्य निर्भर है, उनके साथ सहानुभूति रखी जाती है जब तक वह एक सीमित दायरे में काम करते हैं। अगर उससे बाहर निकल जायं और विद्याध्ययन के स्थान पर दूसरे असामाजिक काम करने लग जायं या दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता का हरण करने में दिलचस्पी रखते हों तो उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्यवाही की जायगी जैसी अन्य नागरिक के खिलाफ की जा सकती है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे, जिन विद्यार्थियों द्वारा शीशे तोड़े गये और तमाम नुकसान किया गया, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में है कि नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सदन में जो रिपोर्ट पढ़ी गई है, उपकुलपति महोदय की रिपोर्ट के आधार पर पढ़ी गई है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

तो क्या आपको पूरी-पूरी २ इत्तिला नहीं मिली ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन्, मुझे अपने प्रश्न को पूरा कर लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

आपको फिर टाइम दे देंगे ।

श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)---

पिछले वर्ष जब इम्तिहान देना था तो उस समय अधिकांश विद्यार्थियों को इम्तिहान देने से इस बिना पर रोक दिया गया कि उनकी अटेन्डेन्स कम थी जबकि अपने खास आदमियों के लड़कों को एलाऊ किया गया जब कि उनकी भी अटेंडेन्स ४५ फीसदी से कम थी ?

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, हो सकता है कि पिछले वर्षों में ४५ फीसदी अटेंडेन्स वाले विद्यार्थियों को आज्ञा न दी गई हो । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि भिन्न-भिन्न विद्यालयों में कितने पर्सेन्टेज पर आज्ञा दी गई । किन्तु पिछले वर्ष हमारी सूचना के अनुसार इस बात के ऊपर यह जोर दिया था कि ४५ फीसदी तो कम से कम विद्यार्थियों को उपस्थित होना ही चाहिये यद्यपि नियम के अनुसार ७५ फीसदी शायद ७३ फीसदी निर्धारित है । उसको घटाकर ४५ फीसदी रख दिया गया है । अतः श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि वे विद्यार्थियों में ऐसी भावना न पैदा करें कि वे विश्वविद्यालय में तो रहें, किन्तु हाजिर न हों ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

. मैं श्रीमन्, पूछ रहा था कि जो शीशे वगैरह तोड़े गये, उसकी रिपोर्ट थाने में हुई कि नहीं ? और नहीं हुई तो क्या जो उप-कुलपति ने रिपोर्ट दिया है, उसी रिपोर्ट को सही माना जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश---

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब इस माननीय सदन में हमारे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि विश्वविद्यालयों को ऊंचा स्थान मिलना चाहिये, उसे आटोनामस बाडी होना चाहिये, और आज एक उपकुलपति के ऊपर अविश्वास किया जाता है । मान्यवर, इसकी पुलिस में रिपोर्ट की गई है कि नहीं, इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी गया है कि वहां विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विद्यार्थियों के बीच में इस बात को लेकर भी बड़ा आक्रोश और कटुता उत्पन्न है कि वहां परीक्षाओं का संचालन करने में, कापियां जांचने में तथा नतीजे बनाने में धांधली की जाती है । ८० प्रतिशत तक लड़के फेल होते हैं और ऐसी परिस्थितियां भी देखने में आती हैं कि कुछ लड़के परीक्षाओं में बैठते तक नहीं है, किन्तु सोर्स से पास कर दिये जाते है। सारे उत्तर प्रदेश को इस बात से असन्तोष है । तो क्या माननीय मंत्री जी कोई जांच कमेटी बैठा कर परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---

माननीय सदस्य ने आज तक तो कभी ऐसे बिचार व्यक्त किये नहीं और न लिख कर ही दिया, अन्यथा उस पर विचार अवश्य होता ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

गोरखपुर यूनिवर्सिटी को जो दुर्गति है, उसके बहुत से कारण हैं, और उन पर अभी हमारे उधर के सदस्यों ने प्रकाश डाला है । अभी माननीय मन्त्री जी ने बड़े जोर से खेद प्रकट किया कि यह सदन वाइस-चान्सलर के ऊपर अविश्वास प्रकट करता है, किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप इस विषय में इन्क्वायरी कमेटी नहीं बैठायेंगे तो मैं निश्चित रूप से कहे देता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की दशा और गड़बड़ हो जावेगी । अतः मैं माननीय मन्त्री

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

जी से पुनः निवेदन करता हूं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी की गड़बड़ियों की जांच, जांच कमेटी द्वारा, कराने की कोशिश करें ।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि लिखकर दे दीजिये तब विचार करेंगे ।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी को याद है कि इसी संबंध में मैंने कहा था कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के संबंध में लालता सिंह जी और केशव नाथ राय जी ने इस आशय की दरख्वास्त दी थी कि वाइसचांसलर का चाचा अंधा है, दिखता नहीं है, उससे पढ़ाया नहीं जाता है, उनको पेंशन देकर हटा दिया जाय । इस प्रकार उनकी तो पुरानी दुश्मनी चली आती है । श्री शिब्बन लाल सक्सेना के नेतृत्व में एक कमेटी इसके सब मामलों की जांच करने के लिये बैठायी गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वाइचांसलर का आचरण भ्रष्ट है । इसके अलावा और भी कमेटियों ने रिपोर्ट दी । कल्पनाथ सिंह जी और गेंदा सिंह जी ने भी रिपोर्ट दीं । तो क्या सरकार वाइस चांसलर के आचरण संबंधी जांच करायेंगे और वाइसचांसलर को मोअत्तल करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मेरे सामने जो चीज आयेगी उस पर जो आवश्यक कार्यवाही होगी, वह की जायेगी । माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होना चाहिये कि यूनिवर्सिटी के बारे में एक कमीशन नियुक्त भी किया गया है । उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है, जो सदन के सामने उपस्थित की जायगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यूनिवर्सिटी आटोनामी के मानी यह नहीं है कि वाइस चांसलर स्वेच्छाचारिता का व्यवहार करे यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेग्युलेशंन के खिलाफ । वाइस चांसलर जब लखनऊ चाहे अपने ही काम से आता हो दिखाया यह जाता है कि यूनिवर्सिटी के काम से आये । इसी प्रकार सतीशचन्द्र महाविद्यालय डिग्री कालेज में एक इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को प्रशासक बना रखा है, वह भी विद्यालय की सारी लकड़ी को कटवाये ले रहा है और सारे सामान को चोरी किये ले जा रहा है। इस प्रकार से इस कालेज और यूनिवर्सिटी में जो वहां की संपत्ति का अपहरण हो रहा है, इसके खिलाफ जो विद्यार्थी आवाज उठा रहे हैं, उनको निष्कासित किया जा रहा है ।

श्री कैलाशप्रकाश—

जहां तक विद्यार्थियों और अध्यापकों के संबंधों का सवाल है इस संबंध में जांच कराना हितकर न होगा, लेकिन जहां तक अनियमितताओं का संबंध है, अगर वे सामने आयेंगी तो उन पर अवश्य कार्यवाही की जायगी ।

उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४

(श्री अध्यक्ष द्वारा मुख्य मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इस पर मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है । माननीय मंत्री जी जो भाषा संबंधी बिल के लिये आपकी अनुज्ञा मांगने जा रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

जब वे उसकी अनुज्ञा मांगने का प्रस्ताव रखें तब आप विरोध करें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो बिल माननीय मंत्री जी पेश करना चाहते हैं मैं उसी का विरोध करना चाहता हूं। आप मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस ...

श्री अध्यक्ष—

पहले आप उनको प्रस्ताव पेश तो कर लेने दीजिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह आ ही नहीं सकता। एजेंडे पर यह चीज आ गयी है इसलिये मैं इसको रेज करता हूं। श्रीमन्, आप मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के पेज ४७१ पर देखें "इन्ट्रोडक्शन आफ्टर नोटिस" हैडिंग के अन्तर्गत—

"When on the day appointed the notice is called on the Peer in whose name it stands explains his motives in presenting the Bill and moves the first reading. A debate may then take place, not so much on the merit of the actual bill, the contents of which are not yet available to the House, but rather on the question whether legislation on the subject, as outlined in the introductory speech, is desirable".

हाउस आफ कामन्स में यह प्रथा रही है कि जब वहां कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वह हाउस को एक्सप्लेन करता है कि इसका उद्देश्य क्या है। जब आदरणीय सदन का कोई सदस्य या विरोधी पक्ष यह समझता है कि इस बिल या मुद्दे पर इस समय कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है तो उस पर पहले बहस होती है और फिर अगर हाउस आफ कामन्स चाहता है तो उसे अनुज्ञा देता है, लेकिन यहां की प्रथा यह रही है कि आप चाहते हैं तो उसे अनुज्ञा दे देते ह। तो मैं चाहता हूं कि अनुज्ञा देने से पहले आप इस पर बहस करा दें। सन् १९५० में इस सदन ने एक कानून बनाया कि यहां की भाषा हिन्दी हो। उसका नाम है, उत्तर प्रदेश लैंग्वेज बिल, १९५०।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, हमारा नियम १२५ है। उस नियम के अन्तर्गत यह है कि "यदि किसी विधेयक के पुरःस्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना और वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे।"

तो अनुज्ञा मैं नहीं देता हूं, अनुज्ञा आदरणीय सदन देता है। जब अनुज्ञा के लिये कोई प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाता है तो मैं सदन से पूछता हूं कि इस पर अनुज्ञा दी जाय और सदन की राय जानने के बाद ही मैं कहता हूं कि इसकी अनुज्ञा दी गयी। तो अनुज्ञा के लिये जब वे प्रस्ताव रखें तब आप उसका विरोध करें।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

कुंवर श्रीपार्लसिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं .....

श्री काशीनाथ मिश्र—

अनुज्ञा देने के पहले मैंने विरोध किया है, इसलिये मुझे पहले मौका दिया जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह--

जब आपने उनको अनुज्ञा नहीं दी और उनके प्रश्न को रूल आउट कर दिया तो पहले मुझे मौका मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

कायदा यह है कि अगर समय से पहले कोई आपत्ति उठावे तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारी आपत्ति समय पर मान ली जायगी, तो वह समय तो हो गया ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

अगर आपकी यह रूलिंग है तो इस रूलिंग को आप आगे भी याद रखेंगे । समय से पहले ही जब मैं कोई आपत्ति उठा दूंगा तो उस समय आप मुझे "न" नहीं कहेंगे ।

*श्री काशीनाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, खासकर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दुस्तान की कोई और विधान सभा रहती तो मुझे उतना दुख नहीं होता, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां की भाषा हिन्दी है, इसका फैसला सन् १९५० में ही इस आदरणीय सदन ने लिया था कि हम अपना सारा कार्य, राजकाज हिन्दी भाषा के द्वारा देवनागरी लिपि में चलायेंगे और संविधान की धारा २१०, ३४३ और ३४८ में उसके निर्माताओं ने यहां तक अधिकार दिया है कि १५ साल के पहले भी अगर सारे देश में राष्ट्रपति चाहें और एक प्रान्त में यदि राज्यपाल चाहें तो वह सारा काम-काज देश में या प्रदेश में हिन्दी भाषा में चलवा सकते हैं और न्यायालयों में चलवा सकते हैं । इस १५ साल की अवधि में हिन्दी के बड़े-बड़े विद्वान और महारथी पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त और डाक्टर संपूर्णानन्द जी यहां उच्चतम पद पर आसीन रहे, परन्तु वह भी इन १५ सालों में उत्तर प्रदेश को इस योग्य न बना सके कि यहां का सारा राजकाज हिन्दी में होने लगे और संविधान की मंशा के खिलाफ ऐसा काला कानून यह सरकार फिर यहां लाना चाहती है और इससे उत्तर प्रदेश की जनता को भारी हानि होने जा रही है । उत्तर प्रदेश के बहुत से गरीब छोटे-छोटे लोगों को फिर से ऊंचे ओहदों से इस तरह से महरूम किया जा रहा है । जब तक अंग्रेजी का कुचक्र यहां चलता रहेगा तब तक आम जनता के लोग मातृ भाषा में चाहे कितनी ही विद्वत्ता प्राप्त कर लें लेकिन उनकी कोई वकत नहीं रहेगी । मैं बहुत अदब के साथ संविधान के नाम पर कहूंगा कि ऐसे कानून का पेश किया जाना ही संविधान के खिलाफ है और किसी भी देश की सरकार को या यू० पी० की सरकार को संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून लाने का अधिकार नहीं है । हमारे संविधान की और उसके बनाने वालों की यह मंशा रही है कि १५ साल तक हिन्दी का सूर्य बराबर आसमान पर चढ़ेगा और उसके बाद अंग्रेजी भाषा स्वयं समाप्त हो जायगी । जो १४ भाषायें संविधान में दी गई हैं वह अंग्रेजी का स्थान ले लेंगी और जितने लोग शासन पर आरूढ़ रहे सब ने बराबर यह कोशिश की है । अगर जनता की सरकार होती तो वह अदालत में मुकदमा चलाती कि १५ साल तक संविधान की अवहेलना क्यों की गई और हिन्दी को ऊंचे तख्त पर पहुंचाने में क्यों वह असमर्थ रही । अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इसकी अनुज्ञा न दें और मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि वह इस को पेश करने की अनुज्ञा न दें ।

*कुंवर श्रीपालसिंह--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक यहां पुरःस्थापित किया जा रहा है उसका विरोध मैं इस कारण से कर रहा हूं चूंकि सब से पहले यह विधेयक संविधान की धारा ३४३ (२) के विरुद्ध है, वह स्पष्ट कहती है कि १५ साल के भीतर अंग्रेजी समाप्त हो जायगी । यह विधेयक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसका उल्लंघन करता है इस माने में कि १५ साल की अवधि समाप्त होने के बाद भी अंग्रेजी को कायम रखने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरे सरकार अपना वचन भंग कर रही है। २७ सितम्बर, सन् ५१ को इस सदन ने एक ऐक्ट बनाकर यह तय किया था कि १५ साल के भीतर यहां का पूरा काम हिन्दी में होने लगेगा। यह बिल ला कर यह सरकार अपने ही वचन को स्वयं भंग कर रही है।

तीसरे यह बिल पूर्णतः छलना पूर्ण है। कहने को कहा जा सकता है कि यह बिल केवल इसलिये लाया जा रहा है कि जो बिल या कानून मूलतः अंग्रेजी के पुराने हैं उनमें अगर संशोधन लाने होंगे तो वह अंग्रेजी में ही आ सकें। अगर आप इस विधेयक को देखेंगे तो इसमें पहले ही स्पष्ट लिखा है कि "विधान मंडल का कार्य करने के संबंध में जहां भी आवश्यक हो" और इसके बाद "कामा" या अर्द्धविराम है। इससे और भी पक्की बात हो जाती है। यह तो कहेंगे कि हम बाकी उस में लाने को कर रहे हैं। अभी जो हमारे ४ हिन्दी भाषी प्रदेश हैं उनके मुख्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह तय पाया है कि हमारे यहां जितने मूल विधेयक अंग्रेजी के हैं उनका अनुवाद करके हिन्दी में कर दिया जाय तो जब एक बात तय हो चुकी है उस समय जबकि हमारी मुख्य मंत्री भी उसमें उपस्थित थीं और उस मीटिंग में उन्होंने अपनी राय भी दी है। मुझे यह भी बताया गया कि इस किस्म की बैठक है तो जब यह तय हो चुका है कि केवल मूल विधेयक जो अंग्रेजी के हैं उनका अनुवाद कर दिया जायगा ताकि उनको मान्यता दी जा सके, तो फिर इस विधेयक को लाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिये यह विधेयक छलनापूर्ण है। ये ३ आरोप मेरे उनके (सरकार के) ऊपर हैं (१) संविधान को भंग कर रहे हैं, २) अपना वचन भंग कर रहे हैं, और (३) इस छलनापूर्ण विधेयक से जनता को छल रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि अपनी शान को देखते हुए इसको पुरःस्थापित करने की आप अनुज्ञा न दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

, नियम यह है कि यदि किसी विधेयक के पुरःस्थापन.....

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, यह कहां लिखा गया है कि दो ही आदमी बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

नियम यह है कि यदि किसी बिधेयक के पुरः स्थापन करने की अनुज्ञा के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव के विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के पश्चात् बिना वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेंगे।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, इसमें विरोध करने वाले सदस्य लिखा हुआ है। तो मैं भी विरोध कर रहा हूं जिन्होंने पहले विरोध किया वे ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

आपने रूलिंग दी है कि जो पहले से करते हैं तो अगर कोई क्वेश्चन आवर के चलने के आरम्भ में ही करे तो क्या आप उसको प्रायोरिटी देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

जैसा मौका होगा वैसा ही किया जायगा। क्या आपको कुछ और कहना है ? कृपया बहस मत कीजिए।

श्री उग्रसेन---

कहना तो हमको है । आप हमको मौका दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

अब वादविवाद नहीं होगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

वादविवाद अगर नहीं होगा, लेकिन आप नियम १२५ देखिये । उसके अनुसार आपको १७० आदमियों को सुनना पड़ेगा । उधर से जवाब केवल वह देगा जो मूव करता है ।

श्री अध्यक्ष---

मेरी फीलिंग यह है कि अगर आप यह समझते हैं कि १७० आदमी बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे ।

श्री उग्रसेन---

अगर ऐसा है तो हम लोग फिर यहां पर बैठ कर क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में जो व्याख्यात्मक बातें कहनी थीं वे विरोध करने वाले सदस्यों ने कह दी हैं। इसके ऊपर और कुछ नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त हैं उन्होंने मान लिया है कि हम तो हिन्दी में सब काम-काज करेंगे । दक्षिण के लोगों ने भी अपना काम तेलगु, तामिल और कन्नड़ में करने का निर्णय कर लिया है और केन्द्रीय सरकार से अंग्रेजी में, परन्तु इस प्रदेश के अंग्रेजों के मानसपुत्रों की सरकार हम पर अंग्रेजी लाद रही है । इसका विरोध घर-घर में होगा और यह प्रस्ताव हमारी लाश पर पास होगा । संपूर्णानन्द जी क्या कहते थे ? और यह क्या कर रहे हैं ? सब अंग्रेजी पढ़ने वाले नहीं है, हिन्दी जानते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

आपने विरोध कर दिया । अब आपको अधिकार है कि आप वोट द्वारा अपने विचार प्रकट करें । जब यह विधेयक आपके सामने विचारार्थ आयेगा तब आप इस पर विचार करेंगे । जहां तक अनुज्ञा का सवाल है वहां इस प्रश्न पर वादविवाद नहीं होगा ।

अनेक सदस्य---

आप हमें विरोध करने की आज्ञा दें ।

श्री अध्यक्ष---

एक-एक आदमी करके विरोध नहीं करेगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

आप किसी का मुंह बन्द नहीं कर सकते । वर्ना हम लोग चले जाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब कोई विरोध में नहीं बोलेगा ।

(इस समय सदन में शोर होने लगा और विरोधी दल के सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री वंशीधर पाण्डेय--

मेरा अनुरोध है अध्यक्ष महोदय, कि अब इस प्रस्ताव को आप अनुज्ञा के लिये रखें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बंशीधर पाण्डेय--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९०४-९०५ पर)

(इस समय सदन में अव्यवस्था व्याप्त थी । विरोधी दल के सदस्य एक साथ बोलने लगे और अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

श्री अध्यक्ष--

अब आप नहीं सुनना चाहते और शोर मचाते हैं ऐसी स्थिति में सदन २ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

(इस समय १२ बजकर ४१ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे उपाध्यक्ष, श्री होती-लाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

कुंवर श्रीपालसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। कृपया बता दें कि अभी जो विधेयक पुरःस्थापित किया जाने वाला था उसके विषय में क्या हुआ, क्योंकि मैं बराबर कह रहा था जिस समय अध्यक्ष जी पढ़ रहे थे और वोट कराने के लिए कह रहे थे । मैं कह रहा था कि नहीं की संख्या अधिक है और डिवीजन काल करता रहा, इसलिए कृपया बताएं कि उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

देखिए यह अध्यक्ष जी के सामने की बात है। मेरे सामने की बात नहीं है। श्री अध्यक्ष जी ने जो कुछ कहा है वह प्रोसीडिंग्स में होगा। वह देख लीजिए।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, हमने पूछा तो पता चला कि प्रोसीडिंग्स विभाग की ओर से लिख दिया गया है कि अनुज्ञा दे दी गयी, तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस आदरणीय सदन में जब अध्यक्ष विराजमान हों और सारे विरोधी दल पैरों पर खड़े हों और हल्ला-गुल्ला हो रहा हो तो क्या उस शोरगुल की हालत में अध्यक्ष महोदय ऐसी घोषणा कर सकते हैं कि कोई बिल इस सदन में पेश हो गया। क्या श्रीमन्, इस तरह की घोषणा मानी जायगी जबकि उसको किसी ने सुना नहीं ? अगर इसी तरह से करना था जब कि विरोधी दलों के सारे लोग खड़े थे, हल्ला मच रहा था और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, उसी के बीच म रख दिया कि बिल पेश हो गया तो वह

[श्री काशीनाथ मिश्र]

बैठक माननीय बनारसीदास की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के रूम में हो जाती। इस सबकी क्या जरूरत थी ? इसलिए श्रीमन्, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मेरा निवेदन सुन लीजिए। अध्यक्ष जी ने अपने सामने जो कुछ किया है उसको मैं न तो रिवाइज करने के लिए तैयार हूं और न मैं अपीलेट कोर्ट हूं। अध्यक्ष महोदय मुझसे ऊपर की चीज हैं, लिहाजा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, तो आप घोषणा कर दीजिए कि एजेंडे में जो लिखा है वह पेश नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, गलत बात कैसे रखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब अध्यक्ष हों तो आप इस बात को रखें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, हम यह स्पष्टीकरण चाहते हैं कि विरोधी दल के सदस्यों को मालूम नहीं है कि वह बिल पेश हुआ या नहीं। इसलिए कृपया प्रोसीडिंग्स को पढ़कर सुना दें।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिए, माननीय मिश्र जी ने कहा कि यह प्रोसीडिंग्स में है तो फिर दुबारा पढ़ने से क्या होगा ?

श्री राधेश्याम शर्मा--

यह माननीय काशीनाथ जी की नालेज में है हम लोगों को मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब प्रोसीडिंग्स में है तो पढ़ने से क्या होगा ?

श्री यादवेन्द्रदत्त--

श्रीमन्, आपकी प्रोसीडिंग्स रिकार्डेड हैं और हमें अभी मिली नहीं हैं। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो पढ़ कर सुना दें।

श्री उपाध्यक्ष--

तो मैं पढ़कर सुना दूंगा वह आ जाय। अब आइटम नम्बर ११।

श्री राधेश्याम शर्मा--

यह तो आपने दूसरा काम शुरू कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

काम को रोकना तो नहीं है। काम चलने दीजिए उसके आते ही सुना दूंगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई अधिनियम या नियम सरकार की तरफ से आते हैं और उनके लिए विरोधी दल के सभी माननीय सदस्य उसका विरोध कर रहे हों तब वह वोटिंग भी नहीं कराते हैं और और हां या नहीं भी नहीं कहलाते हैं और कह देते हैं कि वह स्वीकृत हो गया। इससे तो प्रजातन्त्र की हत्या हो जायगी। अध्यक्ष ही प्रजातन्त्र को क्यों इस प्रकार समाप्त कर रहा है। इस तरह से प्रजातन्त्र खत्म हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

जो कुछ भी होगा, होगा। क्या होगा मैं नहीं जानता। जो भी अगर करेंगे तो आप करेंगे या यह सरकार करेगी हम तो कुछ करते नहीं। अध्यक्ष महोदय के सामने जो कार्यवाही हुई वह प्रोसीडिंग्स मंगवायी गयी है वह मैं पढ़ कर सुना दूंगा।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंत्री विधेयक, १९६३ (क्रमागत)*

श्री उपाध्यक्ष--

अगर १३ नम्बर के आइटम पर काई बोलना चाहते हैं, खड़े हों।

(किसी सदस्य के खड़े न होने पर मन्त्री को पुकारा गया।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मैं कल बोल रहा था।

श्री उपाध्यक्ष--

जब मैंने बुलाया तब आप खड़े नहीं हुए। अब मन्त्री जी बोलेंगे।

कृषि उप-मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

कल सायंकाल जब सदन स्थगित हुआ उससे पूर्व इस कृषि उत्पादन मंडी विधेयक के तीसरे वाचन पर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। वे ऐसे थे जो इस विधेयक की परिधि के अन्दर नहीं आते। स्टेट ट्रेडिंग की बात कही गयी, दाम बांधों की बात कही गयी है, कोआपरेटिव मार्केटिंग की बात कही गई है, यह सब इस विधेयक की परिधि से बाहर हैं। जो संशोधन पेश किए गए उनमें से कुछ को स्वीकार किया गया, क्योंकि वह इस विधेयक की जो परिधि है उससे वह सम्बन्धित थे। ऐसे भी कुछ संशोधन थे जिनको इस सदन ने स्वीकार नहीं किया। जो भी प्राविधान इस विधेयक में किए गए हैं सरकार उनको इम्प्लीमेंट करने का पूर्ण प्रयत्न करेगी, इतना ही कह सकता हूं। जो माननीय सदस्यों ने तीसरे वाचन पर कहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। आशा है कि सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (नियंत्रण, प्राप्ति और वितरण) आदेश, १९६३ पर चर्चा

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

जब कि व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया गया तो बिना उस पर निर्णय दिए हुए कोई कार्यवाही की जा सकती है ?

---

*६ अगस्त, १९६४ की कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने निर्णय दे दिया था।

श्री लखपतराम शर्मा--

जो माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया है....

श्री उपाध्यक्ष--

उसको मैं दोहराऊंगा नहीं।

श्री लखपतराम शर्मा--

तब आप उनको बुलवा लीजिए उनके सामने ही कहा जाय, क्योंकि आप उनको बुलवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

जब वह आयेंगे तो आप कहिएगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

आपने पढ़कर सुनाने के लिए कहा था।

श्री उपाध्यक्ष--

उसे मैंने मंगाया है।

श्री राधेश्याम शर्मा--

अगर वह ५ बजे तक न आया तो? आप तो रेगुलर कार्यवाही चलाने लगे।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं, ५ बजे नहीं, आइटम नम्बर १४ पर भानुप्रतापसिंह जी को बोल लेने दीजिए। उसके बाद मैं सुना दूंगा मैं वादा करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा--

कितनी देर में, आप टाइम बता दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोल लेंगे, उसके बाद।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो ऐंटी होर्डिग आर्डर निकला है उसके विषय में कुछ अपनी राय जाहिर करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यद्यपि हमारी पार्टी स्टेट ट्रेडिंग इत्यादि में और अत्यधिक सहकारी हस्तक्षेप में विश्वास नहीं करती, परन्तु फिर भी जो प्रदेश में इस समय विकट परिस्थिति है उसमें हमसे मुख्य मन्त्री ने सलाह मांगी थी और बावजूद इसके कि पार्टी के सिद्धांतों के विरुद्ध है कि इस प्रकार की कार्यवाही की जाय, फिर भी हमने अपनी तरफ से उनको कुछ अपने सुझाव दिए थे और जिनके विषय में उन्होंने इस सदन के अन्दर कहा था कि उनकी सरकार उन पर विचार कर रही है, उनको उचित समझती है और उनके अनुसार कार्य करेगी? मुझको उनकी इस घोषणा से बड़ी आशा हुई थी कि शायद यह सरकार कुछ सही

दिशा में कदम उठायेगी। लेकिन ५ अगस्त को प्रातःकाल जब समाचार-पत्रों में मैंने इस ऐन्टी होर्डिग आर्डर को देखा तो मुझको एक कहानी याद आ गई। एक दूल्हन थी। शादी होकर जब अपने ससुराल पहुंची तो उसने बोलना बन्द कर दिया। तीन दिनों तक उसे बुलाने की बहुत कोशिश की गयी, लेकिन वह नहीं बोली। चौथे दिन जब उसकी सास ने फिर कहा कि बेटी, क्या सोंचा करती है? आखिर बोलती क्यों नहीं? तो उसने कहा कि माता जी मैं सोंचती हूं कि यदि बाबू जी मर जायं, आप के दोनों बच्चे मर जायं और आप मर जायं तो मेरा क्या होगा? सास उस दुल्हन की बात को सुनकर झल्ला उठी और उसने कहा कि बेटी, इस बोलने से तो तू चुप ही भली थी। ऐसी ही बात इस सरकार की है। हमने कहा कि ऐंटी होर्डिग कानून लागू हो, यह दायें और बायें दोनों तरफ के लोगों ने कहा। सब के कहने से दबाव में आकर लागू कर दिया, परन्तु ऐसा कि जिसको न किया होता तो बेहतर होता बनिस्बत ऐसे ऐंटी होर्डिग कानून के। श्रीमन्, मुख्य मन्त्री ने ३ तारीख को अपने भाषण में जो अविश्वास के प्रस्ताव के उत्तर में दिया था, यह घोषणा की थी और घोषणा करते समय उन्होंने कुछ बातें कही थीं। उनका मंशा उस समय तो मैं नहीं समझ पाया था, परन्तु अब इस ऐंटी होर्डिग आर्डर को पढ़ने के बाद उनका मंशा जरा स्पष्ट हो गया। मैं आपकी अनुमति से उनके भाषण को पढ़कर सुना देता हूं--"हमारे मन में यह शंका है कि हम तो यों ही मुश्किल परिस्थिति में हैं। अगर हमारे पास स्टाक होता तो हम वह सारे स्टेप्स उठाकर होर्डर्स को खत्म कर देते। मगर जब हमारे पास नहीं है तो क्या किया जाय? इस परिस्थिति में किस ढंग से चलाया जाय ताकि मार्केट में अनाज आना न बन्द हो और व्यापक रूप से भयावह स्थिति न पैदा हो जाय। हमारे मन में एक मात्र यही कंसीडरेशन था कि हमारे मार्केट्स में गल्ला आता रहे। मगर उसके बावजूद भी पोलिटिकल समस्या हमारे सामने है। इसलिए आप देखेंगे कि कल ऐंटी होर्डिग कानून इस प्रान्त में भी निकल जायगा"। श्रीमन्, यह मैंने केवल इसलिए पढ़कर सुनाया कि मुख्य मन्त्री स्वयं कन्विन्स्ड नहीं थीं इस आर्डर को निकालने के लिए। उन्होंने केवल राजनीतिक लाभ को सामने रखकर इस कानून को बनाया और यही वजह है कि यह कानून इतना दूषित, इतना गलत और इतना मूर्खतापूर्ण बना है।

श्रीमन्, इस आर्डर के प्रीऐम्बिल में कहा है कि इसका उद्देश्य भावों को कम करना है, परन्तु आश्चर्य की बात है कि सारे आदेश में कहीं भावों का जिक्र ही नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐंटी होर्डिग आर्डर ऐसा भी निकलेगा जिसमें अधिकतम मूल्य निश्चित नहीं किए जायेंगे, जिसमें यह व्यवस्था नहीं की जायगी कि जो ज्यादा गल्ला होगा उसको किस मूल्य पर सरकार जब्त कर लेगी या खरीद लेगी। कहीं यह व्यवस्था इसमें नहीं है कि किस मूल्य पर सरकार गल्ला खरीदेगी। इसको कहा तो गया है ऐंटी होर्डिग आर्डर, परन्तु वास्तव में यदि यह किसी के ऐंटी है तो यह ऐंटी किसान है, ऐंटी होर्डर्स तो यह बिलकुल ही नहीं है क्योंकि जो सुविधायें इस आर्डर के द्वारा असली जखीरेबाजों को मिल जाती हैं वह शायद पहले भी प्राप्त नहीं थीं। पहली बात तो यह है कि मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की कि यह कानून कल से लागू हो जायगा परन्तु उस आर्डर में यह लिखा हुआ है कि उनको १५ दिन का अवसर दिया गया है कि जखीरे-बाज अपना इन्तजाम कर लें। अगर उनके पास ज्यादा है तो वे दूसरे स्थानों पर हस्तान्तरित कर दें। मैं समझता हूं कि तुरन्त लागू करने का क्या यही मतलब है कि उनको १५ दिन का अवसर दिया जाय ताकि वह अपना इन्तजाम कर लें।

दूसरी बात यह है कि टोटल ओवर टर्न साल भर का जितना है उसका एक बटा चार तक रखने की उनको छूट दी गई है। खाद्य मन्त्री यहां पर उपस्थित नहीं हैं, परन्तु मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी व्यापारी का रजिस्टर मंगाकर देखें तो जितना उनका साल भर का ओवर टर्न होता है बहुत ही एक्सेप्शन केस होगा जिसमें एक बटा चार तक हो। वह अपने व्यापार में १०, १२ बार ओवर टर्न करता है। यह जो एक बटा चार की छूट दी गयी है यह इतनी बड़ी छूट है कि इससे बहुत कम लोग प्रभावित होंगे। इसके लिए जैसा मैंने कहा कि मान लीजिए व्यापारी कोई रख-रखाव नहीं है और अगर वह एक बटा चार से नीचे कर ले तो यह कानून उनको

[श्री भानुप्रतापसिंह]

छूता तक नहीं है। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह निश्चय रूप से एक बटा चार तक रखेंगे। जिस भाव से वे चाहें बेचें उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो यह कानून वास्तव में उनकी सहायता करता है। इस प्रकार से किसान जिस गल्ले को साल भर तक नहीं बेचता था वह अब उसको इस आर्डर के डर से बेचना पड़ेगा और अब वह गल्ला किसान के पास से निकलकर मुनाफाखोरों के पास पहुंच जायगा। इस प्रकार से सरकार जखीरेबाजों की सहायता कर रही है। उनको मूल्य देकर वह गल्ला सस्ते दाम पर वहीं लोगों को सरकार दिलाती है, लेकिन अब वह ऐसी व्यवस्था कर रही है कि किसान को मजबूर होकर मुनाफाखोरों के हाथ बेचना पड़ेगा। उसको सस्ते दाम पर खरीदा जायगा और फिर वह गल्ला शहर में लाकर मंहगा बेचेंगे।

मैं इस कानून को मुख्यतः किसान विरोधी समझता हूं। उसका कारण यह है कि इन्होंने यह इसमें व्यवस्था की है कि हरएक परिवार १० क्विन्टल गल्ला खाने के लिए रखे। मेरी निगाह में १० क्विन्टल बहुत कम है, लेकिन इसमें इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि किसी परिवार में ज्यादा व्यक्ति हों तो उसके पास जो गल्ला छोड़ा जायगा १० क्विन्टल उससे किस तरह उसका काम चलेगा। यह तो वही कहावत है कि "अन्धेर नगरी चौपट राजा और टका सेर भाजी टका सेर खाजा"। किसी परिवार में २ व्यक्ति हों और चाहे ५०, ६० व्यक्ति हों, इस सरकार की निगाह में दोनों की आवश्यकता बराबर है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि बीज के लिए केवल २५ किलोग्राम पर एकड़ छोड़ा जाय। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने किस विशेषज्ञ से इस २५ किलोग्राम की सलाह ली है। क्या डाइरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को कंसल्ट किया या प्रोडेक्शन कमिश्नर को कंसल्ट किया? आखिर कौन विशेषज्ञ है जो कहता है कि उत्तर प्रदेश का किसान केवल २५, २६ सेर फी एकड़ रबी के सीजन में बोता है। जब मैंने इस आर्डर को पढ़ा तो मैंने खोजा कि इस प्रदेश में हर डिवीजन में कितना-कितना कहां-कहां बीज बोया जाता है। मैंने उसकी तलाश की तो मालूम हुआ कि मेरठ डिवीजन में ३२॥ से ४० सेर, आगरा डिवीजन में ४२॥ से ५५ सेर, बरेली में ३१ से ५५ सेर, इलाहाबाद में ४० से ५५ सेर, कुमायूं में ३०, झांसी में ४० से ६० सेर, वाराणसी में ५० से ६२ सेर, गोरखपुर में ४७ से ६० सेर, लखनऊ में ५० से ७० सेर, फैजाबाद में ५० से ५९ सेर गेहूं का बीज बोया जाता है। तो यदि खेती के लिए सारी शर्तें पूरी कर दी जायं तो काम चल सकता है, परन्तु यह सारी शर्तें प्रदेश के किस भाग में पूरी हुई हैं? यह २५ सेर प्रति एकड़ पूरी आराजी के लिए है और चूंकि पूरी आराजी पर वह गेहूं नहीं बोयेगा इसलिए यह कहना होगा कि इस प्रदेश में पता नहीं कितने ऐसे किसान हैं जो अपने पूरे रकबे पर अनाज बोते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें कुछ और उदारता नहीं बरती जा सकती? आपको चाहिए था कि सारे किसानों के लिए बीज का प्रबन्ध करते, लेकिन यह हृदयहीन सरकार किसानों की दुश्मन है।

श्रीमन्, एक बात और है। इस प्रदेश में ढाई करोड़ एकड़ पर अनाज बोया जायगा। अगर हम उसे एक करोड़ एकड़ भी मान लें तो हमको ढाई करोड़ मन बीज की आवश्यकता होगी। सारे सरकारी और गैर सरकारी साधनों को मिला कर मुश्किल से २२-२३ लाख मन बीज मिल पाता है। श्रीमन्, ऐसी स्थिति में छोटे किसान का क्या होगा? इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल बीज ही किसानों के लिए आवश्यक नहीं है। किसानों को बुवाई कराने के लिए मजदूरी भी मजदूरों को देनी पड़ती है। यदि आप यह कानून लागू कर देंगे तो जो जड़हन की बोवाई इस समय हो रही है वह रुक जायगी। कोई मजदूर बिना अनाज लिए मजदूरी नहीं करेगा। आपने क्या व्यवस्था इस बिल में इस बारे में की है। आपने इसी सदन में बीज की उन्नति के लिए भी बातें कीं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उनकी उन्नति के लिए क्या व्यवस्था की है? आप जानते हैं कि हमारी सारी इकोनामी गांवों पर बेस्ड है। तमाम खरीद-फरोख्त गल्ला देकर होता है। मैं समझता हूं कि यदि इस आर्डर को सख्ती

के साथ लागू किया गया तो न खेती बोई जा सकेगी और न जड़हन बैठाया जा सकेगा। इससे सारी रूरल एकोनामी शैटर हो जायगी। श्रीमन्, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे मालूम है कि इस विषय पर बहुत से लोग बोलने वाले हैं। केवल एक बार अन्त में सरकार से बड़ी विनम्रतापूर्वक यह अपील करूंगा कि इस प्रश्न को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनावें। इस प्रश्न के साथ इस उत्तर प्रदेश के कृषक वर्ग के जीवन-मरण का प्रश्न भी सम्बन्धित है। इसलिए इस आदेश को वापस ले लें। फिर सोच-समझकर थोड़ी सलाह लेकर जिनकी सलाह आप मानते हों, दूसरा कानून लायें। श्रीमन्, अन्त में मुझे एक बात और कहनी है और वह यह कि इस प्रकार का आदेश केवल डी० आई० आर० के अन्तर्गत निकल सकता था। इस डी० आई० आर० का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है। इसका ज्वलन्त उदाहरण है कि किसी बन्दर को आप सोने की तलवार दे दें तो वह उसका दुरुपयोग ही करेगा। अतः मैं एक बार सारे विरोधी पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक आवाज उठायी जाय कि यह डी० आई० आर०, यह इमर्जेन्सी समाप्त की जाय।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि कल यह लिखा हुआ था कि इस आदेश की प्रतियां प्रत्येक व्यक्ति को दे दी गई हैं परन्तु सदस्यों को उसकी प्रतियां नहीं दी गयीं।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे यह बताया जा रहा है कि उसकी प्रतियां दे दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश (विधान मण्डल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ के पुरःस्थापन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा अब प्रोसीडिंग्स के बारे में जो दिया गया है उसे बता रहा हूं....

"मुख्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

मेरा अनुरोध है, अध्यक्ष महोदय, कि अब इस प्रस्ताव को आप अनुज्ञा के लिए रखें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (विधान मण्डल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करने के लिए सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश (विधान मण्डल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४ को पुरःस्थापित करता हूं।"

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

यह कोई कार्यवाही नहीं हुई इस सदन में।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अगर उसमें कोई गलती हो तो उसे अध्यक्ष महोदय के सामने कहियेगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं इसके लिए अविश्वास का प्रस्ताव दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र--

आप बंशीधर पांडेय जी से पूछ लीजिए कि अनुज्ञा दी है कि नहीं

श्री उपाध्यक्ष--

बयान हलफिया है उसकी इन्क्वायरी इस वक्त नहीं होगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

यह बात इस सदन में नहीं आयी। कुंवर श्रीपालसिंह ने चैलेन्ज किया था किन्तु डिसीजन नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें नहीं है। यह मैं सही करने के लिये अध्यक्ष महोदय के पास भेज दूंगा। वही करेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जो पढ़कर सुनाया गया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा भाषा विधेयक पेश हो गया तो सन् १९५० में एक इसी टाइटिल का विधेयक पास हो चुका है। तो क्या इस सदन में एक ही टाइटिल के दो विधेयक आ सकते हैं ? इसको तो संशोधक विधेयक होना चाहिये था। यह हमारा कानूनी एतराज है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आगे इस पर बहस होगी तो कहियेगा। व्यवस्था तो उस पर दी जाती है जो चीज डिस्कशन में हो। इस समय हमारे सामने आइटम नम्बर १४ है। इसके बारे में ही व्यवस्था का प्रश्न हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है।

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (नियंत्रण, प्राप्ति और वितरण) आदेश, १९६३ पर चर्चा--(क्रमागत)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना समय आप दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं यह निश्चय करता हूं कि ७ मिनट से १० मिनट का टाइम मैं देना चाहता हूं, अभी प्रोसीडिंग्स से देखकर बता दूंगा। अगर प्रोसीडिंग्स में होगा तो चलेगा।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)--

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में व्यापक खाद्यान्न की जो स्थिति है उसके मुकाबले के लिये जो भी कदम सरकार होर्डिग के खिलाफ उठाये उसका हमें स्वागत करना चाहिये, जो कदम ठीक हो उन सब मेजर्स में हमें सहयोग करना चाहिये, परन्तु श्रीमन्, मेरा यह निश्चित मत है कि जो भी कदम या मेजर सरकार उठाये उसको हमें इस कसौटी पर जरूर कसना चाहिये कि कहीं उस कदम से आगामी रबी की फसल की पैदावार पर तो खराब असर पड़ने वाला नहीं है या जखीरेबाजी खत्म होने के बजाय बढ़ने तो नहीं जा रही है। श्रीमन्, ऐंटी होर्डिग आर्डर जो सरकार ने प्रसारित किया है उसके मोटे तौर पर दो अंग हैं। एक में उन्होंने प्रदेश के ट्रेडर्स पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये हैं कि वह कितना गल्ला रख पायेंगे अपने पास और दूसरे अंग में उन्होंने कृषक वर्ग के ऊपर प्रतिबन्ध लगाये हैं कि प्रति कृषि परिवार कितना गल्ला अपने पास अपनी विभिन्न जरूरियात के लिये रख पायेगा। श्रीमन्, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां तक ट्रेडर्स का संबंध है, यह ऐंटी होर्डिग आर्डर बजाय जखीरेबाजी कम करने के जखीरेबाजी को बढ़ावा देगा और उसके लिये मेरे आर्गूमेंट्स ये हैं--मान्यवर, गतवर्ष इस प्रदेश के अन्दर ११६ लाख टन गल्ले की पैदावार हुई थी। प्रदेश की कुल खाद्यान्न की पैदावार का लगभग २० प्रतिशत मार्केटेबिल सरप्लस हुआ करता है। अतः इस प्रदेश के अन्दर गत वर्ष लगभग २३ लाख

टन का मार्केटेबिल सरप्लस होना चाहिये । मार्केटेबिल सरप्लस का लगभग ५ से १० गुना तक ट्रेडर्स का टोटल टर्न ओवर हुआ करता है क्योंकि ट्रेडर्स न केवल वही गल्ला जो कृषक-गण लाते हैं बेचते हैं वरन् उनमें आपस में एक दूसरे के बीच भी आदान प्रदान भी हुआ करता है । गत वर्ष का टोटल टर्नओवर यदि हम (marketable surplus) का पांच गुना भी लगायें तो लगभग ११५ लाख टन के आयेगा ।

मान्यवर, खाद्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया था कि इस वर्ष माह जुलाई में एक्चुअल स्टाक ट्रेडर्स के पास बहुत कम है । उन्होंने फिगर्स देते हुए बताया कि लगभग ३० हजार टन आज प्रदेश के अन्दर ट्रेडर्स के पास गल्ला मौजूद है । जब हम यह चाहते हैं कि प्रदेश के अन्दर जितना गल्ला उसके पास मौजूद है, वह निकल कर आये तो उस अवस्था में ३० हजार टन के बजाय ३० लाख टन उनके द्वारा जखीरा रखने की व्यवस्था करना कहां तक उचित है ? मेरा सुझाव यह होगा कि इस एन्टी होर्डिग आर्डर में से टर्नओवर का शब्द बिलकुल निकाल दिया जाय और उसकी जगह शब्द "एक्चुअल स्टाक" रख दिया जाय और सारे साल के टर्नओवर के एक चौथाई के स्थान पर एक महीने के किसी भी दिन, जिस दिन ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल स्टाक रहे उसका १/१० स्टाक रखने की इजाजत दे दी जाय ।

मान्यवर, खाद्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रदेश के अन्दर इस वर्ष गल्ले की आमद ३० प्रतिशत है गत वर्ष के मुकाबले में । तो इसका मतलब यह है कि गल्ला तिहाई आ रहा है । तो गल्ला तेजी के साथ मार्केट में मौजूद हो इसलिये मैंने १/३ के स्थान पर १/१० कर दिया है । इसलिये श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि पिछले साल के टर्नओवर का १/४ के स्थान पर १/१० आफ दि एक्चुअल मैक्जिमम स्टाक आन एनी डे आफ दि कारेस्पांडिंग मन्थ रख दिया जाय।

जहां तक इस आर्डर का कृषक पर असर पड़ने की बात है, मेरा यह निश्चित मत है कि इससे किसानों को भारी असुविधा होगी । इसका आगामी फसल की पैदावार पर भी बुरा असर पड़ेगा । मान्यवर, जैसा कि माननीय भानप्रतापसिंह जी ने कहा है, अपने प्रदेश में पौने ३ करोड़ मन रबी के बीज की आवश्यकता आमतौर से हर वर्ष पड़ती है । उसमें से केवल २२ लाख मन ही गत वर्ष Co-operative Seed Stores से दे पाये थे। बाकी ९० प्रतिशत की जरूरत को किसान लोग अपने घरों से या पड़ोस के घरों से लेकर पूरा करते हैं । आज आप काश्तकारों के पास उनकी जरूरत से कम गल्ले को छोड़कर उनके लिये गल्ला मिलने के और सभी श्रोतों को आप बन्द कर रहे हैं । तो इसका असर अवश्य ही आगामी फसल पर पड़ेगा । अगर सरकार चाहती है कि आगामी रबी की फसल जितनी बोयी जानी है उतनी बोयी जाय तो यह आवश्यक है कि जितना बीज वह गत वर्ष सहकारी स्टोर्स के जरिये बांटती रही है उसका ५–६ गुना अधिक वह इस वर्ष बांटने की व्यवस्था करे और यह सरकार के लिये असंभव बात है । न केवल मात्रा बहुत बड़ी है वरन् खाद्यान्न को उन्नत जाति का होना कठिन है और उसका वितरण भी । मेरा यह निश्चित मत है कि सरकार ने अगर इस आदेश को परिवर्तित नहीं किया तो आगामी वष में रबी को फसल काफी खराब होगी और यही नहीं, काफी रबी की फसल बोने से रह भी जायेगी । श्रीमन्, इसके अतिरिक्त क्या यह बात सही नहीं है कि प्रदेश के काफी हिस्से में जाड़ों में बारिश रबी की बुवाई के तुरन्त बाद हो जाती है जिससे रबी को फसल को दुबारा बोना पड़ता है और पुराना बीज डालना पड़ता है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप जिलों में ऐसे रिजर्व रखेंगे जहां से, गांवों में जहां-जहां ऐसी बारिश हो जाय वहां-वहां के किसानों को आप उचित मात्रा में बीज मुहैया करायें । इस तरह श्रीमन्, आप देखें सरकार ने बड़ी भारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है किसानों को बीज मुहैया करने की । बुन्देलखंड में खत्तियों में गल्ला रखने का रिवाज है । अगर इस समय खत्तियां खोल दी गयीं तो निश्चित रूप से खत्तियों के अन्दर का गल्ला बीज के लिये बेकार हो जायगा । और इसलिये बुन्देलखंड के लिये सारे बीज का प्रबन्ध आपको करना होगा । इसलिये श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि इस ऐंटी होर्डिग आर्डर से आप किसान को बिलकुल मुक्त कर दें, तभी उसको वास्तविक राहत मिल सकेगी ।

*श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के सब कार्यकलाप बाई फिट्स एण्ड स्टार्ट्स होते हैं। हम लोग १९५८ से आज तक बराबर यह स्पष्ट करते चले आ रहे हैं कि आपकी खाद्यान्न नीति दोषपूर्ण है और उसका परिणाम देश में भीषण अकाल की स्थिति होगी और आज हमारी वह बात सत्य हो गयी, आज सरकार ने जो यह ऐंटी होर्डिंग आर्डर निकाला है वह मानो किसानों के लिये ही निकाला है और उस अन्न के लिये निकाला है जो किसानों ने अपने खाने और मजदूरों को देने के लिये रखा हुआ है। क्या इसको होर्डिंग कहा जायगा ? होर्डिंग क्या होती है ? होर्डिंग का अर्थ यह होता है कि जिस गल्ले या सामान को रख कर कोई आदमी ऊंचे दाम में बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है। क्या किसान ऐसा कर रहा है ? आज वास्तविकता का ध्यान किसी को नहीं है, न तो मिनिस्टर को है, न तो सेक्रेटरी को है और है न डिप्टी सेक्रेटरी को है और सब लोग कहते हैं कि किसान ही होर्डर है। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा किसान कितना है ? एवरेज होल्डिंग आपको क्या है ? उसको देखते हुए तो यही मालूम होता है कि दोनों वक्त खाने के लिये लोगों को गल्ला नहीं हो पाता है। यह भी कहा गया कि व्यापारियों और किसानों ने सांठ-गांठ करके किसानों के पास खत्तियों में अन्न रख छोड़ा है। किसानों के पास जो खत्तियां होती हैं उनमें एक बार गल्ला रख कर सोइंग सीजन में ही खोला जाता है। अगर बीच में खोल दिया जाता है तो घुन लगने का डर होता है। होर्डिंग व्यापारी करते हैं जिसको एनअल टर्न ओवर का चौथाई रखने की छूट हो गयी है, खुले बाजार वह रख सकेगा और जब ज्यादा दाम होंगे तो उसको बेच सकेगा। इससे ज्यादा ब्लेक मार्केटियर्स और मुनाफाखोरों को और क्या छूट हो सकती है ? और गांव में किसी का २ आदमियों का परिवार है तो उसको १० क्विंटल और किसी का २० या ४० आदमियों का परिवार है तो उसको भी १० क्विंटल। अगर उसके बाद उसके पास खाने को न रहा तो क्या आप खिलायेंगे ? एक प्रश्न और है आपके पास स्टाक देखने वाले और उसको चेक करने वाले कौन लोग होंगे ? या तो हमारा रेवेन्यु विभाग होगा जिसे माल विभाग कहते हैं, वह इसे चेक करेगा या सप्लाई डिपार्टमेंट चेक करेगा या पुलिस चेक करेगी। क्या आप इन तीनों को ब्रह्मा और दूध का धोया समझते हैं कि ये घूसखोरी नहीं करेंगे ? आपने घूसखोरी के लिये खुला बाजार खोल दिया है और इस तरह से पूर्ण लीगलाइज्ड करप्शन शुरू करा दिया है। आपने इस ऐक्ट के जरिये ब्लैक मार्केटियर्स को छूट दे दी है कि वे किसानों का गला काट कर अपना हाथ साफ करें। इस आर्डिनेंस के आपरेशन का पीरियड क्या होगा, २ महीने, ४ महीने, ६ महीने या इमर्जेंसी की तरह से इनडेफिनिट होगा ?

श्री ऊदल--

जब तक यह सरकार रहेगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

अगर सन् १९६७ तक तय होगा और इसी तरह से ये किसानों की फसलों को खींचते रहेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, क्या ये जनता को फीड करने की रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं ? जैसा कि अभी माननीय भानुप्रतापसिंह और माननीय शिवराजसिंह जी ने कहा कि अगर रबी की सोइंग नहीं हुई या डिफेक्टिव सोइंग हुई या जितना सीड चाहिये उतना सीड आप नहीं दे सके तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ? हमारे नेगी जी जो मस्त हाथी पर मस्त सवार हैं या सुब्रमण्म साहब जो स्वयं हाथी हैं या सारा मंत्रिमंडल, कौन जिम्मेदार होगा ? भगवान् के लिये आप ऐसी बुद्धिहीनता का काम न कीजिये जो आपके लिये घातक हो और जिससे आज किसान समाज ही मर जाय। कहने के लिये तो डिक्लेयरेशन का टाइम १५ दिन का दिया गया है और रेड अभी से आपने शुरू कर दिया। रेड ४-८-६४ से ही शुरू है तो १५ दिन किस घड़ी से नेगी जी ने जोड़ दिया ? क्या उसी घड़ी से जोड़ दिया जिस घड़ी से वे ४ क्विंटल प्रति दिन देकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

४ हजार लोगों को खिलाने की बात करते हैं? क्या कहते हैं और क्या ऐक्शन है, यह एक तमाशा बना रखा है । यह आर्डर इसी दृष्टि से निकाला है कि किसानों के पास जितना धन है, उसको ले लिया जाय, उसके पास जितना अन्न खाने के लिये है उसे ले लिया जाय जिससे वह भूखों मरने लगे और अपनी जमीन छोड़ कर भाग जाय । यह सिर्फ उनको एक्सप्लायट करने की दृष्टि से किया गया है । जिनसे एलेक्शन में आपकी सांठ-गांठ होती है और जिनसे आगामी एलेक्शन में आपको पैसा मिलने वाला है उनके लाभ के लिये यह सब किया गया है । मैं स्पष्ट कहता हूं, नाम नहीं लेता, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बतला दूंगा जिन महोदय के घर में बैठकर योजना बनायी जाती है कि अभी गल्ला जरा रोके रहो, मंत्रि-मंडल बदनाम हो और तब मैं सामने आ जाऊं कि मैं सबको खिलाने के लिये तैयार हूं, यदि मुझे मुख्य मंत्री बना दो । आप चाहे मुख्य मंत्री बनें, चाहे प्रधान मंत्री बनें, चाहे डंडा लेकर आपस में सर फोड़वल करें, लेकिन अपनी लड़ाई को जनता के सर पर और किसानों के पेट पर न निकालें । अगर आप निकालेंगे तो याद रखें कि आपकी शक्ल यहां दिखलायी नहीं देगी । जिसके बल पर आप यहां आये हैं उसके सर पर हाथ फेरने की कोशिश न करें केवल अपनी गुटबाजी के कारण । तो अपनी गुटबाजी बन्द करें और इस कानून को वापस करें । इस ऐंटी होर्डिग आर्डर से आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ मजबूत कर रहे हैं । जिनको बैंक्स से ऐडवान्स मिलता है ताकि वे गल्ले को अपने गोदामों में रख सकें । आपका डी० आई० आर० मौजूद है लेकिन उनकी तलाशी आप नहीं लेते क्योंकि इसके लिये आपके अन्दर साहस नहीं है । देवता तो हापुड़ व खुर्जा में बैठे हैं, फिर पुजारी अपने देवताओं को कसे नाराज कर । जरा उनकी तलाशी लीजिये । उनके लिये जो आपने एक चौथाई गल्ला रखने वाली बात रखी है उसको बन्द कीजिये और इस कानून को किसानों के हित म बनाइय । आप ऐंटी होर्डिग आर्डर को वापस लीजिये और इस पर विचार करके कोई ऐक्ट लाइये ....

(श्री जगदीशप्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

उपाध्यक्ष जी, मैं प्रायः खड़ा होता हूं, अगर माननीय जगदीशप्रसाद के साथ आपकी कोई लिंक हो कि आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते हैं तो आप स्पष्ट कह दें। मैं जब भी खड़ा होता हूं हमेशा यही होता है । आप को ऐसा नहीं करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह की बात आपको यहां नहीं कहना चाहिये, मैं आपको दस दफा बुला चुका हूं, ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं किया जाता, हर वक्त आपको ही नहीं बुलाया जा सकता ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, आप तो हंसते रहते हैं आप गुस्सा न हों, आप अब विकल जी को इनके बाद समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप दूसरे की सिफारिश न करें ।

श्री मैनेजरसिंह--

आप कृपया हंसते हुए ही उनको आगे समय दे दें ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस एन्टी होर्डिग आदेश का सिद्धांत रूप से इस सदन में कोई भी विरोधी नहीं है । विरोध आज की परिस्थिति में होना भी नहीं चाहिये । पिछले वाद-विवाद में दोनों ओर से सरकारी व विरोधी दल से यहां इस बात पर जोर दिया गया कि जो छिपा हुआ गल्ला है उसका निकाला जाय । इसमें २-३ बात गौर करने की हैं । इस आदेश

[श्री जगदीशप्रसाद]

में गल्ला निकालने का जो प्राविधान किया गया है वह व्यापारी और किसान दोनों से ही किया गया है । मतभेद इस बात पर हो सकता है कि कुछ साथी कहत ह कि किसान से नहीं बल्कि व्यापारी से ही लेना चाहिये, एक तो गौर करने की बात यह है और दूसरी बात यह है कि किस तरह से बाजार भाव गिरें । हमारा होर्डिग को रोकने का उद्देश्य यह था कि जो गल्ला छिपा है वह बाहर आ जाय, वह बिके और इस तरह से बाजार नीचे आ जाय और प्रदेश में जो यह महंगाई की परिस्थिति बन गयी है वह ठीक हो जाय । अब इसका प्रतिकार कैसे हो सकता है । एक बात यह खास है कि जिस पर विवाद हो सकता है कि किसके पास कितना गल्ला रहने दिया जाय । एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसान के पास बीज के लिये कम छोड़ा जा रहा है या रखने के लिये कम है । जहां तक पहली बात का संबंध है कि किसानों से न लेकर व्यापारियों से लिया जाय, हम भी कहते हैं कि व्यापारियों से अवश्य लिया जाय, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं । जहां कहीं भी गल्ला हो वहां से लिया जाय ।

जहां तक किसानों का संबंध है आप जिस प्लानिंग में चल रहे हैं उसमें आप समान वितरण चाहते हैं इसका अर्थ वितरण पर नियंत्रण होगा और इसके लिये आपको उत्पादकों पर भी नियंत्रण करना होगा । आपको कुछ न कुछ उत्पादक से भी लेना होगा । परन्तु यह फसल का समय नहीं है । इसका कारण प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता पर यदि है तो कुछ होगा आप इस बात पर जोर दें कि बाहर से भी हमारी आवश्यकता पूरी हो लेकिन अगर एक तरफ ही हमारी तवज्जह रही तो उसका वांछित असर न होगा । दूसरी तरह देखें कुछ माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर कहा था कि बनियों ने गल्ला अपने पास न रखकर किसानों को रुपया देकर गांवों में रखा है और वह जब मन होता है थोड़ा-थोड़ा मंगाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं । अगर आपको उसको निकालना है तो आपके पास क्या इलाज है ? अगर किसान के पास छोड़ देते हैं तो वह गल्ला सब वहीं रह जायगा और रुपया देकर गांव में व्यापारी रखते रहेंगे । इस प्रश्न को मंत्री जी को और सरकार को इस तरह से देखना चाहिये कि जिसके पास निर्धारित मात्रा से कम गल्ला है उसको छोड़ दिया जाय और जहां ज्यादा है वहां से ले लिया जाय । इस आदेश में कहीं यह नहीं है कि जिनका ज्यादा है उनका गल्ला सरकार ले लेगी, इसमें तो यह है कि इतनी मात्रा वह रख सकते हैं । मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसा प्रबन्ध करे कि जो सभापति, प्रमुख या बी० डी० ओ० आदि गांव में जायं और देखें वहां की जरूरत के हिसाब से वहां कितना गल्ला है और देखें कि उस गांव के खाने के लिये, बीज के लिये, उनकी जरूरतों के लिये गल्ला है या नहीं और उसके बाद जो सरप्लस हो वह बाहर जाय वर्ना जो है वह उसी में काम चलायें । जो अधिक गल्ला मिले उसका बाजार का मूल्य उनको दिया जाय ।

इसमें है कि बीज के लिये २५ किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं । कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि यह कम है । मैं माननीय खाद्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह इसे देखें और अगर आवश्यकता हो तो ३० कर दीजिये या ४० कर दीजिए लेकिन जब तक आप पाबन्दी नहीं लगायेंगे अनाज आपको वहां से लेना पड़ेगा । मजदूर को जो किसान देता है वह सब इन्तजाम कीजिये । इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका हिसाब न लगाया जाय । माननीय दुबे जी ने कहा कि इस आदेश का अर्थ है कि किसान को गरीब बनाया जाय । समझ में नहीं आता कि कैसे वे अराजनीतिक बात करते हैं । यह कैसे हो सकता है कि कांग्रेस सरकार ऐसा कानून बनाये कि जिससे किसान उन्हें वोट भी न दें ? किसान बरबाद हो जायं, यह कैसे हो सकता है ? और यदि ऐसा है तो कांग्रेस सरकार अपने किये पर स्वयं स्वाहा हो जायगी ।

श्रीमन्, एक सुझाव और देना चाहता हूं और वह यह है कि यह दूकानदार के लिये था कि वह उतना रख सके । लेकिन कितना भी रखें, मेरा विचार यह है कि रखने से कुछ नहीं बिगड़ता यदि स्टाक घोषित है और बिकता है । चाहे एक हजार मन रखें या ५०० मन रखें । यदि उसने घोषित कर दिया है कि इतना हमारी जरूरत के लिये काफी है और इतना अतिरिक्त है तो उसके यहां पड़े रहने दिया जाय । यदि दूकानदार भी घोषित करते हैं और वे बिक्री का हिसाब देते हैं तो ठीक है । यदि कहीं गल्ला घोषित हो जाता है तो हमारी समस्या हल हो जाती है कि इतना हमारे पास है और इतने गल्ले का हमें इन्तजाम करना है पहले

घोषित कराया जाये और वेरीफाई करके १५ दिन में हिसाब लगाया जाय और उसे आवश्यकता की जगह काम में लिया जाय ।

अनाज की समस्या से हमारे सबके दिमाग परेशान हैं । ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आज हम इतना सारा अनाज, इतनी मात्रा में खाद्यान्न लाकर रख दें जिससे इस समस्या का समाधान हो जाय । जो खाद्यान्न बाहर से हमारे पास हैं तो इसका क्या हाल होगा । हमें एक वातावरण बनाना पड़ेगा । एक वातावरण यह बनाना पड़ेगा कि प्रयत्न हो रहा है, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी को मरने नहीं देंगे । आज उस वातावरण की आवश्यकता है । होर्डिग के खिलाफ शिकायत है कि शहरों में व्यापारियों के पास अनाज है और कई किसानों के पास तो उनके स्टाक को देखा जाय। सारी खराबी व डर इम्पलीमेन्टेशन के हैं कि परेशान, किया जायेगा। मैं माननीय खाद्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह देखें । स्टाक्स देखें अवश्य शहरों में अधिक और गांवों में बहुत स्टेरिंग भी है, परन्तु देखें अवश्य । तो उन्हें मालूम हो जायगा कि अगर तुम ज्यादा स्टाक में खाद्यान्न रखोगे तो इससे नुकसान हो जायेगा, इसकी बिक्री नहीं होगी तब ही यह गल्ला बाहर आयेगा ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि क्या माननीय सदस्य उस आदेश पर बोल रहे हैं या अपना कोई सुझाव रख रहे हैं या और कोई आदेश अपनी तरफ से निकाल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात आप नहीं रख सकते । जो मेम्बर अपने सुझाव देना चाहते हैं वे सुझाव देंगे उन्हें रोका नहीं जा सकता है ।

*श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की ७ करोड़ जनता की इस मांग को कि ऐन्टी होर्डिंग आदेश लागू किया जाय उसका आज मखौल उड़ाया जा रहा है। यह जले पर नमक छिड़कना है। किसान के पास गल्ला है इस गलत धारणा के ऊपर इस आदेश की बुनियाद पड़ी है जो बिलकुल निराधार है। किसान के पास गल्ला जब होता है तो घर में जाने से पहले ही बहुत हद तक खलियान से चला जाता है, जखीरेबाजों के गोदाम में। हिन्दुस्तान के किसी कोने में थोड़ा भी गल्ला अगर कहीं मिला है तो वह किसान के घर से नहीं मिला है, चाहे बड़े-बड़े किसान ही हों। वह मिला है जखीरेबाजों के गोदाम से चाहे वह जबलपुर में ३० हजार मन चावल मिला हो, चाहे दिल्ली में दो लाख मन खाद्यान्न मिले हों, चाहे साढ़े ५ हजार बोरे उज्जैन में खाद्यान्न मिले हों, अथवा ५०० बोरे इन्दौर में मिले हों। वह उन गोदामों से मिले हैं जिनको खून के व्यापारियों ने बना रखा है और जो देश की जनता के खून के साथ व्यापार कर रहे हैं। यह ऐन्टी होर्डर्स अथवा ऐन्टी होर्डिग आदेश नहीं है, यह होर्डर्स ऐन्ड होर्डिग प्रोटेक्शन आदेश है। यह पूरी तरह से किसान विरोधी है। किसान के पास से पिछले कुछ वर्षों में हिन्दुस्तान के अन्दर इन खून के व्यापारियों ने १८ सौ करोड़ रुपया मुनाफा कमाया है। सस्ता गल्ला खरीद कर और ड्योढ़े-दूने दाम में उसे बेच कर। तो किसानों के पास गल्ला नहीं है सिवा बीज और बमुश्किल खाने के। मुझे पूर्वी जिलों की जानकारी है, हर जिले में घूमा हूं, वहां ७५ फी सदी घरों में उपवास हो रहा है। १५ फी सदी घर ऐसे हैं जिनमें बमुश्किल एक वक्त मोटा अनाज भरपेट मिल रहा है। १० फी सदी ऐसे घर हैं जिनके यहां दोनों वक्त भर पेट भोजन मिल पाता हो। आज की स्थिति में यह सूचना कि किसानों के पास गल्ला है, गलत है। यह जखीरेबाजों को बचाने का एक नायाब, कमाल का तरीका है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री झारखण्डेराय]

जहां अनाज की मजदूरी दी जा रही है वहां क्या होगा ?

जो इल्लीगल काम हो रहा था उस पर लीगैलिटी की मोहर लगायी जा रही है और उनको बचाया जा रहा है। यह वह बिरादरी है व्यापारियों की जिन के साथ कोई रहम मत कीजिये। उनके पैसे से कांग्रेस पार्टी चलेगी तो डूब जायगी और इस लिए डूब रही है। उनके पैसे से चुनाव लड़ना आवश्यक है तो दो-चार चुनावों के बाद आप खत्म हो जायेंगे। ३५ लाख बंगाली एड़ियां रगड़-रगड़ कर इन व्यापारियों की वजह से ही भूखे मर गये। ये पत्थर के देवता हैं। इनके बारे में संत विनोबा भावे ने १३ वर्ष तक पद यात्रा करने के बाद नागा लैण्ड से पंजाब तक और काश्मीर से कन्या-कुमारी तक चल कर आखिरी वर्डिक्ट यही दिया १२ अप्रैल को वार्धा में "मैं जहां कहीं गया व्यापारी वर्ग ने मुझे सहयोग नहीं दिया। व्यापारी वर्ग से मुझे बहुत आशायें थीं, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। उनमें मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति कूट-कूट कर भरी है"। आज नेगी जी की जो धारणा है वह गलत है और मेरा उन से निवेदन है कि इस आदेश को वापस ले लीजिये। परिवर्तन की जरूरत नहीं है। जगदीशप्रसाद जी ने मुनाफाखोरों की वकालत की है। मैं ज्ञान और अध्ययन का बहुत आदर करता हूं, लेकिन मुझे आज उनकी बात से दुख हुआ। देहात में पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के लिए इस आदेश से एक नया एवेन्यू करप्शन का खोला जा रहा है। पुलिस अधिकारी किसान के यहां पहुंचेंगे और रुपया लेकर कहेंगे कि उनके यहां कोई गल्ला नहीं है। यह करप्शन का नया अध्याय खोला जा रहा है और आमदनी कमाने का नया साधन बनाया जा रहा है। इसलिए इस आदेश को वापस लिया जाय।

श्रीमन्, आज स्थिति यह है कि किसान बीज तक को खाये जा रहा है और इस हमले में जो कुछ थोड़ा-बहुत बचा है वह भी निकल जायगा। सरकार खाने को नहीं दे पा रही है। क्या वह किसान को बीज देगी ? एक रबी की फसल खराब होने से हालत यह है कि भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। अगर दूसरी फसल भी खराब हो जायगी तो न जाने क्या हालत होगी। आदमी आदमी को खा जायगा। जैसा कि बंगाल के अकाल में लोग खा गये थे।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि अगर होर्डर्स पर कब्जा किया जाय और उनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाय तो काम चल सकता है। अगर कुछ भाव गिर गये तो किसान अपना गल्ला बाजार में फेंक देगा। उसके पास तो वैसे ही गल्ला बहुत कम है। आज जरूरत है उन गल्ला चोरों से निकलवाने की जिन्होंने चैत-वैशाख में किसानों से सस्ते दाम पर गल्ला खरीद कर भर लिया है। इसलिए शैडो बार्किंसग से काम नहीं चलेगा। आज प्रदेश की ७ करोड़ जनता की मांग है कि इस आदेश को वापस लीजिये, वापस लीजिये, वापस लीजिये।

*श्री रामचन्द्र विकल—

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी आदेश जो अभी सदन के सामने है जिस पर हम विचार कर रहे हैं, वह सरकार की अदूरदर्शिता और किसान विरोधी नीति की परिचायक है। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण ही आज हमारा प्रदेश भुखमरी की हालत तक पहुंच गया है। मैं कई वर्षों से सरकार की इन नीतियों के बारे में स्पष्ट रूप से कहता चला आ रहा हूं कि इन-इन कारणों से प्रदेश की आर्थिक हालत नहीं बढ़ सकती है और आज वही शब्द दुहराना चाहता हूं। आज भूखा कौन है ? यह मेहनतकश किसान और मजदूर भूखा है, जो मेहनत नहीं करता है उस पर भूख का कोई असर नहीं है। लेकिन कानून जो बन रहे हैं वे गरीबों के खिलाफ ही बनते जा रहे हैं जिनसे उनको परेशानी हो। सरकार को इस को वापस लेना चाहिए। जो व्यापारी हैं, जिनके पास गल्ला है, सरकार उन से लेना नहीं चाहती है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दाने-दाने के लिए आज प्रदेश भुखमरी की हालत में है। सरकार के पास इतनी मशीनरी है तो आज मन्त्री जी बता दें कि कितना गल्ला है और क्यो नहीं निकलवाया गया है? ऐसे आदेश जारी कर के ध्यान बदलना है। मुझे एक उदाहरण याद आ गया। सरकार की आज वही गति है। उपाध्यक्ष महोदय, इत्तिफाक से एक मेहतरानी की शादी एक चौधरी किसान से हो गयी और जब वह वहां आ गयी, तो मैं चन्द पढ़ी-लिखी लड़कियों को नहीं जानता शायद उनका दफ्तर का इम्तिहान ससुराल में होता होगा, लेकिन देहात में तो काम दे दिया जाता है। तो जब वह आयी तो उसकी सास ने उसे दही से मक्खन निकालने का काम दे दिया। उस बेचारी के यहां यह काम तो होता नहीं था। वह जानती न थी रई को मथने से, मेहनत करने से निकलता है। उसने हांडी के नीचे हाथ लगा रखा कि शायद इसी से मक्खन निकाल लूंगी। इसी तरह से यह सरकार सरमायेदार व्यापारियों से तो गल्ला निकाल नहीं सकी अब हांडी के नीचे हाथ डालकर बैठना चाहती है। इस आदेश का मंशा बिलकुल यही है कि जनता इस वक्त खिलाफ है तो हांडी के नीचे हाथ डाले रहे, रई मथना आता नहीं है तो मक्खन निकाले कसे? मैं कहता हूं कि यह आदेश बिलकुल अव्यावहारिक है और इस पर अमल हो नहीं सकता। और जब नहीं हो सकता तब इस तरह के आदेश देने से सरकार के प्रति सिवाय इस के कि जनता का रोष बढ़े, अविश्वास हो, गलत धारणा हो कोई दूसरा परिणाम निकल नहीं सकता।

खाद्य मन्त्री जी से मैं कहता हूं, क्योंकि जब मैं कहता हूं तो मैं जानता हूं कि इससे असर नहीं होता। लेकिन फिर आज कहता हूं, क्योंकि मुख्य मन्त्री जी तो हैं नहीं, खाद्य मन्त्री जी से कहता हूं कि आप जिलेवार यह पता लगावें और यह सूची दें कि हम लोगों को किन-किन किसानों के पास कितना-कितना गल्ला है और हम चलते हैं किसानों से, जिसने हर मौके पर बलिदान किया है, हम गल्ला निकलवा देंगे, लेकिन उस मशीनरी के हाथ में इस कानून को देना चाहते हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और किसान परेशान होगा। हम जिम्मेदारी लेते ह। लेकिन यह सरकार प्रदेश की भुखमरी को देखना नहीं चाहती, तब सरकार जवाब देती है हम क्या करें। हमने कहा कि गुड़ पर से आप पाबन्दी उठवा देंगे आने-जाने की, आज यही किया सरकार ने। मैं जानता हूं कि पूर्वी जिलों में सवेरे लोग गुड़ से ही पानी पीकर रह जाते हैं और हमारे पश्चिमी जिलों में भी गुड़ और मट्ठे से किसान नाश्ता करता है और उसीसे अपना गुजारा करता है, लेकिन मैं साफ कहता हूं कि किसानों के खिलाफ सरकार की नीति जा रही है। वह किसान को गरीब देखना चाहती है। आज अगर बीज के लिए उस ने खाद्य सामग्री रखी है या अपनी जरूरत के लिए भी कहीं है तो आप एक आदेश से, अपनी पुलिस और कर्मचारियों के जरिये से निकलवाना चाहते हैं, लेकिन किसान की जरूरत की चीजें, खाद, पानी, बीज वगैरह आप उनको देना नहीं चाहते। मैं जानना चाहता हूं कि आप ने सरमायेदारों के खिलाफ किया क्या है? उन की सुविधाओं के लिए मुक्तहस्त, लेकिन यह बेचारे मूक किसान, जिनकी कोई आवाज नहीं है उन के लिए यह आदेश, यह उसी का परिचायक है कि गदहे से वश नहीं चला तो गदहिया के कान ऐंठने लगे। यह कार्य नहीं चल सकेगा कि आप इन गरीब किसानों को जो मूक हैं अपने आदेश के जरिये से सरकारी कर्मचारियों के हाथ छोड़ दें। तो मैं फिर सरकार से कहता हूं कि हालत चिन्ताजनक है। बजाय इस के कि आप कुछ गम्भीरतापूर्वक काम करत आज मैं कहता हूं कि आपने सरकारी कर्मचारियों के हाथ खुले छोड़ दिये हैं कि किसानों की लूट करें। आज हो क्या रहा है? इस भुखमरी की हालत का उन पर कोई असर नहीं है, किसी सरकारी कर्मचारी पर, भुखमरी की हालत का कोई असर नहीं है, किसी मन्त्री पर उसका असर नहीं है, विकास मन्त्री मद्रास जा रहे हैं, सिंचाई मन्त्री रांची जा रहे हैं, कोई मन्त्री काश्मीर जा रहा है, यह क्या असर है कि हमारे प्रदेश में भुखमरी है और लेकर क्या आते हैं? यह बात तो विरोधी दलों की सही है कि ज्यादातर दौरे राजनीतिक दलबन्दी के कारण हो रहे हैं। प्रदेश की भुखमरी की समस्या को हल करने के लिए नहीं हो रहे हैं। इस हालत में भी क्या यह काम सरकार का नहीं है कि वह इस सवाल को सोचे, लेकिन इसका सरकार पर कोई असर नहीं है। इस आदेश को जारी करने से भी सरकार क्या करेगी, सिवाय किसानों को परेशान करें, दूसरे सवाल से उनका सम्बन्ध नहीं है।

[श्री रामचन्द्र विकल]

बहुत से लोगों ने अभी खाद्य समस्या पर कहा और मुझे हार्दिक दुख उस समय हुआ कि लोग उन्हीं गरीब किसानों को मनोबल का उपदेश देते हैं जब कि चन्द दिन हुए, वही माननीय गेंदासिंह जी किसानों की हालत पर आमरण अनशन और भूख हड़ताल कर रहे थे, वह भी यहां आकर किसानों के मनोबल की बात करने लगे। आखिर क्या हालत बदल गयी? माननीय गेंदासिंह जी नहीं हैं, चले गये, जिन दिनों उन्होंने भूख-हड़ताल की थी उससे आज दसगुनी हालत खराब है किसान की। आज उसके मनोबल की बात की जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि मनोबल जनता में है और यहां बैठने वालों से ज्यादा है। उस मनोबल का परिचय चीन के हमले के वक्त जनता ने दिया था और आज भी चाहे भुखमरी में हैं, गरीबी की हालत में हैं, मगर मनोबल, संगठन, देशप्रेम उनके अन्दर यहां पर जो उपदेशक लोग बन गये हैं उनसे कहीं ज्यादा है। यह मुगालता लोग अपना दूर करें जो केवल बातें करते हैं यहां बैठकर मनोबल की, मनोबल का उपदेश करते हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि इन कुर्सियों ने हमारे मनोबल को कम किया है और आज देश की हालत को इस रसातल तक पहुंचाने का एकमात्र कारण यह कुर्सियों की होड़ और कुर्सियां हैं। एक मिनट में कुर्सी से हटने और कुर्सी पर आने में विचार बदलता है। वही लोग कुर्सियों पर होते हैं तो एक बात कहते हैं और जब कुर्सियों से हट जाते हैं तो दूसरी बात कहने लगते हैं, तभी मनोबल की बात होती है। मैं पूछना चाहता हूं उप-नेता सदन से कि हमारे गांवों का मोटा अनाज और तिलहन, चावल इत्यादि बाहर गया। जब आप को अपने यहां की हालत का अन्दाजा था, तो क्यों नहीं आप केन्द्रीय सरकार से लड़े कि हम नहीं बाहर जाने देंगे। हमारे ७५ फीसदी खेती करने वाले किसान इस सरकार की अदूरदर्शिता की नीति के कारण भूखे हैं और आप केन्द्रीय सरकार का बहाना लेते हैं। क्यों नहीं आप केन्द्रीय सरकार से इसके लिए लड़े और अगर नहीं लड़ सकते थे तो कह देते कि हमारे बस में काम करना नहीं? जब आप रोज-रोज दखलन्दाजी करते हैं। आप ने सोचा केन्द्रीय सरकार का नाम ले देंगे बस सब हो जायगा। इन बहाने बाजियों का वक्त अब नहीं है। मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इस गम्भीर स्थिति को आप अमली जामा दीजिये। क्यों नहीं मन्त्री जी जिले-जिले चलते? मैं चलने को तैयार हूं, जहां भी किसान के घर होगा, मन्त्री जी मेरे साथ चलें, मैं निकलवाऊंगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार को रोकिये। इस आदेश को वापस लीजिये, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन की बहस के बाद ऐन्टी होर्डिंग आर्डर हमारे हाथ में आया। उसे पढ़ने के बाद कुछ ऐसा मालूम हुआ जैसे कि गांव में मसल है कि 'गिलिया बैल पड़े-पड़े खावे और चले तो मेंड़ ढ़ावे', वही मजमून इस सरकार का हो गया कि या तो हमारे मन्त्री जी कान में तेल डाले बैठे रहे, प्रदेश के कोने-कोने से मांग आती रही। मैंने ११ तारीख को मुरादाबाद में मन्त्री जी से यही बात कही थी कि आप सीजर आर्डर दे दीजिये, ऐन्टी होर्डिंग आर्डर निकालिये, लेकिन उस वक्त बिलकुल ध्यान नहीं दिया। चार दिन की बहस जब हुई, नो कान्फिडेंस के ऊपर तो उस के बाद यह आर्डर हाथ में आया और उसका नतीजा यह हुआ कि गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज अगर हमारे मन्त्रिमण्डल को या जो भी इस आर्डर को निकालने के लिए जिम्मेदार है, उसको यह पता नहीं है, वह यह नहीं समझ सकता कि गल्ला है कहां? तो मैं यह समझता हूं कि बेहतर है कि वह अपने पद को छोड़ दे तो प्रदेश पर बड़ा भारी उसका एहसान होगा। हम जानते हैं कि गल्ला कहां है लेकिन सीधे-सीधे इसमें यह बात लिख दी कि किसानों के पास भी गल्ला है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि ९५ फी सदी किसानों के पास इस वक्त गल्ला नहीं है। आप कहेंगे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि हमने तो किसान को बड़ी भारी रियायत दे दी कि २५ किलो फी एकड़ गेहूं बोने के लिए छोड़ दिया और दस क्विन्टल के लिए उसे छूट दे दी, लेकिन उसके पास तो है नहीं। जिम्मेदारी तो आप को यह लेनी चाहिए थी कि अभी दो महीने बाकी हैं फसल के बोये जाने में, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि एक इंच भी जमीन बिना गेहूं या रबी की फसल बिना बोयी नहीं रहने पायेगी, चाहे गेहूं पंजाब से लाना पड़े, चाहे कहीं से लाना पड़े। इस चीज की जिम्मेदारी लेने की जरूरत थी। कल को कहने लगेंगे कि हम ने तो आर्डर के अन्दर २५ किलो छोड़ दिया था फिर २५ किलो किसान ने महफूज क्यों नहीं रखा?

किसान के पास नहीं है वह कहां से लायेगा ? उसकी जिम्मेदारी भूल गये और आर्डर दे दिया कि किसान के पास से निकालो। मैं कहता हूं कि गांव में गल्ला है, लेकिन गवर्नमेंट उस वर्ग को भूल गयी कि जो खलिहान से गल्ला ले लेता है। वह वर्ग ऐसा है जो किसानी नहीं करता है। वह भादों और सावन के महीने में किसान को गल्ला देता है और खलिहान से ही जाकर तुला लेता है। आज उस के पास गल्ला है जो गांव में महाजनी करता है। वह ड्योढ़े पर गल्ला तुलाने के लिए जाता है। उसके लिए आपने कहा नहीं, तो उससे आप कैसे गल्ला लेंगे ? दूसरे गल्ला आज होर्डर्स के पास है जो शहर में रहता है। हमारी मांग यह है कि जो इम्पोर्टेड व्हीट है या कोई गेहूं हो वह गल्ला बाजार के अन्दर गवर्नमेंट रेट से ज्यादा रेट पर नहीं बिकना चाहिए। इस के बारे में गवर्नमेंट ने कदम उठाया तो यह कर दिया कि एक बटा चार उसको रखने की छूट दे दी। अपने साल भर के रिटर्न का एक बटा चार वह जिस तरह से चाहे बेचे। सरकार को कहना यह चाहिए था कि वह एक बटा चार निश्चित भाव पर बेचे और अगर वह नहीं बेचेगा, तो उस के खिलाफ डी० आई० आर० की कार्यवाही की जायगी। जो आप किसानों को रियायत देने की बात कहते हैं तो किसान आज एक-एक दाना देने के लिए तैयार हैं बशर्ते कि आप इसकी उसको गारन्टी दें कि साल भर तक किसानों को खाने को देंगे।

मेरा यह कहना है कि जब तक आप दाम नीति पर अमल नहीं करेंगे तब तक यह सोशलिस्टिक प्रोग्राम आप का चलने वाला नहीं है। आज किसान को छूट देंगे और उसके बाद कहेंगे कि हम कुछ नहीं जानते। यह ऐसी बात है जिसका आप को अहसास करना चाहिए। तब वह जितना ज्यादा गल्ला उनके पास है वह देने को तैयार हो सकते हैं। अगर आप दाम नहीं बांध सकते, साल भर तक किसान को खाने के लिए नहीं दे सकते तो किसान का यह पैदायशी हक है और बुनियादी हक है कि वह साल भर का अपने पास खाने के लिए रखे। यदि आप उसके साल भर के खाने के अन्दर इन्क्रोचमेंट करते हैं तो किसान के बुनियादी हक पर चोट करते हैं। इस बात को सब जानते हैं कि आज ६ मन पुख्ता एक आदमी को साल भर के लिए खाने को चाहिए। अगर आज आप ने १० क्विन्टल की छूट यानी २७ मन की छूट दी तो जिसकी फेमिली में १५, १६ आदमी खाने वाले हैं, नौकर हैं, आया-गया है, तो फिर कैसे उसका काम चलेगा ? सरकार अगर गारन्टी देने के लिए तैयार नहीं है तो आल दि इयर राउन्ड का इन्तजाम करने का उनका अधिकार है। एक कांस्टेबिल गांव में जायगा और कहेगा कि तुम्हारे पास गल्ला है वह बेचारा किसान उससे पीछा छुड़ाने के लिए कोशिश करेगा और कुछ देकर उस से पिंड छुड़ायेगा। दूसरे से जाकर सिपाही कहेगा कि फलां आदमी कहता है कि तुम्हारे पास गल्ला है। उसके पास होगा ५ मन लेकिन उसको जाकर वह कहेगा ५० मन तो वह भी ५०, ६० रुपया देकर अपना पीछा उससे छुड़ायेगा। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि यह सारी जिम्मेदारी ठाकुर साहब की है। जो आज खाद्य स्थिति इतनी जटिल हुई है इसकी सारी जिम्मेदारी ठाकुर साहब के ऊपर है। अगर ठाकुर साहब जनवरी में जिस समय पाला पड़ा था उस समय यह सही बतला देते कि उत्तर प्रदेश में फसलों को ५० फीसदी नुकसान हो गया है और उनको ४ आना छूट दे देते तो आज यह नौबत न आती। उस नुकसान के बदौलत सेन्टर से क्लेम करते कि हमारे यहां २७ लाख मन की पैदावार में कमी हो गयी है तो हम को गल्ला दीजिये और सेन्टर ज्यादा गल्ला देने के लिए तैयार होता। लेकिन ठाकुर साहब ने नहीं माना, कह दिया कि कलेक्टर साहब को लिख दिया है वह लिखकर भेजेंगे। तो अब आप कहां से पूरा करगे ? आज आप उसको पूरा करना चाहते हैं। मैं फिर एक चेतावनी ठाकुर

[श्री रियासत हुसैन]

साहब को दे रहा हूं। अभी दो महीने बाकी हैं। अगर किसान की एक-एक इंच भूमि न बोयी गयी, उसके लिए बीज का प्रबन्ध न हुआ, तो फिर हम को दुबारा इस प्रकार के खाद्य संकट का मुकाबला करना पड़ेगा। किसान के पास ५ किलो पर एकड़ के हिसाब से भी गल्ला नहीं है। कोआपरेटिव सोसाइटीज, आप के स्टोर्स किसान को गल्ला नहीं दे सकेंगे। यह जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। आप पंजाब से या कहीं से भी ला कर उसे बीज पहुंचायें। सोशलिस्ट पार्टी का कहना यह है कि किसान को उसकी पैदावार का उचित दाम मिले। आप उसे दो गारन्टी दें कि उसे उचित दाम मिलेगा और मुनासिब कीमत पर उसको खाने की चीजें मिल जायंगी। अगर आप यह प्रोग्राम बना लें, तो आप को इस आर्डर की जरूरत नहीं होगी। इसमें जो छूट दी गयी है उसमें तरमीम की जाये और यह भी शामिल किया जाय कि गेहूं बाजार में फिक्स्ड रेट से ज्यादा नहीं बिकेगा। अगर ऐसा न किया तो आप होर्डिंग बन्द नहीं कर सकेंगे और किसान और जनता पुलिस वालों के फंदे में फंसती रहेगी।

*श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)---

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इस सेशन में यह प्रथम अवसर है कि जब मुझे बोलने का मौका मिला है। मैं पहले भी खाद्य समस्या पर बोलना चाहता था लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। इस आर्डर से ऐसा पता चलता है कि होर्डिंग केवल किसानों ने ही कर रखी है। लेकिन आज किसान के पास गल्ला नहीं है। उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। तीन फसल बिगड़ जाने के कारण उनकी हालत बहुत खराब है और केवल ५ प्रतिशत किसानों के पास खाने तथा बीज के लिये गल्ला है। अगर वह भी उनसे ले लिया जाय तो वे तबाह हो जायंगे। माननीय, एक चौथाई गल्ला बाजार में आता है और जो गल्ला दो सौ मन बचता है, उसको दूसरों को बेंच देते हैं और फिर ले लेते हैं। इस प्रकार इनफ्लेशन बढ़ जाता है। जब इतना स्टाक उसके पास बढ़ जायेगा तो लाजिमी है कि उसके पास बच जायेगा। उसको आप मेहरवानी करके ले लीजिये, तभी आप किसानों का भला कर सकते हैं अन्यथा नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि आप किसानों को खुली छूट दे दीजिये कि व्यापारियों को गल्ला दें। इस तरह से प्राइस भी गिर जायेगी, गल्ला भी मिल जायेगा और मार्केट भी संभल जायेगी। जहां तक सोशलिस्टिक पैटर्न का सवाल है तो मैं कहना चाहता हूं कि कन्ज्यूमर्स के लिये, किसानों के लिये और दूकानदारों के लिये जो प्राइसेज निर्धारित की गयी हैं, वह लांग टर्म पालिसी है। यह जो आदेश है, बिलकुल व्यर्थ है अगर इससे उनको फायदा नहीं होता है। इससे आप उनकी कोई भलाई नहीं कर सकेंगे। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों में असन्तोष न फैलने पाये, मजदूरों में असन्तोष न फैलने पाये। जो लैन्डलेस लेबरर्स हैं, उनके लिये गल्ले की समस्या पूरी करें। जितना ज्यादा आटा और गल्ला दूकानों में आयेगा, जितनी ज्यादा वे बिकेंगी, उतनी ही प्राइसेज गिर जायेंगी और इस तरह से हमारी आपत्ति टल जायेगी, क्योंकि दो महीने बाद ही फसल आने वाली है। जहां तक फूड प्रोक्योरमेंट का सवाल है, उसे आप ले आइये, उससे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस वक्त नहीं, जबकि फसल आये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

यह आर्डिनेंस जो इस सरकार ने मजबूरन भुखमरी जनता और दूकानों के लूटे जाने का इश्यू किया है वह भी एक बनिये की आवाज मालूम पड़ती है। यह एक नया तरीका है बनिये और जखीरेबाजों का कि सरकार मजबूर होकर आर्डिनेंस निकालें। वह भी उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद की परिभाषा की गोल-मटोल बात है और यह भी मैं इस सदन में आवाज सुन रहा हूं कि यह आर्डीनेंस बनिये को बचाने के लिये, जखीरेबाजों को बचाने के लिये, सदन का बहुमत लेने के लिये ही लाया गया है। जखीरेबाजों का उद्देश्य था कि लोग भूखों मरें और लोग आध

---

*शुद्धता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेर का गल्ला खरीदें। जिन्हें उन्होंने रुपये देकर असेम्बली में भेजा है, वे उनके गुट को मजबूत किये हैं, उनको मिनिस्टर बनाये हैं, उनको फिर मिनिस्टर बनायें इसलिए यह भुखमरी फैलायी गयी। जब शोर मचाया, भूखी जनता ने तो मजबूर हुए। पहले भी उन्होंने पूंजीपति का सहारा लिया था। जब स्वराज्य आया तो पूंजीपति कहता था कि मेरा राज्य, जमींदार साहब कहते थे मेरा राज्य, किसान भी कहता था मेरा राज्य और मजदूर भी अपना राज्य कहता था, लेकिन अब राज्य नेगी साहब का हो गया। आज लक्ष्मीनारायण गद्दी पर बैठे हैं हिन्दुस्तान के भगवान बनकर। जो गद्दी पर बैठ कर सामने 'लाभं शुभम्' लिखता है उससे उम्मीद करना कि 'लाभं शुभम्' को छोड़ कर बिना डंडे के गल्ला निकालेगा और सही दामों में देगा, गलत है। इसलिए आर्डिनेंस जरूरी है। अब उसकी रूपरेखा क्या हो, यह सवाल है। नेगी साहब, आप नाग बन बैठे हैं, जैसे गड़े हुए धन की नाग रक्षा करता है। जिसने गल्ला पैदा नहीं किया उसकी इतनी बड़ी चौथाई टर्न-ओवर की छूट देना—इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आता है। अगर १० हजार मन गल्ला है तो वह चौथाई २।। हजार मन तेज दामों में बेंचने को रखेगा। उत्पादक को आपने तसल्ली दी कि जिसके पास कतई गल्ला नहीं हो सवा छः एकड़ से कम जमीन वाला हो, वह भी गल्ला दे। आपने जमींदारी अबालीशन कमेटी की रिपोर्ट में ६ १/४ एकड़ के किसान को गरीब तसलीम किया है। देहात में तीन पाव से कम कोई किसान नहीं खाता। बनिया तो दूध, मलाई, हलवा, सब्जी खाता है। किसान पक्का एक सेर ठोस अन्न खाता है, उससे कम तीन पाव। ३ पाव फी किसान प्रतिदिन के अनुसार मैंने हिसाब लगाया। गल्ला अप्रैल, मई के पहले नहीं आयेगा तो ८ महीने का मैंने हिसाब लगाया। १२ के परिवार का ५४ मन गल्ला खर्च खात में आता है। उसके अलावा नेगी जी, हम किसानों के बैल और भैंस भी अन्न खाते हैं उसके लिए आपने कोई गल्ला नहीं दिया है। क्या बैलों को मरवा डालेंगे? क्या दुबले पतले बैलों से जुताई और बुवाई होगी? यह रूरल क्रैडिट सर्वे रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि किसान को यह जरूरत होती है कि बैल और भैंस को भी दाना खिलाये। यह क्या आपका इन्साफ है? नकली बैल के सहारे आप गद्दी पर बैठे और असली को मार डालना चाहते हैं?

बीज के लिए सिर्फ २५ सेर आपने रखा। इनाम पाने के लिए भले ही कोई डिब्लर ले आये। मेरा भाई जगतनारायण है उसने भी ४१ बीघे में से केवल एक बीघे में ही डिब्लर सिस्टम से खेती की और इनाम पाया। लेकिन उसने कहा कि इसमें मेहनत खूब करनी पड़ती है और छः गुनी मजदूरी लगती है, इसलिए डिबलर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चौधरी साहब ने तो स्वयं अपने विभाग की पत्रिका "कृषि और पशुपालन" में लिखा है, अक्तूबर, १९६३ की उनकी पत्रिका है, उसके २५ पेज पर देख लीजिये कि गेहूं का बीज ४० सेर प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिये। लेकिन आपको बनियों ने हिसाब लगा कर बता दिया २५ सेर प्रति एकड़ बीज छोड़िये वही आपने मान लिया। यह क्या हिसाब है आपका, मेरी समझ में नहीं आया? बनियों की सरकार बनियों के लिए, किसान-मजदूरों की सरकार किसान मजदूरों के लिए यही ठीक नारा होना चाहिये था। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं। आज प्रदेश में भुखमरी है, लेकिन आप में से बहुत बड़े किसान लोगों के पास भी कुछ गल्ला है। मेरे जिले के कांग्रेसी विधायक भूतपूर्व बड़े जमींदार ठाकुर जगन्नाथसिंह के पास भी हजारों मन गल्ला होगा। हमारे झारखण्डे राय जी उनको बचाने की बात कह गये। माननीय उपाध्यक्ष जी, बनियों के पास से गल्ला निकलवाना होगा। जिन बड़े किसान लोगों के पास गल्ला भरा है, उनसे भी गल्ला निकलवाना होगा।

मेरा सुझाव है कि इस आर्डिनेंस को शुद्ध करके फिर लाया जाना चाहिये और ५४ मन फी एकड़ के हिसाब से किसान को खाने के लिए रखने की छूट होना चाहिये। नेगी साहब तो एक बड़े जमींदार के लड़के हैं, मगर वह भी आज बनियों के नीचे रह कर किसान की बात भूल गये। जखीरेबाजों के पास से गल्ला निकल कर आना चाहिये और बाजार में उसे निश्चित दर पर बिकना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

मेरा नाम लिया गया है अतः मैं कुछ निवेदन कर दूं। मैंने एक चिट्ठी माननीया मुख्य-मंत्री को लिखी थी, उसे पढ़ कर सुना दूं ....

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी जरूरत नहीं है, आप कृपया बैठिये।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ यह देख कर कि हमारे कुछ भाई यह समझ बैठे हैं कि जो कुछ यहां होता है उसे समझने वाले नहीं रह गये हैं। अभी ४ दिन तक अविश्वास के प्रस्ताव पर यहां बहस हुई थी। उस बहस में हमारे उन भाइयों ने जो किसान के बड़े भक्त बनते हैं, गरीबों के हमदर्द बनते हैं, यह कहा था कि जिन लोगों के पास खाने को गल्ला नहीं है उन्हें गल्ला मिलना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों को सारी स्थिति पता है कि सरकार के पास कितना गल्ला है, कितना गल्ला उसको दिल्ली से मिलता है और कितने खाने वाले हैं। उस वक्त सब ने यह सलाह दी थी कि जो गल्ला छिपा है उसे जल्दी से जल्दी निकलवाना चाहिये और उस पर काबू करके उसे किसानों में बटवाना चाहिये। मैं पूछता हूं कि क्या आपने किसानों को मूर्ख समझा है? क्या आप उन गरीबों के साथ जिनके पास गल्ला नहीं है खिलवाड़ करना चाहते हैं? आप अपनी स्पीचों से उनको गुमराह करना चाहते हैं। आज आपकी असली शक्ल सामने आ गयी है और सही बात यह है कि प्रचार के लिये सदन में ऐसी बातें करते हैं।

झारखण्डे राय जी काहे को परेशान हैं उनको तो इसका और प्रचार करना चाहिये। माननीय भानुप्रताप जी, ठाकुर साहब कुंवर साहब परेशान हैं क्योंकि इन लोगों का व्यक्तिगत प्रश्न है, उनके पास जो गल्ला रखा हुआ है, उनको तो चिन्ता होनी ही चाहिये। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, जिनको शौक हो गया है गवर्नमेंट की हर बात के विरोध करने का कि यह सरकार का सब से क्रान्तिकारी कदम है। आपको तो इस आर्डर को सुन कर खुश होना चाहिये था, लेकिन आप खामख्वाह चीप पाप्युलेरिटी के पीछे पड़े हैं। आपको यह बात मुनासिब नहीं है। आज हमें सबसे पहले उन लोगों का ध्यान रखना चाहिये जिनके पास खाने को गल्ला नहीं है, गांवों का वह ३०–३५ प्रतिशत किसान जो आज भूखों मर रहा है, उनको गल्ला देना चाहिये। मैं सरकार का कोई बहुत बड़ा हमदर्द और हामी नहीं हूं। आपको मालूम होगा कि मैंने कहा था कि सरकार इस काम में फेल रही है और इसके लिये उसकी पूरी जिम्मेदारी है, सरकारी मंत्री किसानों को गल्ला नहीं पहुंचा पा रहे हैं, खास तौर से नेगी साहब की जिम्मेदारी है। नेगी साहब ने हम लोगों की बातों को सुन कर एक रास्ता यह निकाला। उन्होंने सोचा कि जो होर्डेड गल्ला है उसको जल्द से जल्द निकलवा लिया जाय और मुझे अफसोस हुआ कि यहां पर जाति बिरादरी का सवाल इसमें भी डाल दिया गया। थोड़ा-सा संतुलन तो माननीय सदस्यों को अपने भाषणों पर होना चाहिये। सरकार ने इस आर्डर के द्वारा जो कुछ किया है वह दुरुस्त किया है। गांवों में जिन लोगों के पास ज्यादा गल्ला है उनसे लेकर उन लोगों को वह गल्ला दिया जाना चाहिये जो लोग भूखों मर रहे हैं। आपको अपनी भैंस और बैल की फिक्र हो रही है जो भूसा और घास खा लेते हैं लेकिन आप को ३०–४० प्रतिशत उन भाइयों की फिक्र नहीं है जो केवल अन्न ही खाता है और भूखों मर रहा है। उस अन्न को निकाला जाता है तो कहा जाता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि न निकाला जाय। ये सब गुमराह करने वाली बातें हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह की बातें हरगिज न करें और गांवों के भूखे भाइयों की मदद करें। नहीं तो जब आप अपने क्षेत्रों में जायेंगे और लोग पूछेंगे कि चार रोज पहले तो अन्न के निकालने की बात कही जा रही थी लेकिन आज सेठ और साहूकार का समर्थन किया जा रहा है इसका आप क्या जवाब देंगे। सरकार ने जो कुछ किया है वह दुरुस्त और टाइम से किया है और वह केवल उतने ही दिनों के लिये है जब तक यह समस्या रहेगी यानी १–२ माह के लिये। चार दिन पहले तो आप क्रान्तिकारी बन रहे थे लेकिन आज आपका पर्दाफाश हो गया। मैं भानुप्रताप जी से कहूंगा कि 'हंसब ठठाइ फुलाइब गाला', दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आप देशभक्त भी बनना चाहते हैं, जनता के शुभचिन्तक भी बनना चाहते हैं लेकिन जरा सा धक्का लगा कि चिलबिला पड़े।

मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जरा आप उस दिन का भी खयाल रखें कि अभी आपको फिर किसानों के बीच में वोट मांगने के लिये जाना है। उस समय किसान चौराहे पर आपका हाथ पकड़ कर पूछेंगे कि यह आपका क्या नाटक है कि एक दिन तो आपने कहा कि गल्ला चाहिये और दूसरे दिन जब सरकार ने कहा कि सेठ साहूकारों के पास से गल्ला लिया जाय तो आपने कह दिया कि इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। तो मैं सरकार के इस आदेश का समर्थन करता हूं क्योंकि सरकार ने आवश्यकता को समझ कर और बहुत सोच समझ कर इस काम को किया है।

कल चौधरी चरण सिंह ने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें समझा दीं और चूंकि हमारे विकल जी का दिमाग एक चीज पर केन्द्रित है कि वे विरोध करेंगे ताकि विरोधी दल की तरफ से कुछ हथेलियां बज जायं और इसी पर वे फूल जाते हैं कि उनकी स्पीच बड़ी अच्छी है, जब कि वास्तविकता यह है कि उनकी स्पीच में कोई सेंस नहीं होता। अपनी स्पीच में कभी एक कहानी सुना दी, कभी दूसरी कहानी सुना दी और विरोधी दल की तरफ से हथेलियां बज गयीं, बस वे खुश हो गये।

श्रीमन्, विकल जी की तरह से मैं भी एक कहानी सुना देना चाहता हूं। एक दिन हमारे भाई विकल जी एक लिबरी-सी घोड़ी लेकर एक छोटे लड़के के साथ कहीं जा रहे थे। कुछ दूर चलने पर उनको दुबे जी मिल गये। उन्होंने कहा कि विकल जी आप कहां जा रहे हैं, तो विकल जी ने कहा कि जरा बाजार जा रहा हूं। तो दुबे जी ने कहा कि घोड़ी पर क्यों नहीं चढ़ लेते जो पैदल जा रहे हो, तब विकल जी को याद आयी और वे घोड़ी पर चढ़ लिये। वहां से कुछ दूर चलने पर उनको कुंवर श्रीपाल सिंह जी मिल गये, उन्होंने कहा कि इतना छोटा बच्चा तो पैदल जा रहा है, और आप घोड़ी पर बैठे हैं, इसको तो घोड़ी पर चढ़ा लो। तब विकल जी ने उस बच्चे को घोड़ी पर बैठा लिया। फिर कुछ दूर चलने पर उनको माननीय भानु प्रताप सिंह जी मिल गये, उन्होंने कहा कि तुम कितने मूर्ख हो कि इस लिबरी घोड़ी पर बच्चे को भी बिठाये हो और स्वयं भी बैठे हो। इस पर वे दोनों उतर पड़े। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उनको पांडेय जी मिल गये, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम कैसे आदमी हो कि घोड़ी के होते हुए पैदल चल रहे हो। यही बात इस सरकार की है। ४ दिन पहले तो आपने कहा कि गल्ला दो और जब सरकार ने गल्ला दिया और गल्ले का इन्तजाम किया तो आप लिबरी घोड़ी वाली कहानी को ही दोहराते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष जी, और कुछ निवेदन करने के पहले मैं भाई बैजनाथ सिंह जी की एक बात कहूं कि उन्होंने मेरे लिये जो बात कही, उसके बारे में सरकार से मेरा निवेदन है कि मेरे पास जो कुछ भी गल्ला हो उसे सरकार बखुशी ले और मुझ से आजीवन लेती रहे, उस गल्ले को मैं अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

पास नहीं रखना चाहता लेकिन सरकार का जो सबसे गरीब मिनिस्टर है, जो केवल तनख्वाह पर ही रहता हो और अपना हाथ इधर-उधर न फैलाता हो, उसके ऊपर जितना खर्चा हो उतना ही मुझे सरकार दिया करे और आजीवन मेरे पास से गल्ला ले लिया करे। मैं आज ही गल्ले से इस्तीफा लिखने के लिये तैयार हूं। जितना भी आप एक मिनिस्टर को देते हैं, हाथी को छोड़ कर उससे कम ही दें और हमारा सब कुछ ले लें। अब इसके आगे जरा सुनें।

जिस आदेश की भाई बैजनाथ सिंह जी ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है और कहा कि यह हट जायगा—यह वैसे ही है कि "मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त"। इस आदेश में यह कहीं नहीं है कि यह कब तक रहेगा, एक दिन रहेगा, दो दिन रहेगा या दो साल, चार साल या दस साल रहेगा, लेकिन गवाह श्री बैजनाथ सिंह जी चुस्त हैं कि यह दो महीने ही रहेगा। दिल्ली में सोने के लिये जो कानून आया था वह केवल दो महीने के लिये ही आया था, आज उसे कितने दिन हो गये ? आपके यहां हिन्दी सम्बन्धी ही जिस विधेयक की बात आज उठी थी सन् १९५१ में उसी पीठ पर बैठ कर माननीय टंडन जी ने उसे पास कराया था। क्या हो गया उस विधेयक का ? क्या होगा उस बिल का जो इतने दिन से लागू है ? संविधान की धारा ३४३ (२) में साफ कहा गया है, उसी संविधान में जिसके लिये वह कहे थे कि यह वेदों की ऋचाओं से भी पवित्र है। कहां गई वह ऋचायें और दुनिया भर की बातें। बैजनाथ सिंह कहते हैं कि यह आदेश २ मास के बाद हट जायगा। अब इसका क्या असर पड़ेगा यह आप सुन लें, सप्रमाण बताऊंगा। यह आ देश ३ तारीख को निकला है। इसमें है कि १५ दिन का नोटिस देकर सामान बरामद किया जायगा। अब इसका नमूना देखिये कि क्या होता है। एक हैं इकबाल बहादुर, ग्राम गुलूपुर, जिला रायबरेली के। उनके यहां एस० डी० ओ० और पुलिस के दरोगा ४ तारीख को ही पहुंच गये और सारा गल्ला उनका ले लिया और उनके पास खाने भर के लिये भी नहीं छोड़ा। यहां तक कि उनको उस दिन ही शाम को भीख मांग कर खाना पड़ा। जिस आदेश की आप तारीफ कर रहे हैं उससे यही तो होगा। इसका परिणाम यह होगा कि गृह मंत्री जी के डंडेबाज सीधे हो जायेंगे, नेगी साहब तो पहले ही हवा में उड़ गये, लेकिन उनके डंडेबाज बड़े पक्के हैं। किसी किसान के यहां दरोगा जी पहुंचेंगे और कहेंगे कि आपके यहां गल्ला है जिस तरह से कि वह अफीम की पुड़िया रखते हैं और जिसके यहां चाहते हैं उसके यहां पहुंचकर थैले में अफीम की पुड़िया डाल दी और कहा कि आप के पास अफीम बरामद हुई है चलिये। वैद्य जो हैं चूरन भी बेचते हैं लेकिन खेती भी करते हैं, उनको भी यह डंडेबाज मिल जायंगे और आपके यहां भी वह तलाशी ले लेंगे; आप बच नहीं सकते हैं वैद्य जी महाराज। आप की कोई छूट नहीं होगी। किसी भी किसान के घर में यह डंडेबाज घुस जायंगे और घर की औरतें, बच्चे, लड़के, लड़कियां सब को बाहर फेंक कर वह घर में घुस जायंगे। एक सुल्तानपुर के गांव में यह पुलिस वाले पहुंचे और घुस कर पीतल के बर्तनों को टंगारे से तोड़ दिया और चारपाई के पायों को टंगारे से तोड़ डाला। वही अब सब जगह होने वाला है। आगे चल कर देखिये क्या होता है। आपने जो कहा कि हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन जो लिमिट इसमें सरकार ने अपने आंका बनियों के लिये रखी है वही किसानों के लिये भी रखे, वह हमें स्वीकार होगी। दस हजार क्विन्टल का सालाना व्यापार करने वाले व्यापारी कौन होते हैं ? किसान अगर इतने क्विन्टल पैदा करने वाला होगा तो वह २२७ एकड़ का किसान होगा और वह अन्न बोयेगा तब वह उसकी बराबरी कर सकता है। मैं चलन्ज करता हूं कि २२७ एकड़ वाले किसान पर अगर आप यह कानून लागू कर देंगे तो आप उसको पकड़ कर मुर्गा बना दें तो कोई एतराज नहीं लेकिन आप इन अपने आकाओं को छोड़ दीजिये। लेकिन दरोगा जी को ५ बीघा के किसान के यहां घुसा दीजिये, कहां का यह इंसाफ है।

कुछ आंकड़े मैं अभी उपस्थित कर दूं वर्ना वह छट जायंगे। श्री बैजनाथ जी ने कहा बड़ा खुश होकर कि कैसा बढ़िया आर्डर सरकार ने निकाला। इससे अच्छा और क्या कानून होता। क्या हरिश्चन्द्र के जमाने का न्याय है कि दस हजार क्विन्टल का व्यापारी ढाई हजार क्विन्टल रख सकता है। अगर वही १० हजार क्विन्टल पैदा करने वाला किसान होगा, २२७ एकड़

का तो ६७५ क्विन्टल तक ही रख सकता है। क्या उम्दा न्याय है? क्या उम्दा आपने व्यापारियों के चिकने गालों पर हाथ फेरा है। एक मजे की चीज और निवेदन कर दूं और वह यह है कि आपने २५ किलो किसान को बीज के लिए दिया है और अपने इस ऐतिहासिक वक्तव्य में कहा है कि हम २५ किलो किसान के बीज के लिए छोड़ देंगे आगामी बुवाई के लिए। आगामी फसल में चार फसल बोयी जाती हैं जौ, गेहूं, चना और मटर। यह पता नहीं कि इस आदेश में जो २५ किलो लिखा हुआ है उसमें ये सब मिली हैं या वे कौन-सी चीजें हैं जिन्हें वे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ६ किलो प्रति एकड़ पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष--

पूरी काश्त। कुल जितना रकबा हो।

कुंवर श्रीपालसिंह--

श्रीमन्, रकबे का सवाल नहीं है। यही तो मजे की बात है। किसान अच्छी तरह जानते हैं कि यह आर्डर क्या है। कानून के बनाने वाले किसान की हालत को नहीं जानते हैं। यह मानता हूं कि बहुत से मंत्रीगण गांव के रहने वाले हैं लेकिन वे पढ़ने के उद्देश्य से शहरोंमें आये, वकील बने और फिर यहां पर मंत्री होकर आ गये। उन्हें किसान से मतलब नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि इस ६ किलो प्रति एकड़ में किसान चारों किस्म की फसलों को कैसे बो सकेगा। गेहूं बीज में ज्यादा पड़ता है, मटर में ज्यादा पड़ता है, चना ज्यादा पड़ता है। यह तोल से नहीं लगता है। यह चीनी नहीं है कि डेढ चम्मच चाय के प्याले में डाल दो। तो इस पर आप ध्यान दें। मेरा निवेदन यह है कि हमें इसमें रंचमात्र भी एतराज नहीं। आप गल्ला जरूर निकालिये लेकिन बीज के लिए तो उनके पास रहने दीजिए। हमारे गांवों में मुश्किल से २ फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास गल्ला है। मैं पूर्वी जिलों की बात करता हूं। पश्चिमी जिलों की मुझे जानकारी नहीं है। उसके पास खेतों का रकबा ही कम है मगर वह छोटे किसानों को बीज के लिए ३ गांव को देता है। तो इस आर्डर में वह भी फंसे। उसके बाद अगली फसल में जब किसान बोने के लिए तरसेगा तो आप पंजाब का गेहूं लाकर देंगे जिसमें मई के महीने में दाने में दूध होता है। उस समय वहां पर लू चलना आरम्भ हो जायगी, तो फसल बरबाद हो जायगी और फिर वैद्य बैजनाथ जी, और ३-३ हजार रुपये पाने वाले बाबू सब मरने लगेंगे। सब भूख के मारे तड़प-तड़प कर इसी हजरतगंज की सड़कों पर मर जायंगे बीज और किसान के साथ खिलवाड़ मत कीजिये यदि ऐसा किया तो मैं यह चेतावनी फिर देता हूं कि करोड़ों आदमी यहां मरेंगे।

श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहस के रुख से कुछ अन्दाज लगाया और मेरा यह खयाल है कि आदेश के खिलाफ न, न की आवाज ज्यादा प्रबल रही। आवाज ऐसी है कि अगर धीमी आवाज में माफिकत में उठाने की कोशिश करता हूं तो कोई प्रबल प्रेरणा ही मुझे ऐसा करने को प्रेरित करती है। जहां तक आदेश का ताल्लुक है इसमें खामियां हैं जिनमें सुधार होना चाहिये। उसके आधार पर अगर मैं यह कहूं कि इसे वापस ले लीजिये तो दुनिया पर इसका असर यह पड़ेगा कि आप प्रो-होर्डिग वाले हैं। इसको वापस लेने की दलील समझ में नहीं आती, उसका असर भी बुरा पड़ेगा। यह बात हमारे खिलाफ जाती है और इसलिये मैं वापस लेने के खिलाफ हूं। लेकिन मैं इस तरह से इसका समर्थन भी नहीं कर सकता जैसे कि मेरे दोस्त बैजनाथ सिंह ने किया। मुझे तो विकल साहब तथा बैजनाथ सिंह की स्पीचेज एक दूसरे की प्रतिक्रिया लगीं। यह कहना कि यह बिलकुल ठीक है वस्तुस्थिति से आंखें मूंद लेना है। कांग्रेस पार्टी में इस पर बहस हुई और बहुत से लोगों का ऐसा खयाल है कि यह बिल जिस शक्ल में है इसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है वर्ना इसके खतरनाक नतायज हो सकते हैं। इसलिये सुधार के लिये हमको अपने दिलोदिमाग खुला रखना चाहिये। वह सुधार जहां से भी आय उसको वकत करना चाहिये।

[श्री गोविन्दसहाय]

मुझे यह कहते हुए जरा भी हिचक नहीं है कि हम जिस कठिनाई से आज गुजर रहे हैं मुझे यकीन है कि उससे ज्यादा कठिनाई से हम गुजरने वाले हैं। हमने सारे आबलिगेशंस मंजूर कर लिये हैं जिनके न पूरा करने के साधन हैं, न मशीनरी है। सारे देश भर की रोटी, शिक्षा, सेहत बेकारी, यह बहुत बड़े कामों की जिम्मेदारी है और इनसे समाज का ढांचा बदलने वाला होता है। उस तरफ हमने क्या कदम उठाये हैं, हमारा दिलो दिमाग कहां तक साफ है, इस पर गौर करना होगा। इसको पूरा करने के लिये हर आदमी से कुछ न कुछ सहारा, अनुशासन, संयम हमें लेना है। जखीरेबाज कहीं भी हों उसे खत्म करना है। सही बात है, जखीरेबाज छोटा किसान नहीं हो सकता। बड़े किसान के पास होगा, लेकिन किसान की शब्दावली में उसको ले लिया जाय तो बच जाता है यह गलत होगा। मेरा खयाल ह कि प्रोफिटियरिंग करने की मनोवृत्ति सोसाइटी के हर भाग में प्रिवेल कर रही है चाहे बड़े फार्मर्स हों, चाहे बड़े व्यापारी हों, लेकिन इनके नाम पर जो लाखों किसान हैं, जो खुद मुसीबत में पड़े हैं कहीं उन पर इस आदेश के जरिये वार न हो जाय।

हमारी जो सर्विस मशीनरी है, जो प्रशासन का ढंग है वह कानून का सीधा एप्लिकेशन करता है। वह कानून के लोकल हालत के माफिक, मौसम के माफिक, रीजन के माफिक काम नहीं करती। उनके पास आदेश आया कि जिसके पास गल्ला हो पकड़ लो, उसको यह बात अपील करती है कि गांव से भी गल्ला मिले तो ले लो। इससे हमको बचना है। अगर बावजूद गांव से गल्ला लेने की समस्या हल नहीं हुई तो गांव के अन्दर वह भयानक बेचैनी पैदा होगी कि जितना गल्ला हम लेंगे नहीं उससे ज्यादा कांग्रेस सरकार की बदनामी हो जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का हमेशा यह हाल रहा है कि करती कम है, बदनाम ज्यादा होती है। सीलिंग में भी यही हुआ कि सीलिंग खत्म होने को आई तो पता चला कि जमीन ही नहीं, जबकि और छोटे-छोटे प्रदेशों में किसानों को ज्यादा जमीन मिल गयी है। इस तरह से ऐंटी होर्डिंग आदेश लागू होंगे, हम यह कहेंगे और दूसरे लोग यह कहेंगे इस तरह से सब लोग खत्म हो जायेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि जिनको गल्ला बचाना है वह बचा लेंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आयेगा। फिर इस काम को आप मामूली सर्विस वालों के हाथ में दे रहे हैं तो इस बात का अंदेशा है कि इसका उपयोग आपसी दुश्मनी के लिये न हो जाय। इसलिये इसके ठीक तरह से उपयोग करने की जरूरत है। आदेश को वापस लेना तो मैं ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन इस बात की जरूरत है कि सर्विस के लोगों को अपनी नीति के अनुसार हम बतलायें कि किस तरह से काम करना है। हालत को देखकर बहुत सावधानी के साथ काम करना है। अगर जरा भी आगे बढ़े तो इसका बुरा असर तुम्हारी सर्विस पर पड़ सकता है। इस तरह से अगर हम शासन को चलायेंगे तो इस आदेश का हम कुछ फायदा उठा सकते हैं वरना इसके दुरुपयोग होने की जबर्दस्त संभावना है।

श्रीमन्, इसीलिये मैंने इशारा किया है। बहुत से लोगों ने बहुत चर्चा की है। कुछ लोगों ने कहा है कि बीज के लिये किसानों को काफी मिलना चाहिये। यह बिलकुल सही है। जो लोग खेती करते हैं उनके ऊपर उनकी ही जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि जो लोग उनके यहां काम करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। आजकल हमारे यहां जितने लोग काम करते हैं उनको १६ रुपये, १८ रुपये के भाव से गेहूं देना पड़ता है। इसलिये व्यावहारिक एटीच्यूड लेने की जरूरत होगी। इसलिये जरूरत है कि इसको मात्रा इधर से उधर बढ़ न जाय।

श्रीमन्, मैं आशा करता हूं कि जो भी सुझाव आयें वे इस नीयत से आयें और यह न समझा जाय कि इधर के बैठने वाले तिजारतियों को बचाने के लिये बैठे हैं और उधर के बैठने वाले किसानों को बचाने के लिये बैठे हैं, बल्कि हमारा और आपका मकसद एक ही है कि किसी तरह से गल्ला निकलवाया जाय और इस तरह से न निकलवाया जाय जिससे मर्ज और बढ़ जाय। इसलिये

जो सुझाव सरकार के सामने आयें उन पर सरकार को गौर करना चाहिये और सरकार को अपनी नीति में उचित संशोधन कर लेना चाहिये । यह व्यावहारिक दृष्टिकोण हो सकता है । डेमोक्रेसी में ऐसा मान कर नहीं चलना चाहिये कि अक्ल केवल ८/१० आदमियों में ही आ जाती है । अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि यह जो आदेश आये हैं इनमें जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका भी मश्विरा है । मैं क्या कहूं इस तरह से जबान पर लगाम लगाना है तब तो बात दूसरी है, लेकिन डेमोक्रेसी में कामन मैन में ज्यादा अक्ल होती है । इसलिये यह नहीं मानना चाहिये कि आखिरी अक्ल आ चुकी है । इसका मतलब यह कि जो भी आवाज दायें बायें से आये उसकी कद्र की जाय और उसके अनुसार अपने कदम उठाये जायं । मैं यकीन करता हूं कि अगर सरकार ऐसा रवैया बरतेगी तो आदेश से सरकार और जनता दोनों को उचित लाभ पहुंचेगा ।

*श्री चन्दर्नासिह (जिला मुजफ्फरनगर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं नहीं कह सकता कि इस आदेश को वापस ले लिया जाय क्योंकि भाई साहब नाराज होते हैं, लेकिन मैं नेता जी की इस बात का स्वागत करता हूं जो उन्होंने कहा कि इसे सोच समझ कर ठीक कर लेना चाहिये । आज कहीं भी देहात में जाकर देखिये कि मई के पहले सप्ताह में जो नौकर होता है उससे अगले साल के लिये तय होता है कि मेरे यहां नौकरी करो, तो वह कहता है कि मैं ३०० रुपये पेशगी लूंगा और अनाज लूंगा उस वक्त के भाव पर । जो दो हल की काश्त करता है उसके पास तीन आदमी होते हैं, एक चारा डालने वाला होता है, दो उसके घर के होते हैं जो जवान होते हैं और एक आध बच्चा होता है । इस तरह से वह अपने टर्म्स तय कर लेता है । ३०० रुपये पहले ले लेता है और २०० रुपये का अनाज वह साल भर तक लेता रहता है जैसा कि महीने के हिसाब से तय हो जाय। हमारी समस्या को मंत्री जी ने और सरकार ने गहराई में जा कर नहीं देखा; तो हमारा क्या हश्र होगा जब हमारा गल्ला सिर्फ २५ क्विंटल बचा रहेगा। उसके साथ साथ हमारे यहां भैंस और गाय, बैल और छोटे जानवर वगैरह होते हैं । बैल और छोटा तो रहा हल वगैरह के लिये और गाय भैंस जाती है जंगल में चरने के लिये । तो चरवाहा जो होता है उसका भी सौदा होता है कि डेढ़ सेर फी गाय और २ सेर फी भैंस । आपके यहां मेहमान शहर में आता है, ४ आने २ आने में चाय पिला कर मेहमानदारी खत्म, लेकिन हमारे यहां मेहमान आ जाय तो सारी दहेड़ी खत्म । अब भैंस को अनाज न खिलाओ तो लाओगे कहां से? लैक्टोडर्म जो अपने बच्चे को पिलाते हो, कहां से खाओगे पकौड़ियां और कहां से लाओगे भाई बैजनाथ सिंह जी अपनी चाय? वहां तो यह होता है कि एक गाय के लिये इतना चोकर, इतनी दाल, इतनी गेहूं की दलिया दी जाती है । इसके साथ ही हमारे यहां भंगी, हमारा धोबी, हमारा लोहार, हमारा बढ़ई, हमारा कुम्हार, सब अनाज हमसे लेते हैं, उनको भी देना पड़ता है । धोबी को ५ घड़ा यानी २५ सेर अनाज फी हल और कुम्हार को भी २५ सेर फी हल, और लोहार जो हमारे फल गढ़ता है वह अपना सौदा अलग चुकावे । इन सब का बंधा हुआ है और वह भी फसल से पहले आने लगता है । उसे यह नहीं है कि अनाज उठ गया ४ दिन में लेना और जनाब आली हम तो तीन बटा ४ देते हैं गेहूं की फसल पर और १ बटा ४ देते हैं मक्का, ज्वार और बाजरा उठाने के टाइम । आपको क्या चीज हजरतगंज में नहीं मिली तो अमीनाबाद से ले आयेंगे, लेकिन हमारे यहां अगर जी करे किसी चीज लेने का तो हमारे यहां तो बीबी होती है । १० क्विंटल की बात कही जावे, तो ५ क्विन्टल तो हमारे बच्चे खेलने के तरीके पर खो देते हैं । आपके यहां बच्चों के पास घोड़ा गाड़ी, और तरह तरह के खिलौने होते हैं, लेकिन हमारे बच्चे के पास तो न रेडियो है, न घोड़ा गाड़ी है, हमारी तो वही रोटियां हैं जिन पर हमारे बच्चों की परवरिश होती है । तीन रोटियां तो वह फेंक देता है खेल खेल में । और उसको हम क्या रोक सकते हैं ।

मैं कहता हूं कि सरकार चाहे इन्क्वायरी करा ले, हालत हमारी वही है और हम किसी तरह से अपना पूरा उसमें कर पाते नहीं हैं अपनी पैदाइश में । एक हलवाहा और उसका एक छोटा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्दनसिंह]

भाई, जो हल चलाता है वह जनाब, सेर भर तो पीता है सुबह मट्ठा और ६ छटांक की ऐसी-ऐसी रोटियां खाता है और बड़ा सा कंकड़ गुड़ का खाता है । तो मैं अगर यह कहूं कि इस आदेश को वापस ले लो, तो शायद वह ठीक न हो, मैं आपको बुरा क्यों कहूं ? आप बड़े अच्छे सब म सुन्दर हैं, लेकिन इस आदेश का नाम आप किसान मार, मजदूर मार, भूखा मार रख दें, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी । उस तरफ भी बड़े बड़े दिल वाले हैं, लेकिन उनकी हालत वही है जो द्रौपदी को चीर खींचते समय द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की थी, गद्दी के सेवक हैं, और मैं यह नहीं कहता कि गद्दी आपके हाथ से चली जाय, गुप्ता जी बने रहें, सुचेता जी बनी रहें, और चाहे तुम सारे मिनिस्टर हो जाओ, हमारी बला से, लेकिन हमें बख्श दो ।

एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अब से पहले हम चाहे कितने ही कमजोर थे, कितने ही कम अकल थे लेकिन अब हम कमजोर नहीं हैं और भगवान् की दया से कुछ अक्ल भी आ गई है । तीन रास्ता चलने वाले थे, एक अन्धा, एक बहरा और एक नंगा । अन्धा चला एक कदम, उसके चलने से जो आवाज आयी और कुछ धूल उड़ी तो उसने कहा आंधी आ गई, बहरे ने सुना तो नहीं कि क्या कहा, लेकिन उसने भी कह दिया भाग चलो । नंगे ने कहा मालूम पड़ता है तुम सब मिलकर मुझे लुटवाओगे जिसके पास कि कुछ था नहीं । तो यह सरकार जो है यह तो अन्धी है, इसके कर्मचारी जो हैं वह बहरे हैं, सुनते नहीं और हम नंगे हैं, खड़े हैं, लो खोज लो जो कुछ खोजना हो ।

तो आप इस बात को कान खोलकर सुन लें । हम डटकर संघर्ष करेंगे, हमारी खून पसीने की कमाई को लेने जब आयेंगे और अगर कोई गाढ़ में मिल गया तो फिर या तो हम नहीं या वह नहीं । हां, हिसाब समझाकर ले जाओ । आज भी ऐसी स्थिति में जो ब्लैक करता है उसके समान नीच कोई नहीं । हमने खुद दिया है । मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र में आये, हमारे कस्बे में गये, ५३ हजार रुपया मैंने भेंट किया गुप्ता जी को इमर्जेंसी में । आप भी आइए । उन अधिकारियों को वहीं बैठा दीजिए । मंत्री जी दौरा करें मेरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का । अगर १ हजार मन का उनका अन्दाजा होगा तो ५ हजार मन निकलवा कर दूंगा । इस तरह से कीजिये, सब हो जायगा । और मैं बता दूं कि वह जमाना अब नहीं है कि मुर्गा बनवाकर आप ले लें । वह टाइम सन १९३० का चला गया । हम डट कर आपका मुकाबला करगे अगर ऐसा करने की कोशिश की ।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

इस संकट के समय में कोई ऐसा कदम उठाना जिससे संकट को हम पार कर सकें उसूलन कोई बेजा बात नहीं है । इसलिये इस बात की आवश्यकता तो है कि हर वह कदम उठाया जाय जिससे जहां अनाज फालतू हो वहां से निकले और जहां आवश्यकता हो, जहां भूख हो, वहां पहुंच जाय । तो बुनियादी तौर से इस आर्डर की मुखालफत करना मैं पसन्द नहीं करता । पर इस आर्डर में कुछ कमियां हैं जिन कमियों की चर्चा मैंने कल पार्टी में की थी । पर एक मित्र ने सुबह फोन किया उससे कुछ ऐसा लगा कि पार्टी की मेरी बात से कुछ शंका रही लोगों के दिल में; तो मैं समझा कि मैं सदन में अपनी बात कहूं तो मुमकिन है उससे कुछ फायदा हो सके । कोई ऐसा बिल लाने के लिये या ऐसा कदम उठाने के लिये कई चीजों का जानना आवश्यक है कि इस कदम से कितना लाभ होगा ? कितना अन्न इससे मिलने की उम्मीद है ? मैं जानता नहीं । माननीय खाद्य मंत्री ने क्या इस संबंध में सदन में बताया है, लेकिन कल जो चर्चा थी वह एक लाख मन की चर्चा थी । अगर एक लाख टन की भी हो तो भी १५ दिन चला लेंगे, क्योंकि अभी तक दो लाख टन आप केन्द्रीय सरकार से ही मांगते थे । २ लाख टन महीना और इधर जो और दिक्कत पड़ी और कई महीने से अनाज नहीं मिला तो अनुमान यह था कि ४ लाख टन हर महीने अनाज मिले तो तब प्रदेश की दिक्कत रफा हो सकती है ज्यादा से ज्यादा १५ दिन और अगर १ लाख टन मिले तो कम से कम ७ दिन और १ लाख मन मिले तो आधे दिन की आवश्यकता पूरी हो सकती है ।

इस दृष्टि से भी यह कदम बहुत उपयुक्त साबित नहीं होता । तमाम जनता को आप घेरें और इतना भी अनाज न मिल सके और दुरुपयोग की भी संभावना है जिसकी संभावना का जिक्र माननीय सदस्यों ने किया वह भी अपनी जगह पर है । दुरुपयोग न भी हो, लेकिन उसकी आड़ में बहुत-सी बातें हो जायेंगी । जब यहां पर गन्ने वाली बात आई थी तो यह कहा गया था कि दो बटा तीन गन्ना किसान दे । मैंने कहा था कि दो बटा तीन किसान नहीं देगा परन्तु दरोगा जी की जेब जरूर गर्म हो जायगी । जिस तरह के हम लोग आज मुल्क में हैं, इतनी पार्टियां हैं, इतने दल हैं, पार्टी के अन्दर पार्टी है, हर एक आदमी एक दूसरे की मुखालफत करता है तो लोग इसका फायदा उठायेंगे । तो यह भी एक पहलू है, लेकिन बड़ा पहलू यह है कि जो आंकड़े रखे गये हैं क्या वे सही हैं ? मैंने कल पार्टी में बताया था कि बीज की जो फी एकड़ मात्रा है वह ८० सेर फी एकड़ तक है । तो मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया और कहा कि यह ८० सेर फी एकड़ की मात्रा साल भर की है या एक बार बोने के बाद दो बार बोने की है । मेरे पास आंकड़े हैं तमाम सूबे के और हर जिले क आंकड़े हैं । इसमें बाराबंकी, प्रतापगढ़, जौनपुर, फैजाबाद और गोंडा जिलों में जो बीज का औसत फी एकड़ है वह ८० सेर से ९० सेर तक है । समय कम है वरना मैं सारे आंकड़े देता । यह आंकड़े जो मैंने बताये यह एक बार बोने के हैं दोबारा बोने के नहीं हैं । अगर एक बार ही मिल जाय तो गनीमत है । एक बात और इससे साबित होती है । सरकार की एक किताब छपी है डबलिंग से बोने का रेट ६ सेर से ८ सेर तक बीज का है और उससे ३२ सेर से ४२ सेर तक की बीज की बचत होती है । तो इससे भी औसत ५० सेर का पड़ गया । उस गवर्नमेंट की किताब के अनुसार भी औसत ५० सेर का पड़ गया । अगर ५० सेर बीज का औसत है और डबलिंग का ८ सेर तक है तो पच्छिम का ३० सेर और पूरब में ६०, ७०, ८० सेर तक हो गया । इसलिये यह बात निर्विवाद हो गई कि फी एकड़ बीज २५ सेर नहीं हो सकता । मेरे मित्र ने यह भी कहा कि यह औसत हो सकता है तो औसत का हिसाब हर जगह नहीं हो सकता । एकानामिक्स के नियम सब जगह कैसे लगते हैं, मैं नहीं जानता । अगर आप यह कहें कि २ बच्चे, एक बूढ़ा, २ जवान तो सब का औसत लगाइये । क्योंकि बच्चे कम खाते हैं, जवान ज्यादा खाते हैं, लेकिन आप पश्चिमी जिले का और पूर्व की औसत एक साथ लगा लें तो उसके माने क्या हुए ? उससे काम चलने वाला नहीं है ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक है कि कहीं पशु अनाज खाता है और आदमी भूखों मरता है, लेकिन अगर मजबूरी आयेगी तो भले ही पशु मर जाय, लेकिन आदमी जिन्दा रखा जायगा । लेकिन अगर पैदावार बढ़ानी है तो बैलों को अनाज देना होगा तभी फसल बोई जा सकेगी । आदमियों में भी Priority रखनी पड़ेगी । अगर आप चीफ सेक्रेटरी को रखेंगे, मिनिस्टर्स को रखेंगे, एम० एल० एज० को रखेंगे और हलवाहे और बैल को नहीं रखेंगे तो क्या आप तरक्की देखना चाहते हैं । यही बात मैंने मजदूरों के सिलसिले में कही थी । उनको और मजदूरों को, किसानों को आप रोटी के चक्कर में मत डालिय यह मैंने कहा था । उनको निश्चिन्त हो कर काम करने दीजिये तभी यह संकट टलेगा । बाकी लोगों को अपने पेट पर पत्थर रखना पड़ेगा । किसान के लिये यह बहुत कष्टदायक होगा, लेकिन वह झेल जायेगा । आप झेल नहीं पायेंगे । अगर पैदावार घट गयी तो आपका तो पता भी नहीं चलेगा । जो स्कीम है वह यह कि जहां फालतू अन्न हो वह ले लिया जाय । यह बेजा बात नहीं है, लेकिन इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे । आपके प्रांत में १,६०० बीज गोदाम हैं और ८०० गोदाम किसानों के हैं । उनमें कुल २४ लाख टन गल्ला बीज का है और आपको २ करोड़ टन चाहिये । उसके आठवें हिस्से की आवश्यकता आपके बीज गोदाम पूरी करत ह । बाकी बीज कहां से आयेगा । श्रीपाल सिंह जी के पास जितना फालतू अन्न हो वह आप ले लें, लेकिन बाकी किसानों के लिये आप क्या करेंगे जिनके पास बोने क लिये नहीं है । यह कानून बना कर सरकार अपने पर बड़ी भारी जिम्मेदारी ले रही है । आपकी जिम्मेदारी प्रांत भर में बीज पहुंचाने की हो जायगी और रबी की फसल साल भर तक नहीं बोयी जाती । उसका एक सप्ताह का समय होता है । फसल आपका इंतजार नहीं करने की । उनको ठीक समय पर बीज पहुंचाना चाहिये और बीज में और अनाज में अन्तर है । हर अनाज बीज नहीं होता । आप अमेरीका का गेहूं बोने के लिये नहीं दे सकते ।

[श्री फूलसिंह]

बीज तो वह है जो उग सके। जो लोगों के पास रखा है वह बीज की शक्ल में इस्तेमाल हो सकता है। उसे आप लेकर उसके एवज में अनाज देंगे तो यह बहुत खतरनाक होगा। इसे मेरी राय में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिये। मैं भूख की चर्चा नहीं करता क्योंकि अभी भी सरकार की तरफ की राय यह है कि देहात के २० प्रतिशत आदमियों को खाने को नहीं मिलता। लेकिन पूर्व के जिले के लोग कहते हैं कि ५० प्रतिशत आदमी को अन्न की दिक्कत है।

यह बात सही है कि देहातों में पहले भाई-चारे का नाता था। लोग एक दूसरे की सहायता कर देते थे। एक भाई भूखा होता था तो दूसरा उसको खाना दे देता था। आज यह सही है कि वह भाईचारा नहीं है। आज जिस व्यक्ति को माल मिलता है बेचने के लिये वह माल भी बेचेगा, कम भी तौलेगा और ब्लैक भी करेगा। तो यह काम उस जमीन्दार को दें। एक बात और कहनी है कि आगे कुछ दिन में नई फसल आ जायेगी। एक महीने के अन्दर ही मक्का आ जायेगी, साठी आ जायेगा, कोदौ आ जायेगा। इसका इसमें कोई प्रोवीजन नहीं है कि यह जो अनाज पैदा होंगे वह कहां जायंगे। जो प्रावीजन है कि बिजनेसमैन १/४ रखे, और जो शहर का आदमी है वह ४ क्विन्टल रखता है, किसान १० क्विन्टल रखता है, लेकिन किसान और शहर के आदमियों के जो बीच के लोग हैं वह क्या करें। जो गांव का दूकान दार है, बढ़ई है, लोहार है क्या वह भी ४ क्विन्टल रखता है। अगर ४ क्विन्टल वह रखता है और ४ क्विन्टल चीफ सेक्रेटरी रखता है तो उसको क्यों पाबन्दी लगा रहे हैं। तो जब उसका गल्ला खतम हो तो वह कहां से ले? मैं समझता हूं कि यह बहुत भारी जिम्मेदारी हो जायेगी। इसलिये इस सदन को मेरी बात मान लेनी चाहिये। मैं तो उस दिन भी कहता था कि होर्डिग है। खेती करने से मुक्ति नहीं होती बेईमानी से। बेईमान है तो बेईमानी है, चाहे वह खेती करता हो या कोई हो। तो मैं कहता हूं कि होर्डिग बन्द करें। छापे मारें। ५/७ लखनऊ में मारें, ५/७ गोरखपुर में मारें। २०/२५ छापे मारें। सब काम अपने आप ही ठीक हो जावेगा। मुझे एक बात याद आई जो मैं बता देना चाहता हूं। सन् १९४७ में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से आज्ञा हुई कि कुछ पश्चिम यू० पी० में कमिश्नर से मिल कर काम करें। हमारे जिले सहारनपुर में एक दूकान लुटती पकड़ी गई। उसको कोतवाली ले जाया गया। उसका नाम पूरन था। कोतवाली में एक सेठ जी आये और उसको छुड़ा ले गये। बाद में पूरन नाम के एक दूसरे व्यक्ति को बन्द कर दिया गया। वहां पर श्री हांडू एस० पी० थे जो बाद में आई० जी० होकर चले गये। पूछने पर उन्होंने बताया कि १५ दिन बाद उसे छोड़ दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि माल मिले पूरन के यहां और चालान हमारा हो जाय। यह जो अनलिमिटेड पावर है किसी बहुत ही छोटे आदमी के हाथ में दिये जा सकते हैं। तो उसको बड़ा अख्तियार है इस बात का। कदम अवश्य उठावें जो जरूरी हों, लेकिन ऐसा न करें कि वह गरीब पर आ जाए और हमारा सारा काम बिगड़ जाय। तो—

"Power corrupts but unlimited power corrupts in unlimited way".

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह कहा जाय कि जिस तरह से कि एक मदारी के झोले में से एक नयी चीज निकलती है जिसे देख कर लोग हैरत में रह जाते हैं इसी तरह से अगर मैं यह कहूं कि यह ऐंटी होर्डिंग आर्डर निकला है तो कुछ बेजा नहीं होगा। खयाल तो बहुत अच्छा है, बहुत माकूल है और होना भी चाहिये कि जिन लोगों ने बड़े-बड़े जखीरे रखे हुए हैं तो जिस वक्त कि इस प्रदेश पर कहत का साया पड़ रहा है, उनके पास से हर साल में, चाहे वह किसान हों, व्यापारी हों या कोई भी व्यक्ति हो गल्ला जरूर निकलना चाहिये, उसका वह जखीरा जरूर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूखों के काम आना चाहिये । लेकिन जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने अपने इस खयाल को इस ऐंटी होर्डिंग आर्डर में समोया है वह अजीबो-गरीब है ।

मान्यवर, न मालूम किसने मंत्री जी के कान में जाकर कह दिया कि किसान के पास बहुत बड़ी मिकदार में गल्ला है जो कि उनकी निजी जरूरत से ज्यादा है । पता नहीं किसकी शिकायत मंत्री जी के पास पहुंच गयी । हो सकता है कि कुछ बड़े-बड़े व्यापारियों ने शिकायतें भेजी हों ताकि किसान के पास जो थोड़ा-बहुत गल्ला है वह भी निकल कर उन्हीं के पास पहुंच जाय जहां कि पहले से ही काफी पहुंचा हुआ है । यह एक तरकीब है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि इसमें साजिश है मंत्री जी के बड़े-बड़े अधिकारियों की और व्यापारियों की । मंत्री जी का हाथ हमेशा व्यापारियों के सिर पर रहा है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है और मेरे पास इसकी मिसालें मौजूद हैं । कुछ दिन हुए, मैंने कुछ सवालात किये थे कि १० वैगन्स चावल इटावा से गोरखपुर रीजन भेजा गया था और जाते जाते रास्ते में सड़ गया मंत्री जी के अधिकारियों और व्यापारियों की साजिश से । आज जब कि खाद्य समस्या है, इतनी गंभीर हालत है, हमको दाने-दाने की जरूरत है उस वक्त इस किस्म की साजिशें गवारा नहीं की जा सकतीं । मंत्री ने कुछ अजीब-गरीब किस्म के जवाब दिये थे । फिर बाद में मैंने एक सवाल किया कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन व्यापारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? तो मंत्री जी ने हाल ही में दो चार रोज हुए यह जवाब दिया था कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है । यह हालत है, मान्यवर । इस तरीके से उनके सिर पर हाथ रहता है । कुछ अर्सा पहले मंत्री जी ने इस सदन में भी कहा था कि हमारे पास बहुत गल्ला है, कोई चिन्ता की बात नहीं है । लोग सोचते थे कि होगा । मैं पुछता हूं कि वह कहां गया ? मंत्री जी नहीं बता सकते, इन्हें मालूम नहीं । इनको पता नहीं कि इनके विभाग के सेक्रेटरी ने (लाल बत्ती होने पर) अभी तो मैंने शुरू किया है ....

श्री उपाध्यक्ष---

आपके ६-७ मिनट हो गये हैं, दो मिनट और बोल लीजिये ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां---

तो सेक्रेटरी ने उसे गल्ले के व्यापारियों को दे दिया और वह ब्लैक-मार्केट में बिक गया और उनके गोदाम खाली हो गये । आज किसान के ऊपर उनकी नजर है, लेकिन किसान के पास गल्ला नहीं है ।

यह हो सकता है कि कहीं पर बड़े-बड़े किसानों के पास थोड़ा-बहुत गल्ला हो, लेकिन किसान के पास गल्ला नहीं है। जैसा माननीय फूल सिंह जी ने कहा, अगर किसी के पास गल्ला है भी, तो उसका गल्ला उसके आड़े वक्त पर काम आता है। शहरों की तो फिक्र की जाती है, मगर देहात की फिक्र नहीं की जाती है। मैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं वहां पर उम्दा जमीन है, नहरें हैं, ट्यूबवेल्स भी हैं, पैदावार भी अच्छी है,वहां आज गल्ला नसीब नहीं हो रहा है, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा ? वहां की हालत तो और भी भयंकर होगी। इसलिए आप किसान को मत तंग कीजिये। किसान को सताइयेगा तो वह खड़ा हो जायगा और आप के व्यापारियों को वह खत्म कर देगा। आप की नजर किसान पर ही क्यों रहती है ? मन्त्री जी को शर्म आनी चाहिए, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि सरकार के पास इतनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उत्पादकों के पास बहुत-सा गल्ला जो उन के निजी खर्च के अतिरिक्त है, रखा हुआ है। आज यह नहीं सोचा जा रहा है कि उसका परिवार कितना बड़ा होगा और उसकी जरूरियात क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय खत्म हुआ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या सोमवार को भी इस पर बहस होगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

आधा दिन सोमवार को भी इस पर बहस होगी।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मेरा दुर्भाग्य है कि जिन मित्र ने मुझे प्रोत्साहित किया यहां पर इस पर बोलने के लिए वह इस समय सदन में नहीं हैं। मैंने माननीय बैजनाथ सिंह जी की बात को बड़े ध्यान से सुना। हमारे इधर के बैठने वाले कुछ मित्रों में क्यों इतना साहस नहीं रहता है कि जिस बात को वे लाबीज में कहते हैं उसको यहां भी कहने का साहस करें। यह हो सकता है कि उनको विकल जी के भाषण से तकलीफ हुई हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर विकल जी को चीप पापुलैरिटी गेन करने की इच्छा है तो माननीय बैजनाथ जी को मिनिस्टरों को प्रसन्न करने का उद्देश्य है। आज की बिगड़ी हुई परिस्थिति में मेरा यह निश्चित मत है कि सरकार को कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जिस से होर्डर्स का गल्ला निकल सके। लेकिन आज हो क्या रहा है। "ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया" वाली बात हो रही है। जितना ही हमारी सरकार ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया उतनी ही उलझनें बढ़ती गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन मित्रों से सहमत नहीं हूं, जो सरकार पर यह आक्षेप करते हैं कि उसने जान बूझ कर इस चीज को किया है। नीयत पर हमला करना ठीक नहीं होता। कुछ दिक्कतें हैं, कुछ मुसीबतें हैं।

इस आर्डर को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो वह हिस्सा है जिसका सम्बन्ध व्यापारियों से है। मेरा अपना निश्चित मत है कि इस आर्डर से होर्डर्स को लीगलाइज किया जा रहा है क्योंकि उनके सारे साल के टर्न ओवर का चौथाई तक रखने की इजाजत दे दी है। आज तो सरकार को यह बात कहनी चाहिए कि किसी के पास पांच क्विन्टल से ज्यादा नहीं होगा। मन्त्री जी को इस लम्बी छूट को कम करना चाहिए जैसा कि शिवराज सिंह जी ने कहा, व्यापारियों का ज्यादा से ज्यादा गल्ला जिस महीने में रहा हो उस का दसवां या आठवां हिस्सा ही ज्यादा से ज्यादा रखने के इजाजत दी जानी चाहिए।

इसका दूसरा हिस्सा किसानों से सम्बन्ध रखता है तथा लैन्डलेस लेबर से सम्बन्ध रखता है। इसमें एक भ्रम भी पैदा करने का प्रयत्न किया गया है कि अगर किसानों से गल्ला नहीं लिया जायगा तो लैन्डलेस लेबर का क्या होगा। क्या किसानों से गल्ला लेने के बाद देहाती लैन्डलेस लेबर और जिन के पास गल्ला नहीं होगा उनके लिए सरकार की वही नीति होगी जो शहरों में है। ऐसे लोगों की संख्या एक करोड़ के करीब बतायी जाती है। लेकिन सरकार न लैन्डलेस लेबर को फीड करन की जिम्मेदारी कहीं नहीं ली है। सरकार को कहना चाहिए कि उन को भी शहरों की भांति फेअर प्राइस शाप्स से गल्ला मिलेगा और एक को भी भूखों नहीं मरने दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने क्यों नहीं ऐसी कैद लगायी कि एक सीमा से ऊपर की आमदनी वालों को फेअर प्राइस शाप से गल्ला नहीं मिलेगा। न कोई ऐसा आदेश सरकार ने जारी किया कि गांवों में रहने वालों को एग्पार ट्रीट किया जायगा। जब कि शहर और गांव की आमदनी में भी एक और तीन का अन्तर है। बीज के लिए जो सरकार न २५ कि० ग्रा० प्रति एकड़ छोड़ा है उससे मैं सहमत नहीं। यह ऐलान होना चाहिए कि जितना रबी में खेत कोई किसान बोयेगा उसको ४५ किलो फी एकड़ प्रत्येक को मिलेगा। बीज के मामले में अगर खिलवाड़ किया गया तो जनता हमको माफ नहीं करेगी। अगर बीज के मामले में सरकार ने खिलवाड़ किया तो सरकार जिन शहरी लोगों को और मालदार लोगों को बचाना चाहती

है, उन को भी न बचा सकेगी। यह कहा गया कि बैल को खिलाने की जरूरत नहीं है जब कि आदमी भूखे मर रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं कि कम्पेरेटिवली आदमी को खिलाना आवश्यक है। यह मैं नहीं कहता कि आप भैंस को खिलायें, गाय को खिलायें, लेकिन अगर आपने बैल को खिलाने में कमी की तो बैल को न खिलाने का माने यह होगा कि हम खेतों को बो नहीं सकेंगे, बीज नहीं डाल सकेंगे और अगले वर्ष न मालूम इसके क्या-क्या परिणाम होंगे। अपने कांग्रेसी मित्रों से आप के जरिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस बैल के नाम पर आप हर चुनाव में जीत कर आते हैं, अगर उस बैल के साथ आप ने अन्याय किया तो वह बैल आप को नहीं बख्शेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री प्रेम सिंह से) जरा मैं एक एनाउन्समेंट कर दूं, फिर आप बोलें।

रुड़की यूनिवर्सिटी तथा माल स्थायी समिति के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष---

"रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट", तथा "माल स्थायी समिति" के लिए १-१ सदस्य के निर्वाचनों के हेतु प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा दिनांक ७ अगस्त, १९६४ को नियत समय पर की गयी और अब नाम निर्देशन-पत्र ठीक पाये गये ह। नामांकित नाम इस प्रकार से हैं :---

रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट---

१---डाक्टर सियाराम गंगवार (फर्रुखाबाद)।

२---श्री राममूर्ति 'अंचल' (शाहजहांपुर)।

३---श्री केशव सिंह (शाहजहांपुर)।

४---श्री श्यामलाल (बस्ती)।

माल स्थायी समिति---

१---श्री श्यामलाल (बस्ती)।

२---डा० सियाराम गंगवार (फर्रुखाबाद)। ?

३---श्री लालबहादुर सिंह (जौनपुर)।

अतः यदि नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय, अर्थात् १३ अगस्त, १९६४ के सायंकाल ५ बजे तक अतिरिक्त नाम वापस न ले लिये गये तो निर्वाचन सम्बन्धी मतदान दिनांक १९ अगस्त, १९६४ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (नियंत्रण, प्राप्ति और वितरण) आदेश, १९६३ पर चर्चा (क्रमागत)

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

उपाध्यक्ष जी, और माननीय सदस्य काफी कह चुके हैं, इसलिए उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। इस के सम्बन्ध में चन्द लाइनें पेश करता हूं :---

धन धान्य सब है खाती में, बनियों ने उसे छिपाया,
क्यों किसान को मार रहे हो, नेगी अनजान बने हो।
बोड उन्हीं से लोगे, वरना फिर पछताओगे।

राजा अवधेशप्रताप (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। जब इस आदेश को मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब सोमवार को आप अपना भाषण जारी रखेंगे। अब हम उठते हैं, सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, १० अगस्त, १९६४ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
७ अगस्त, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३७ पर)

तालिका

नाम तहसील	नाम ग्राम	कटाव का क्षेत्रफल एकड़		योग
		खेती योग्य भूमि	आबादी	
सगड़ी ..	१—देवारा खास राजा	३५०	१२	३६२
	२—चक्की हाजीपुर ..	१८०	३	१८३
	३—श्राराजी अजगरा मझरकी ..	९	३	१२
	४—बूढ़न पट्टी ..	४५	५	५०
	५—बांका ..	४०	..	४०
	६—शाहडीह ..	२५		२५
	७—देवारा कर्ताराम दुबे	१४	६	२०
	८—देवारा रामसरन दुबे	८	३	११
	९—देवारा जै गोपाल नरायन ..	१२	४	१६
	१०—गांगेपुर ..	१०८	०	१००
घोसी ..	११—रानु र धनौली ..	२५.०००	..	२५.०००
	१२—डुहिया डिलिया ..	७०१.४००	१	७०२ .४०
	१३—डुबारी ..	१००२.००	..	१००२.००
	१४—भोलनपुर ..	३१००.००	२.००	३१०२.००
	१५—अर्जुनपुर विशुनपुर ..	११७०.००	६.००	११७६.००
	१६—भूसा डोही ..	३३१३.००	१०.००	३३२३.००
	१७—चक्को भूसाडोही ..	४०५.००	..	४०५.००
	१८—बरोहा ..	६०५	..	६०५
	१९—मित्रपुर ..	५.००	..	५.००
	२०—नवली ..	२.००	..	२.००
	२१—सरहरा जमीन सरहरा ..	१.२००	..	१.२००
	२२—किरतपुर ..	६.००	..	६.००
	२३—गोंबनी ..	.४५०	..	.४५०
	२४—सरवा मु० उसुरी खुर्द	६.००	..	६.००
	योग ..	११,१२५.०५०	५५.००	११,१८०.०५०

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४५ पर)

क्रमांक	पट्टेदारों के नाम	पट्टेदारों के पास पहले की भूमि का क्षेत्रफल	पट्टे पर दी गयी गांव सभा की भूमि का क्षेत्रफल
१	२	३	४
१	—केरबी पुत्र बरमू ..	३ १/८ एकड़ से कम ..	०—१५२ कड़ी
२	—इमरित पुत्र बिहारी ..	,, ..	०—५४० } ०—६७६ कड़ी ०—१३६ }
३	—अलगू पुत्र जासा ..	,, ..	०—५६० } ०—७६० कड़ी ०—२०० }
४	—शंकर पुत्र मोहन ..	,, ..	०—२२४ ,,
५	—जुड़ावन पुत्र मुसाफिर	,, ..	०—११२ ,,
६	—सुखई पुत्र सरजू ..	(क्रमांक १४ पर उल्लिखित जगदम्बा के साथ सम्मिलित)।	०—२२४ कड़ी
७	— इन्दू पुत्र कन्धई ..	३ १/८ एकड़ से कम ..	०—५६० } ०—७६० कड़ी ०—२०० }
८	—राजपती पुत्र अलगू ..	,, ..	०—५६० कड़ी
९	—नौमी पुत्र अलगू ..	,, ..	०—८०० ,,
१०	—गुलाब पुत्र सुखारी ..	,, ..	०—५६० ,,
११	—रामबादी पुत्र जमुना ..	३ १/८ एकड़ से अधिक पर ६ १/४ एकड़ से कम।	०—०९३ ,,
१२	—रामजी पुत्रलच्छन ..	,, ..	१—००० एकड़
१३	—जगरानी पत्नी गोकुल	३ १/८ एकड़ से कम ..	०-१४० कड़ी
१४	—जगदम्बा पुत्रसरजू ..	३ १/८ एकड़ से अधिक पर ६ १/४ एकड़ से कम	०—६८० ,,
१५	—सरबजीत पुत्र देवीदयाल	,, ..	०—९२० ,,
१६	—गंगादीन पुत्र देवीदयाल	,, ..	०—७०० ,,
१७	—कालीचरन पुत्र भगवत	,, ..	०—१५६ ,,
१८	—शिवराज पुत्र भुक्खू ..	३ १/८ एकड़ से कम ..	०—२०० ,,
१९	—श्रीमती दुलारी कुंवर पत्नी लेखराज	३ १/८ एकड़ से अधिक पर ६ १/४ एकड़ से कम	०—४८८ ,,
२०	—सूर्यनाथ पुत्र रामकिशन	,, ..	०—४४८ ,,
२१	—बलेश्वर पुत्र परदेसी ..	३ १/८ एकड़ से कम ..	०—२६१ ,,
२२	—सुभग पुत्र पंचू ..	,, ..	०—२८० ,,
२३	—बंशगोपाल पुत्र कामता	३ १/८ एकड़ से अधिक पर ६ १/४ एकड़ से कम	०—८४० ,,
२४	—कपिलदेव पुत्र सीताराम	,, ..	०—२८० ,,

१	२	३	४
२५—श्रीमती धनवा पत्नी मनेश।	३ १/८ एकड़ से कम ..	०—२८० ,,	फड़ो
२६—सितलू पुत्र बुलाकन ..	,, ..	०—२२४ ,,	
२७—झिनकू पुत्र घुरबारी ..	,, ..	०—५१० ,,	
२८—बंशराज पुत्र रामानन्द	३ १/८ एकड़ से अधिक पर ६ १/४ एकड़ से कम	०—२६० ,,	
२९—विश्वनाथ पुत्र त्रिवेणी सिंह ..	३ १/८ एकड़ से अधिक पर ६ १/४ एकड़ से कम	०—५६० ,,	
३०—मातादीन पुत्र देव नन्दन	६—४८७ एकड़ ..	०—४५८ ,,	
३१—रिझई पुत्र सरजू ..	३ १/८ एकड़ से कम ..	०—१६८ ,,	
३२—रामलछन पुत्र रामजस	३ १/८ एकड़ से अधिक पर ६ १/४ एकड़ से कम।	०—१४० ,,	
३३—उदयसिंह पुत्र शिवरतन	,, ..	०—११२ ,,	
३४—श्रीमती मोतिया पत्नी जीता	३—१/८ एकड़ से कम ..	०—१६७ ,,	
३५—शिवरती पुत्र जगरूप	,, ..	०—४२० ,,	
३६—जगपत पुत्र बुद्धू ..	,, ..	०—२२४ ,,	

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४८ पर)

रबी १३७१ की फसल को ओलावृष्टि, पाला एवं शीत से हुई क्षति स्वरूप मालगुजारी एवं लगान में अब तक दी गई छूट की तालिका

जिला		मालगुजारी में छूट	लगान में छूट
		रु० न० पै०	रु० न० पै०
१—अलीगढ़	..	३५,५७८.३६	२३.७१
२—पीलीभीत	..	३,०५,८३४.२०	—
३—इटावा	..	२,७५,७३०.६१	—
४—कानपुर	..	८,८८,१९३.६४	४९७.७४
५—फतेहपुर	..	३,१८,८७१.३८	—
६—झांसी	..	३,७२९.९४	—
७—जालौन	..	१४,८०४.७१	—
८—हमीरपुर	..	१,८८,६१९.८३	४४६.०१
९—उन्नाव	..	१०,३०,१०९.१९	२५९.०३
१०—रायबरेली	..	३,६२,०४५.३१	—
११—बाराबंकी	..	१७,१३,५८१.३५	६,३६९.४०
१२—मुरादाबाद	..	५,४३,३८६.६६	३३.८७
१३—प्रतापगढ़	..	८,७७,६०८.६०	२,५५६.८१
१४—नैनीताल	..	—	७१२.४३
१५—बस्ती	..	११,१४,१६९.६९	—

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५० पर)

पूर्वी जिलों की योजना में निम्नलिखित सड़कें ली गई हैं :

सड़कों का नाम	लागत लाखों में
नव-निर्माण--	रु०
१--दीवारगंज रेलवे स्टेशन से बारदह तक	२८.६०
२--जिबली देवगांव	१७.००
३--मेंहाजपुर तरवा खिनरिया सिरयाकोट ..	३१.००
४--महाराजगंज बिलरियागंज जौयनपुर	१६.२०
५--जियनपुर आजमगढ़ नदूरा सराय	१२.००
६--सूरजपुर मधुबन दुलारी	१२.००
७--खेमेरिया बिन्दरा बाजार	१६.८०
८--माहुल पवई बिलवाई	१०.८०
९--झाबरपुर पारिलया	९.००
१०--दीवारगंज सरायमीर (सिकरोर सरायमीर) सेक्शन ..	६.००
योग	१६५.४०
जिला परिषद् की पक्की सड़कों का पुनः निर्माण--	
१--दीवारगंज सरायमीर (दीवारगंज से सकरौर का भाग) ..	७.२०
२--आजमगढ़ बिलरियागंज	११.७५
योग ..	१८.९५ लाख
सार्वजनिक निर्माण विभाग की मौजूदा सड़कों का आधुनीकरण एवं सुधार--	
१--फैजाबाद आजमगढ़ सड़क	१९.६०
२--लखनऊ बलिया सड़क मील १४७ से १६२ और मील १५४ से १६२	१७.५०
योग ..	३७.१०

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८५१ पर)

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६४

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

तर प्रदेश अधि-नियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ और ४ का शोधन

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पंद्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

क्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

तर प्रदेश अधि-नियम संख्या २२, १९६३ की धारा ३ और ४ का शोधन

२—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ की धारा ३ और ४ में, जहां-जहां भी अंक तथा शब्द "३० जून, १९६४" आये हों, उनके स्थान पर अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६४" रख दिये जायें।

रसन और पवाद

३—(१) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, १९६४ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तरप्रदेश अध्यादेश संख्या ३, १९६४

(२) ऐसे निरसन के बावजूद, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २७ जून, १९६४ को प्रारम्भ हुआ था।

उद्देश्य और कारण

राज्य में अधिकांश नगरपालिका बोर्डों, टाउन एरिया कमेटियों और नोटीफाइड एरिया कमेटियों के सामान्य निर्वाचन मई-जून, १९६४ में होने को थे किन्तु वे स्थगित कर दिये गये और अब नवम्बर-दिसम्बर, १९६४ में उनके होने की संभावना है। अक्टूबर-नवम्बर, १९६७ में हुए सामान्य निर्वाचन के फलस्वरूप संघटित उक्त स्थानीय निकायों का कार्यकाल कुल मिलाकर २ वर्ष की अवधि के लिये बढ़ाया जा चुका है और फिर उनकी अवधि को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ द्वारा ३० जून, १९६४ तक पुनर्संघटन के दिनांक तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ा दिया गया था। कतिपय टाउन एरिया कमेटियों के अतिक्रमण की अवधि के संबंध में भी तत्सदृश कार्यवाही की गयी थी। सामान्य निर्वाचन को और आगे स्थगित किये जाने के कारण, उपर्युक्त स्थानीय निकायों के कार्यकाल को, अथवा अतिक्रमण की अवधि को अस्थायी रूप से आगे बढ़ाने के लिये ३० जून, १९६४ के पूर्व कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था। चूंकि विधान मंडल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिए उक्त प्रयोजन के लिए २७ जून, १९६४ को एक अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा। उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये अब एक विधेयक तैयार किया गया है जिससे कि वर्तमान स्थिति को नये स्थानीय निकायों का संघटन होने तक, किन्तु ३१ दिसम्बर, १९६४ के पश्चात् नहीं, बनाये रखने की व्यवस्था की जा सके।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, १९६३ की संगत धाराओं का उद्धरण

× × × ×

कतिपय स्थानीय निकायों के कार्यकाल को अस्थायी रूप से बढ़ाना

३—किसी स्थानीय निकाय का बढ़ाया गया कार्यकाल जो ३० जून, १९६४ से पहले समाप्त होने वाला है और जिसे यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ के उपबन्धों के अधीन बढ़ाया नहीं जा सकता, उसके पुनः संघटन के दिनांक तक बढ़ा रहेगा, किन्तु ३० जून, १९६४ के बाद नहीं, और इस प्रकार बढ़ाये गये कार्यकाल का वही प्रभाव होगा मानो वह, यथास्थिति, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १०-ए की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड या यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ६ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन बढ़ाया गया हो।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१
यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१
यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१
यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१

कतिपय टाउन एरिया कमेटियों के अतिक्रमण की अवधि को अस्थायी रूप से बढ़ाना

४—जेवर, बहजोई और कुरावली टाउन एरिया कमेटियों के अतिक्रमण की अवधि, इन टाउन एरियाज के लिये कमेटियों के पुनः संघटन के दिनांक तक बढ़ी रहेगी, किन्तु ३० जून, १९६४ के बाद नहीं, और इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि का वही प्रभाव होगा जो यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ की धारा ३६ की उपधारा (१) के अधीन दिये गये आदेश का होता।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१

नत्थी 'च'

(देखिये आगे पृष्ठ ८६५ पर)

उत्तर प्रदेश (विधान मंडल में कार्य करने की) भाषा विधेयक, १९६४

सीमित प्रयोजनों के लिए राज्य विधान मंडल में कार्य करने के सम्बन्ध में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था करने के निमित्त

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारंभ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (विधान मण्डल में कार्य करने की) भाषा अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

(२) यह २६ जनवरी, १९६५ से प्रचलित होगा।

सीमित प्रयोजनों के लिए विधान मंडल में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग।

२—भारत के संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी उत्तर प्रदेश राज्य के विधान मंडल में कार्य करने के सम्बन्ध में, जहां भी आवश्यक हो, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग उस भाषा में मूलतः पारित या बनाये गये किसी अधिनियम या नियम में संशोधन करने के सीमित प्रयोजन के लिए जारी रखा जा सकता है।

विधान भवन

उद्देश्य और कारण

हिन्दी १९४७ में ही राज्य की राज-भाषा घोषित कर दी गयी थी। उसी समय से शासकीय कार्य में हिन्दी के प्रयोग का प्रचार करने के लिए सभी सम्भव उपाय किये गये हैं। प्रशासकीय क्षेत्र में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का पूर्ण रूप से प्रयोग करने की अपनी नीति के अनुसार सरकार ने दो विधान बनाये, अर्थात् उत्तर प्रदेश लैंग्वेज (बिल्स ऐण्ड ऐक्ट्स) ऐक्ट १९५० (यू० पी० ऐक्ट नं० १, १९५०) और उत्तर प्रदेश राज-भाषा अधिनियम, १९५१ ई० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २६, १९५१ ई०)। विधान मण्डल में कार्य करने के सम्बन्ध में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उक्त भाषा में पारित केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों में संशोधन करने के सीमित प्रयोजन के लिए किया जाता था। ऐसा करना, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१० के कारण ही सम्भव हो सका था जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य के विधान मण्डल में कार्य राज्य की राजभाषा में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जायगा।

जैसा कि संविधान के अनुच्छेद २१० के खण्ड (२) से स्पष्ट है, संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि "या अंग्रेजी ये" से शब्द उस में से लुप्त कर दिये गये हैं। इसका परिणाम यह होगा कि यदि राज्य विधान मण्डल ने विधि द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की तो उक्त सीमित प्रयोजन के लिए भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते रहना सम्भव नहीं हो सकेगा। इससे अवश्य ही विधि-क्षेत्र में अनेक उलझनें उत्पन्न होंगी क्योंकि सभी केन्द्रीय अधिनियम अंग्रेजी भाषा में पारित किये जाते हैं और जिस दिनांक को उत्तर प्रदेश लैंग्वेज (बिल्स ऐण्ड ऐक्ट्स) ऐक्ट, १९५० प्रचलित हुआ था, अर्थात् १० फरवरी, १९५० के पूर्व राज्य अधिनियम भी अंग्रेजी भाषा में पारित किये गये थे और यह आवश्यक है कि इन अधिनियमों में जो संशोधन करना आवश्यक हो, वे अंग्रेजी भाषा में ही किये जायें।

अतएव इस उद्देश्य से एक विधान बनाने का प्रस्ताव किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा में पारित केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों में संशोधन करने के सीमित प्रयोजन के लिए २५ जनवरी, १९६५ के बाद भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मन्त्री।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० १०६ एल०ए०—१९६४—८६० + २५।